1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 13] पंचम विधान सभा के 13वें सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

शनिवार

26 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.3 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

सर्व श्री रामकिशन व भानुकुमार शास्त्री के विधान सभा सदस्यता से त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री रामकिशन व श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से 24 मार्च, 1977 को त्याग-पत्र दे दिया है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

विधि मंत्री।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2) के अन्तर्गत निम्नांकित अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955.

(2) राजस्थान बालक अधिनियम, 1970

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, यह साइक्लोस्टाइल्ड कापी है इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्वीकार की गयी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उन्तीसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि कार्य सलाहकार समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री **श्रीराम गोटेवाला ।**

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था ।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में मिल लीजिये ।

श्री गोपालसिंह ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए कल मैंने सदन में अभिभाषण में चुनावों में निष्पक्षता की जो बात कही गई उसके सम्बन्ध में कहा था । मैंने यह कहा था कि चुनाव सत्ता पक्ष द्वारा पुलिस की संगीनों की छाया में, वोटरों को भयभीत करते हुए कराये गये । मैंने यह भी कहा था कि सत्ता पक्ष वाले युवा पीढ़ी को विश्वास में नहीं ले पाये और उन्होंने दो ढाई साल पूर्व की जो वोटर लिस्ट बनी हुई थी उसको काम में लेकर युवा पीढ़ी को मत देने से वंचित कर दिया ।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भू-अभिलेखों के बारे में कुछ कहा गया । यह मैं मानकर चलता हूं कि भू-अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसको सदैव के लिए एक ताम्र पत्र नहीं मान सकते । यह तो एक डाक्युमेन्ट है जिसमें समय समय पर परिवर्तन और परिवर्धन होते रहते हैं । लेकिन इस प्रान्त में भू-अभिलेखों के बारे में राजस्थान सरकार ने जो कुछ किया है वह बहुत ही कम किया है । एक मायने में बहुत ज्यादा किसानों को परेशान किया जा रहा है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तीस-तीस वर्ष के पुराने नामान्तरण अभी तक नहीं भरे गये हैं । खातेदारी में दादा का नाम चला आ रहा है या पिता का नाम चला आ रहा है जिसको 15-20 वर्ष हो गए । यह भी सही है कि राजस्थान सरकार ने समय-समय पर इन अभिलेखों को पूरा करने का अभियान चलाया और अखबारों में छपाया । यह भी सही है कि कुछ प्रतिशत काम हुआ । मगर राजस्थान सरकार यह सोचती है कि इस काम को पूरा करना है तो निश्चित डाइरेक्शन देने चाहिये थे ताकि निश्चित अवधि में काम होता । उन सब अभियानों के बावजूद हजारों लाखों की तादाद में नामान्तरण के मामले अटके पड़े हुए हैं और गांवों में तहसीलदार, पटवारी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं । मैं इस मौके पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि इस बारे में कुछ करना है, निश्चित रूप से सरकार का करने का इरादा है तो सरकार

(श्री गोपालसिंह)

द्वारा पटवारी के स्तर पर ऐसे आदेश देने चाहिए कि हर दूसरे महीने वह गांव के सरपंच से यह सर्टिफिकेट प्राप्त करे कि उनके क्षेत्र में भू-अभिलेखों के नामान्तरण के मामले या ऐसे मामले, जो काश्तकारों के मामले हैं, अब कोई बकाया नहीं है। जब तक निश्चित रूप से यह रेस्पान्सिबिलिटी पटवारियों और गिरदावरों पर सरकार नहीं रखेगी, नहीं डालेगी तब तक मैं यह नहीं मान सकता कि यह राजस्व के अधिकारी किसी निश्चित समय में भू-अभिलेखों को पूरा कर देंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जवाब के समय मन्त्री महोदय इस बात को कहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिजों के सर्वे के बारे में भी इस अभिभाषण में कहा गया है। यह दूसरी बात है कि सर्वे का कुछ काम हुआ भी है। राजस्थान में बहुत भण्डार हैं और जितना सर्वे हुआ है मैं समझता हूं कि वह बहुत नाकाफी है। इस प्रान्त की बहबूदी यहां के मिनरल्स को एक्सप्लोर करने पर निर्भर करती है। खेती के बाद यदि दूसरे किसी साधन से इस प्रान्त का आर्थिक सुधार हो सकता है तो मैं मानता हूं वह खनिज पदार्थ हो सकते हैं। सरकार ने इस ओर जो ध्यान दिया वह काफी नहीं है। अभी बहुत कुछ करना है। अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि 207 प्रधान मिनरल्स के पट्टे दिये गये, 27 अप्रधान खनिजों के पट्टे दिये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस सरकार अपने आपको समाजवादी कहती है और अपने आपको इस दिशा में हिन्दुस्तान के सब प्रान्तों में अगुआ बताती है, इसको मैं कहना चाहूंगा कि ये जितने खनिज पट्टे दिये जाते हैं उनको देते समय यह ध्यान रखें कि ये पट्टे समाज के कमजोर वर्ग को दिये जाते हैं या नहीं? तथ्य तो यह है कि अब तक जितने पट्टे दिये वे धनी-मानी लोगों को दिये गये। इस प्रान्त के ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि एक एक आदमी को 20-20, 25-25, 30-30 पट्टे दिये हुये हैं। यदि यही पट्टे देते समय माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देते और उनकी यह नीति रहती कि कमजोर वर्ग के लोगों की हालत सुधारनी है तो ये पट्टे को-आपरेटिव सोसायटीज को, मजदूरों की सोसायटीज बनाकर देते तो पिछड़े वर्गों को कुछ लाभ होता। ऐसा उदाहरण नहीं है कि राजस्थान सरकार ने ये पट्टे देते समय आम आदमी का खयाल रखा हो। एक-एक खान के मालिक का एक ट्रक पत्थर निकालने में जहां 20 रुपये से ज्यादा का खर्चा नहीं होता—लाइम स्टोन आदि का, वे उसी माल का 125 रुपये प्रति ट्रक लेते हैं। हमारे देश के खनिज भण्डार हैं उनका एक तरह से शोषण यह सरकार करवा रही है। यह समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। सरकार अब भी इसमें कोई सुधार करे तो उचित ही होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में सिंचाई विभाग के कार्यों के बारे में भी कुछ कहा गया है। मैं इस सत्र में कई बार इस बात पर जोर दे चुका हूं कि हम इस बात से ना नहीं कर सकते कि जहां जिस तरह के सोर्सेज हों, जो जिस इलाके के लिए पोटेन्शियल हों, वैसा काम वहां पर हो लेकिन इसके साथ ही साथ इस सरकार का बहुत बड़ा जिम्म:

Page No 4

(५)

(श्री गोपाल सिंह)

है कि जितने भी सोर्सेज उपलब्ध हैं उनका उसी तरह से प्रयोग किया जाय। दक्षिण राजस्थान में पानी ज्यादा है, नदियां ज्यादा हैं, सिंचाई के कार्यक्रम वहां ज्यादा चलते हैं-मुझे उससे गिला नहीं है। लेकिन उत्तर और पश्चिम राजस्थान में जहां कहीं भी जितना भी पानी प्राप्त होता है—राजस्थान सरकार को देखना चाहिये कि स्थानीय तौर पर उस पानी को रोका जाय ताकि उस जिले में सिंचाई हो सके। सीकर जिले में खेडली के आसपास से नदी बहती है और आगे चलकर बीकानेर के पास जाकर सूख जाती है। इस पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। मैंने बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि इस पानी को बड़े बंधे के रूप में रोका जाय तो बहुत अच्छा हो। यदि ऐसा नहीं किया जाय तो छोटे-छोटे बंधों में सारे पानी को रोका जाय तो जो श्री माधोपुर से लेकर हरियाणा के बीच की बेल्ट है वह हमारे प्रान्त का नेक्स्ट हरियाणा बन सकता है। लेकिन इस ओर कदम नहीं उठाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि सरकार इस प्रान्त के सब भागों के लिये चिन्तित है और इस प्रान्त के सर्वांगीण विकास का जिम्मा अपने ऊपर लेती है तो निश्चित तौर पर इस दिशा में कदम उठाना चाहिये।

इतना ही कह कर मैं आशा करता हूं कि जब सरकारी पक्ष की ओर से जवाब आये तो जो कुछ मैंने मुद्दे रखे हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल।

(अनुपस्थित)

श्री नानालाल।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है, उसके बारे में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हुआ है और जो प्रगति हुई है उसके बारे में काफी विस्तारपूर्वक बताया गया है। मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुए जो कुछ बातें, त्रुटियां रह गयी हैं उनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने गरीबों की भलाई और जो पिछड़ा वर्ग है उसकी भलाई के लिए जो कार्यक्रम बनाया वह बहुत ही महत्वपूर्ण था किन्तु कुछ त्रुटियां इस प्रकार की रह गई हैं जिनके कारण आज जनता में भारी असंतोष फैला हुआ है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो त्रुटियां रह गई हैं उनका आपको तत्काल, अविलम्ब सुधार करके इसी सदन में घोषणा करनी होगी, जनता को राहत पहुंचाने के लिए आपको कार्य करना होगा और जनता को सुविधाएं देनी होंगी।

कृषि-वाणिज्य कर में कल जैसा बताया, आपका जो लक्ष्य था उसको आप पूरी तरह नहीं पा सके। आपने जो वाणिज्य कर लगाया या उसमें छोटे काश्तकार को भी शामिल कर दिया, उसे छूट नहीं दी। कम-से-कम 5 एकड़ तक उसमें छूट देना जरूरी था। यह त्रुटि रहने के कारण काश्तकारों में असंतोष व्याप्त हुआ।

इसी तरह कई पुराने सैकड़ों वर्षों से जमीन पर नाजायज कब्जे चल रहे हैं उनके खिलाफ 91 की कार्यवाहियां बराबर चल

(श्री नानालाल)

रही हैं इसके कारण भी जनता में असंतोष फैल रहा है। सौ-सौ, पचास-पचास वर्षों के कब्जों पर जो 91 की कार्यवाहियां चल रही हैं उनको कम से कम समाप्त करना बहुत जरूरी था। आज जनता में असंतोष के कारण यही हैं और कोई कारण नहीं हैं।

छोटी-छोटी त्रुटियों और छोटी-छोटी बातों के कारण असंतोष फैलता है इसलिए राज्य सरकार को इन बातों को देखना पड़ेगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इन छोटी-छोटी बातों की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। चरागाह की जमीन पर जो कब्जा कर चुके हैं और जिनका कब्जा है और बाकी जो कब्जे रेग्युलेराइजेशन करने काबिल हैं उनको रेग्युलेराइज करना चाहिये। यह पंचायतों को अधिकार दे देना चाहिये। वे उनकी सिफारिश करते हैं यह जमीनें चरागाह की हैं तो वे उनको मिल जानी चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

सैटलमेंट के मामले को लेकर भारी असंतोष है। सैटलमेंट जब हुआ उसमें प्रभावी व्यक्तियों ने कई जमीनें अपने नाम करवा लीं और गलत इन्द्राज हो गया। इस कारण आज परेशानी उठानी पड़ रही है। हर आदमी कोर्ट में जाता है अपने नामान्तरण कराने के लिए किन्तु बराबर न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन मामलों को देखना होगा, यदि सैटलमेंट गलत हुआ है तो आपको एक अभियान के तौर पर उन सारी चीजों को देखना होगा गलतियों को मिटाना होगा जो कि सैटलमेंट के द्वारा हुई हैं।

मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि शामलाती खातों पर सरचार्ज लगा रहे हैं। यह बहुत छोटी चीज है। शामलाती खातों पर सरचार्ज लग जाता है, अलग अलग बंटवारा नहीं है इसलिए एक ही खाता मानकर सरचार्ज लगाया जाता है। इसलिए राज्य सरकार को भी देखना होगा। इस प्रकार के आदेश करने होंगे कि यदि शामलाती खाता है तो अलग अलग खातों के हिसाब से मानकर सरचार्ज की अगर छूट मिल सकती है तो वह छूट देना बिलकुल वाजिब है।

मेजा काश्त की भूमि पर जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनसे लगान वसूल कर लिया जाता है। जिन्होंने ऐसी जमीन के खातेदारी राइट्स ले रखे हैं जहां पानी भरा रहता है और कोई खेती नहीं होती है उनसे भी लगान वसूल किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में भी अपना सुझाव देना चाहता हूं कि उसका लगान माफ होना चाहिए क्योंकि वहां पानी भरा रहता है और खेती नहीं होती है। मेजा काश्त की जमीन हर वर्ष खाली होती है और हर वर्ष अलाटमेन्ट किया जाता है। अगर वह पांच साल के लिए अलाट कर दी जाये तो लोगों को बार बार अलाटमेन्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिनका कब्जा होगा वही उस पर काश्त करते रहेंगे। जब पानी सूख जाता है और वह काबिले काश्त नहीं रहती है तो लोगों की ऐसी भावना हो जाती है कि यह गलत बात हो गयी है। लोग सोचते हैं कि हम मेहनत करके जो भी प्रोडक्शन कर सकते थे वह नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं।

अकाल राहत के तहत सार्वजनिक कार्यों में कई जमीनें ले ली गयी हैं लेकिन राज्य

(श्री नाना लाल)

सरकार की तरफ से उनका मुग्रावजा तक नहीं दिया गया है। कहीं तो सड़कें बन गयी हैं ग्रौर कहीं पर नहरें बन गयी हैं, इन कामों के लिए लोगों की जमीनें ले ली गयी हैं लेकिन उनको ग्राज तक मुग्रावजा नहीं मिला है। इन बातों को लेकर लोगों ने समझा कि ग्रच्छे कार्य हो रहे हैं ग्रौर उन्होंने इनके ग्रन्दर किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली। उसका नतीजा यह हुग्रा कि जिन्होंने रुकावट डाली उनको तो मुग्रावजा मिल गया ग्रौर जिन्होंने ग्रच्छे काम की वजह से रुकावट नहीं डाली वह भरोसे में रहे कि जब रुकावट डालने वालों को पैसा मिल गया तो हमको भी मिल जायेगा लेकिन उनको मुग्रावजा नहीं मिला। तो मैं राज्य सरकार को, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी मार्फत यह निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का सर्वे कराकर जिनको मुग्रावजा नहीं मिला है उनको मुग्रावजा दिलाने का कष्ट करें।

नहरी क्षेत्र के ग्रन्दर नहरें निकाली गयीं ग्रौर सोचा कि यह ग्रच्छा कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ बुरा भी हो गया है। सीपेज से कई जमीन खराब हो गयी हैं। जो जो जमीन खराब हो चुकी हैं जिनमें काश्त नहीं हो सकती है ग्रगर लोग उसका मुग्रावजा लेना चाहें तो उनको मुग्रावजा मिलना चाहिए या उस जमीन का लगान माफ होना चाहिए। यह रियायत ग्रापको जरूर देनी होगी।

जो सीलिंग में भूमि ग्रा चुकी थी ग्रौर जिसको ग्रलाट कर दिया गया, या जिस जमीन का ग्रलाटमेन्ट होता है तो उसमें पहले एक ही हिसाब से पैसा वसूल किया जाता है। यदि उसका वर्गीकरण कर दिया जाये ग्रौर ग्रलग ग्रलग पैसा वसूल किया जाये जमीन की किस्म के ग्राधार पर तो भी लोगों को सहायता मिल सकती है।

ग्रावासीय भू-खण्डों के प्लाट ग्रलाट हुए हैं उन पर गरीब ग्रादमियों को मकान बनाने के लिए रुपया प्राप्त नहीं हो पाया है ग्रौर वह मकान नहीं बना सके हैं। मैं राज्य सरकार से ग्रनुरोध करता हूं कि कम से कम उनको थोड़ा रुपया भी ग्रगर ग्राप उपलब्ध करा सकें तो वह ग्रपने कच्चे मकान भी बना सकेंगे। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। गांवों में ग्रौर बड़े कस्बों में कृषि भूमि पर मकान बन गये हैं उनको ग्राबादी में लाने के लिए जरूर प्रयत्न करने चाहिए ग्रौर उनकी रेट्स फिक्स हो जानी चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां न हों।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत समितियों के तालाबों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। पंचायत समितियों ने जो तालाब ले लिये हैं पंचायतों द्वारा उनकी सिंचाई की दरें बेढंग से वसूल की जाती हैं। एक रुपये के बजाय 11 रुपये वसूल किये जाते हैं। ग्रतः मेरा ग्रनुरोध है कि ग्रगर वह तालाब पंचायतों को वापस सुपुर्द कर दिये जायें तो गांव वालों को राहत मिलेगी ग्रौर पंचायतों को भी फायदा होगा।

सिंचाई विभाग की तरफ से नालों पर एनीकट्स बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। जहां सिंचाई विभाग ग्रपनी रेवेन्यू के सोर्सेस को देखता है वहां तालाब बनाने की स्कीम वह बनाता है ग्रौर व्यवस्था करता है किन्तु यहां ऐसे नाले हैं जिनके ऊपर एनीकट्स बनाने से कुग्रों में पानी की

(श्री नाना लाल)
सतह बढ़ती है तो मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रावधान सिचाई विभाग में रखा जाये जिससे नालों पर एनीकट्स बन जायें और उनके जरिये लोगों के कुओं में पानी की सतह ऊंची हो जाये। इस बात की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में प्रगति के बारे में कहा है वह सराहनीय है। मैं अपने इन थोड़े सुझावों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय दे देंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय···

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय दे देंगे। आपको भी समय दे देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा नाम भी आ चुका था लेकिन मैं दूसरी जगह बैठा हुआ था। फिर असल में आज क्वेश्चन आवर की वजह से रह गये।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास लिस्ट है। आपको भी समय दे देंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस सन्दर्भ में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं वह सन्दर्भ और प्रसंग राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में एक ऐतिहासिक संदर्भ और प्रसंग है। ऐतिहासिक इसलिए है, अध्यक्ष महोदय, कि सारे विश्व में इस प्रकार की मान्यता बन गयी थी कि भारत में आपातकालीन स्थिति लागू होने के पश्चात् एक प्रकार से मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सारे राष्ट्र को एक विशद कारागार के अन्दर धकेल दिया गया था, शंकायें यह थीं कि अन्ततोगत्वा पूर्ण तानाशाही के रूप में इसकी इतिश्री होगी और लोकतंत्र में लोकशाही हमेशा के लिए समाप्त हो जायगी। परन्तु लोकसभा के चुनावों के अन्दर भारत की महान जनता ने जागरूकता बरती, जिस प्रकार से एक असम्भव कल्पना को सम्भव करके बताया, देश के महान लोकतंत्र को प्रस्थापित किया, एक प्रदेश या जिला नहीं बल्कि सारे देश के अन्दर जिस प्रकार से तानाशाही को समाप्त किया वह एक किसी पार्टी की नहीं, दल की नहीं, व्यक्ति की नहीं, बल्कि मैं कहूंगा, भारत की 62 करोड़ जनता की विजय है जिसके लिये भारत की महान जनता बधाई की पात्र है। बधाई के पात्र आज देश के महान नेता भी हैं जिन्होंने इस महान् लोकतंत्र के अन्दर भारत के नवीन निर्माण के लिये बागडोर अपने हाथ में ली है। और बधाई के पात्र हैं, अध्यक्ष महोदय, देश के वे महान राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी जिन्होंने पिछले 20 महीनों के अन्दर कठिन तपस्या के बाद, भीषण यातनायें सहने के बाद, आज देश को नई

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दिशा दी है । अध्यक्ष महोदय, शायद ही विश्व में किसी ने इस प्रकार की कल्पना की होगी कि एक तानाशाही स्थापित होने के बाद में इस प्रकार चकना चूर हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रसंग के ऊपर यदि हम दलों के दलदल से ऊपर उठ कर विचार करें तो इस लोकतंत्र की महान विजय के विजय-पर्व के ऊपर, तानाशाही से मुक्ति हुई इस मुक्ति पर्व के ऊपर, मनुष्यों को फिर से अपनी स्वतंत्र वाणी की स्वतंत्रता मिली ऐसे महान पर्व पर, चाहिये तो यह था राज्यपाल महोदय को कि शांतिपूर्ण चुनाव हुए, लोकतंत्र की महान विजय हुई इसको अपने अभिभाषण के अन्दर गौरवमय स्थान देते तो मैं समझता हूं कि यह राज्यपाल की स्वयं की महिमा के अनुकूल और सदन की महिमा के अनुकूल होता ।

अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात पर विचार करना होगा । हम इस महान पर्व से आंखें नहीं मूंद सकते कि भारत ने विश्व के अन्दर लोकतंत्र की जो छाप जमाई है उससे यह सिद्ध कर दिया है कि कुल मिला कर इस देश की धरती के अन्दर, गंगा और जमुना के अन्दर, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, 60 करोड़ जनता के हृदय के अन्दर लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र की भावना इतनी गहरी जमी हुई है कि विश्व की कोई शक्ति उसे समाप्त नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, दुःख का विषय केवल यह है कि इस अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों ने दलगत भावनाओं से प्रेरित होकर दलों से ऊपर उठने का प्रयास नहीं किया । विश्व के किसी भी राजनैतिक नेता ने भारत की इस महान विजय को इस प्रकार से छोटेपन, ओछेपन से, संकुचित दायरे से देखने का प्रयास नहीं किया। यहां तक कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री, जिन्होंने तानाशाही का रूप अपना लिया था, ने स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया है कि यह जनता का फैसला है और जनता के फैसले के सामने मैं नत मस्तक हूं । मैं इसे स्वीकार करती हूं और मैं समझती हूं कि यह लोकतंत्र के अनुकूल है । जिन्होंने हमेशा के लिये अपना स्थान खो दिया है और जो इतिहास के अन्दर हमेशा लोकतंत्र को समाप्त करने वाली तानाशाही प्रवृत्ति की प्रधान मंत्री के नाते देखी जायेंगी, कम से कम जाते समय यह कह कर उन्होंने लोकतन्त्र में आस्था प्रकट की, यह प्रसन्नता का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं बधाई देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने लोकसभा के अन्दर, केन्द्र में सत्ता को अपने हाथ में लिया है संकल्प लिया है महात्मा जी की समाधि पर देश की सेवा करने का । यह सदन और हम सब यहां पर जितने भी सदस्य हैं, चाहे किसी भी दल के हों, इस महान यज्ञ के अन्दर, जो राष्ट्र के लिये आवश्यक है, अपने स्वार्थ को छोड़ कर, राष्ट्र के अन्दर लोक-तन्त्र व समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिये सहयोग दें ।

अध्यक्ष महोदय, यह कहना उचित समझूंगा कि हमारे यहां पर राजस्थान के अन्दर राजस्थान की जनता विशेष रूप से बधाई की पात्र है जिसने 25 लोक सभाई क्षेत्रों में से 24 लोक सभाई क्षेत्रों में जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता कर भेजा और यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कितने

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

भी जुल्म किये जायें, चाहे कितने अत्याचार किये जायें, चाहे कितने प्रतिबन्ध लगाये जायें लेकिन अन्ततोगत्वा जो हृदय की भावना है उसको प्रगट होने से कोई रोक नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ के अन्दर देश के अन्दर इन्ट्रास्पेक्शन हुआ है क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी और एन्टी डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र और तानाशाही के बीच में संघर्ष हुआ है और लोकतन्त्र की विजय हुई है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य अपने हृदय में कम से कम इस बात के लिये प्रसन्न हैं कि हम भी जो बात कहना चाहते थे, अब कह सकते हैं। जबरन नसबन्दी के खिलाफ कुछ भी हृदय में था लेकिन आपातकालीन स्थिति के कारण अपनी वाणी पर तालाबन्दी होने के कारण व्यक्त नहीं कर सके चाहे पार्टी मीटिंग में कहें, चाहे विधान सभा में कहें। यह बात सत्य है और यही सबसे बड़ी लोकतन्त्र की विजय है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रसंग में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां एक ओर बधाई देना चाहता हूं वहां दूसरी ओर मैं निवेदन करूंगा कि जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, अत्याचार हुए हैं वे भविष्य में न हों इसके लिये प्रावधान करना चाहिये। इसलिये मांग करूंगा कि आपातकालीन स्थिति के दौरान राजस्थान में चाहे पुलिस के द्वारा ज्यादतियां की गई हों, चाहे कर्मचारियों के द्वारा की गई हों, जितनी ज्यादतियां और जुल्म हुए हैं, चाहे पुलिस स्टेशन के अन्दर मारपीट के रूप में, यातनाओं के रूप में या जबरदस्ती नसबन्दी के रूप में, या कम्पलसरी रिटायरमेंट के रूप में जो भी जुल्म हुए हैं उन सबकी जांच एक आयोग के द्वारा की जाये। इस जांच आयोग की स्थापना राज्य सरकार करती है तो मैं समझता हूं कि आज लोकतांत्रिक सिद्धांतों में अपना विश्वास प्रकट करती है। मंत्री महोदय हमारे कहते हैं और कई नेताओं ने कहा कि हमने जुल्म नहीं किये, जो कुछ किया कर्मचारियों ने किया। अपने सिर से बर्डन शिफ्ट किये जाने का प्रयास किया जा रहा है और सत्य को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका पर्दाफाश होना चाहिये, किसने किया और क्यों किया। आपातकालीन स्थिति के दौरान जो जुल्म-ज्यादतियां हुई हैं उसकी जांच की मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस सदन के अन्दर कुछ लोगों द्वारा आर. एस. एस. के बारे में भी कहा गया। स्वयं भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले, नए प्रधान मंत्री को चार्ज देने के पहले प्रतिबन्ध हटाया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य संस्थाओं के ऊपर से। लेकिन आज फिर उसके बावजूद यहां पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने गांधीजी की हत्या की। इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि क्या हम आज भी इस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा कर और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते रहेंगे। स्वयं प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया, इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्रतिबन्ध लगाना गलत था। जनता ने वर्डिक्ट दे दिया, क्लियर मैंडेट दे दिया फिर भी लकीर के फकीर बने रह कर इस तरह की गलत बातें करते रहें, क्या यह उचित है ? आज भी इस प्रकार के आरोप लगाना क्या उचित है ? अध्यक्ष महो-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या किसी भारतवासी के लिये राष्ट्रीय गीत गाना, "नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि" पाप है ? क्या अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना पाप हो गया है ? क्या अपनी मातृ-भूमि को प्रणाम करना जुल्म हो गया है ? यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय यज्ञ में आहुति देना चाहे तो यह गुनाह हो गया ? आज दिल्ली के इमाम ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ साम्प्रदायिक नहीं है। इमाम ने स्वयं ने इस बात का पर्दाफाश कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ न फिरकापरस्त जमात है और न साम्प्रदायिक है। एलानिया तौर पर हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने साफ तौर पर सब जगहों पर कहा ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से समर्थन किया है और सारे देश में जिस प्रकार से समर्थन मिला है वह स्पष्ट है· · · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब दिल्ली के इमाम साहब प्यारे हो गए हैं क्या ?

श्री गुमानमल लोढा : केवल वोट प्राप्त करने के लिये, मुसलमानों के वोट अपनी जेब में रखने के लिये मुसलमानों को गुमराह करने का जो तीस वर्षों से षड्यंत्र सत्तारूढ़ दल द्वारा किया जाता रहा है उसको मैं आज दोहराना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूगा कि हमने पिछले बीस महीनों के अन्दर न्यायपालिका को चूर चूर कर दिया। हमारी ज्युडिशियरी का सत्यानाश कर दिया। एक ने जिनका सुपरसेशन नहीं किया, दो तीन जजों ने सुपरसीड कर दिया उनको जनता ने चुन कर भेजा है लोक सभा में। आप अन्दाजा लगाइये कि जिसको आप सुपरसीड करते हैं, लाखो मतदाताओं ने उनको मत दिया है, अन्नदाता और मतदाता ने उनको चुन कर लोक सभा में भेजा है। उनको सुपरसीड इसलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान मंत्री के फैसले में डिफरेंट ओपिनियन दी। हेगडे को सुपरसीड किया गया, खन्ना साहब को सुपरसीड किया गया और बेग साहब को बना दिया। यह सब काण्ड बीस महीने में किया गया। विश्व में जो भारत की इंडिपेंडेंट ज्युडिशियरी का स्थान था, स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में विश्व में जो देश का गौरवमय स्थान था उस को समाप्त कर दिया गया। मुझे खुशी है कि भारत की जनता ने उनको चुन कर ज्युडिशियरी की सुप्रीमेसी स्थापित कर दी और भारत में पुन: ज्युडिशियरी की सुप्रीमेसी आई है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं · · ·

(11.43 म. पू)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

इसी प्रकार से ज्युडिशियरी को डी-मोरेलाइज करने की कोशिश की गई। दिल्ली में बैठे हुए कुलदीप नैय्यर का फैसला हुआ और उसके कारण सिक्किम में बैठे हुए जज को राजस्थान में भेजा गया। मध्यप्रदेश में एक फैसला हुआ। मीसा के एक्ट के अन्दर बन्द किए हुए एक व्यक्ति को रिहा कर दिया, लेकिन जिलाधीश महोदय ने रिहा नहीं किया तो कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट में उसको सजा दी मध्य प्रदेश के जज ने। जिलाधीश को इस बात का गुस्सा था कि मीसा एक्ट में इस प्रकार की कार्यवाही जिलाधीश ने की और उसके खिलाफ कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही इस

(श्री गुमानमल लोढा)
आपातकालीन स्थिति में करने की हुज्जत की, इसलिए उनको राजस्थान भेज दिया गया। हाई कोर्ट के एक जज ने यहां मीसा में नजरबन्द एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रान्तीय संघ संचालक श्री रस्तोगी के लिए आज्ञा दे दी कि उनको कोर्ट में पेश करो, इसलिए उनको मध्यप्रदेश भेज दिया गया। यह क्या तौर तरीका है। आज भारत की जनता ने बता दिया कि आपने जो कुछ किया वह अन्यायपूर्ण था, वह सब कानून के खिलाफ था। जिस प्रकार से कानून की हत्या की गई ज्युडिशियरी की हत्या की गई, भारत की जनता उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है। यह वर्डिक्ट आज भारत की जनता का है और मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार और भारत की सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। सबक इस बात का कि हमें ज्युडिशियरी की सुप्रीमेसी को पुनः स्थापित करना है। इस देश में मान्य जीवन मूल्यों को, राष्ट्रीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करना है। हमारे कान्स्टीट्यूशनल मूल्यों को पुनर्स्थापित करना है। ज्युडिशियरी की साख को कायम करना है। धारा 145 और 144 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो कानून होगा वह सुप्रीम होगा और हमें उसको पुनर्स्थापित करना है। इस प्रकार से काले पानी भिजवा देना, इस प्रकार से डी-मोरेलाइज करने का प्रयास करना, इस प्रकार से कमिटेड ज्युडिशियरी बनाने का प्रयास करना उसकी इंडिपेन्डेंसी को समाप्त करना जिस प्रकार से बाबू जगजीवनराम जी ने कहा था, एक फीयर साईकोसिस क्रियेट की गई है। आज वही फीयर साईकोसिस समाप्त हो गई है और देश की जनता ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि फीयर साईकासिस समाप्त की जाय। 19-20 महीने में जो लोगों को कारागाह में डाल कर डी-मोरेलाइज किया गया, कहीं पर छापे मार कर, किसी को जेल में बन्द करके, किसी को कम्पलसरी रिटायर करके, किसी को ट्रांसफर करके, सब प्रकार से डी-मोरेलाइज करके काले कानूनों के आधार पर आपने निश्चित रूप से 19 महीने तक राज किया लेकिन इस 19 महीने के राज के कारण आपने 190 साल तक राज करने के अधिकार को समाप्त कर दिया है। जनता ने आपको बता दिया है कि आपको राज करने का अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं. इस समय इस बात की आवश्यकता है कि राजस्थान सरकार को भी स्पोर्ट्समैन स्प्रिट से विचार करना चाहिए। आज जब कि आर.एस.एस. पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया है, कई जगहों पर आर. एस. एस. के कार्यालय बन्द हैं। मैं कल अजमेर गया था, वहां मैंने देखा कि आर. एस. एस. का कार्यालय बन्द है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक लालाजी रामशरण चार दिन से चक्कर लगा रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था लेकिन अभी तक उनको नौकरी पर नहीं लिया जा रहा है। आदर्श विद्या मंदिर जैसी आदर्श संस्था ने जयपुर का ही नहीं राजस्थान का नाम शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा किया, एकेडेमिक फील्ड में, अनुशासन के फील्ड में नए कीर्तिमान स्थापित किए, उसके बाद भी उसकी सारी सम्पत्ति को जब्त कर उस पर ताला लगा दिया गया था। आज भी उसको वापस करने में, उसकी सम्पत्ति वापस लौटाने में कोताई कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। उसके टीचर्स मारे-मारे फिर रहे हैं। उनके घरों में चूल्हा जलना बन्द हो गया था, बच्चे इधर-उधर मारे-मारे भटकते फिर रहे हैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लेकिन उनको री-इंस्टेट नहीं किया जा रहा है। सारे कम्पलसरी रिटायरमेंट के केसेज को रिव्यू करना चाहिए। जिन लोगों को इस इमर्जेन्सी के दौरान विक्टेमाइज किया गया है उनको न केवल रेस्टोर करें बल्कि उनको कम्पन्सेट करना चाहिए। इस प्रकार के जो अन्याय किए गए हैं उनको समाप्त करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पीपुल्स वर्डिक्ट आया है, राजस्थान सरकार को उसको स्पोर्ट्समैन स्प्रिट से फेस करना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस के बन्धु इसको स्वीकार करते। अब तक जनता ने वर्डिक्ट दिया और तीस साल तक आपके पक्ष में वर्डिक्ट दिया लेकिन अब जनता ने दूसरा वर्डिक्ट दिया तो फिर अपने आपको री–एस्टेब्लिश करें, अपने में सुधार लायें, जनता की भावना के अनुकूल, जनता की मान्यता के अनुसार जनतंत्र को पुनःस्थापित करें, रूल आफ ला को पुनःस्थापित करें, तो फिर से सता में आ सकते हैं। लेकिन आज भी वास्तविकता को नहीं मान कर यह कहना कि हमारा तो विधान सभा में बहुमत है, आज भी यह कहना कि यह वर्डिक्ट तो पूंजीपतियों का वर्डिक्ट है यह जन भावना का आदर नहीं करना है और यह निन्दनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के समय में हमें राजस्थान के अन्दर अपने तरीके से क्या करना है इस पर विचार करना चाहिए।

राज्यपाल महोदय ने बहुत कुछ बातें कही हैं मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, एक दो मोटी बातों पर निवेदन करूंगा। हर क्षेत्र का महत्व बना रहे, हर क्षेत्र का महत्व कम न हो, आपको इसका प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा कि जयपुर में आपने राजस्थान हाई कोर्ट की खण्ड पीठ स्थापित की। मैं इस विवाद में पडना नहीं चाहता कि विधान सभा का प्रस्ताव था उसके ऊपर प्रधान मंत्री का क्या निर्णय हुआ। यह तो कभी अध्यक्ष महोदय बतायेंगे, मुख्य मंत्री बतायेंगे अपने भाषण में कि उनका निर्णय भी आया या नहीं, या और कोई तरीके से कार्यवाही हुई। कम से कम उसको छोड़ दिया जावे तो भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अपेक्षा करूंगा कि आपने यह घोषणा की थी कि राजकीय उपक्रम जोधपुर में स्थापित किया जावेगा, वूलन मिल लगाई जायेगी। मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि जोधपुर में शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा, वहां पर लेबर ट्रिब्यूनल का एक हिस्सा भेजा जाएगा, सर्विस ट्रिब्यूनल वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा और कुछ डिपार्टमेन्ट्स को भेजा जाएगा लेकिन हुआ क्या ? 31 जनवरी, 1977 की घोषणा के बाद में जयपुर में बैंच प्रस्थापित हो गई लेकिन जोधपुर के अन्दर आज तक एक भी विभाग नहीं भेजा गया। एक भी राजकीय उद्योग नहीं लगाया। एक भी ट्रिब्यूनल नहीं भेजा गया। क्या इस प्रकार उपेक्षा करके, राजस्थान के अन्दर क्षेत्रीय विषमता पैदा करके एक क्षेत्र जनता को क्या इस बात के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि वह न चाहते हुए भी अखण्ड राजस्थान की सुन्दर कल्पना को खण्डित करे और आउट आफ फ्रस्ट्रेशन इस प्रकार की मांग करे। पश्चिमी राजस्थान की उपेक्षा भी आती है तो इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा ? क्या इसकी कल्पना राजस्थान सरकार नहीं कर रही

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है ? मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि चुनाव के पूर्व घोषणा की गई थी कि चुनाव के बाद करेंगे, चुनावों के बाद निर्णय करेंगे। बेंच का निर्णय होने के बाद यह कहा था कि ये सारे महकमे भेजेंगे। लेकिन वह नहीं भेजे गये हैं। यह प्रश्न जयपुर और जोधपुर नगर के बीच का नहीं है। आपने अपनी घोषणाओं के द्वारा जनता को जो आश्वासन दिया है उसको आप पूरा नहीं कर सके हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जन आक्रोश बढ़ता है। आज मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय इस प्रकार की घोषणा करें। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो जन आन्दोलन होगा और जनता उठ खड़ी होगी। आपको जन आक्रोश को फेस करना होगा। जनता ने वर्डिक्ट आपके खिलाफ दिया है फिर भी आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, इससे बढ़कर कोई दुखद स्थिति नहीं हो सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप धमकी दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने सुना नहीं, माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कह रहा हूं, आप धमकी दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : आप इस मामले में जो समझें। यह धमकी नहीं है, जनता निश्चित रूप से आक्रोश के कारण आन्दोलन करेगी। अच्छा हो आप घोषणा कर दें।

जोधपुर नगर में राजेन्द्र गहलोत नाम का एक लड़का है। आपातकालीन स्थिति में पुलिस द्वारा उसे पकड़ कर बिजली के करेण्ट लगाकर उसको बेतों से मारा गया। मैंने आई. जी. को शिकायत की लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। चुनाव में जनता ने कहा, एक एक बेंत के खिलाफ दस दस मत आये। वह उनके खिलाफ आये हैं। आपातकालीन स्थिति में जुल्म और ज्यादतियों की क्यों जांच नहीं की जाती है ? मन्त्रिमण्डल ने स्वयं लिखित और अलिखित में सहयोग दिया है अन्यथा कोई कारण नहीं है कि उनको सजा नहीं दें। इसी प्रकार से नसीराबाद में मांगीलाल और दूसरे विद्यार्थी थे। सर्दी की रात में पुलिस स्टेशन में उनको नंगा करके व ठण्डा पानी डाला गया। जिस प्रकार से आप देश द्रोहियों को डील कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप अपने व्यक्तियों को डील कर रहे हैं। इसी प्रकार से झुन्झुनू और सीकर में हुआ है। घनश्याम तिवारी नाम का एक एडवोकेट सीकर से झुन्झुनू गया। वह पेशी पर गया था। उसको बुलाकर पी.पी. कोर्ट में बन्द कर दिया गया। एडवोकेट्स के सामने उसको मारा पीटा गया। उसको बेहोश करके डाल दिया गया। ये जोर-जुल्म की घटनाएं हुई हैं। 15 अगस्त, 1975 को स्टेडियम में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। लादूराम गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने नारा लगाया "आपातकालीन स्थिति समाप्त हो।" पुलिस के लोग उस पर टूट पड़े। बेड़ियां डाल कर उसको बाजार में घुमाया गया। जंगली कानून की तरह से उसके आधे बाल काट दिये, आधी मूंछ काट दी और उसको बाजारों में घुमाया। जनता ने कहा हमको इसका बदला लेना है। सरकार ने जो जोर

Page No 14

(१५)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जुल्म किये हैं इसका बदला देने का एक ही तरीका है कि इन ज्यादतियों से छुटकारा लें। अजमेर जिले में डी. आई. आर. में जो कैदी आते थे तो उनको तनहाई में डाला जाता था। मुझे भी पहली बार भयंकर यातना दी। तनहाई में किसको डाला जाता है ? तनहाई में उसको डाला जाता है जिसको फांसी का हुक्म हुआ हो। या उनको डाला जाता है जो बड़े डाकू हों। छोटे छोटे बच्चों को तनहाई में डाला जाये। इन जुल्म और ज्यादतियों की जांच के लिए हमने जांच आयोग की मांग की है। यह मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो जन आन्दोलन होगा। सरकार को इसे मानना पड़ेगा। तीन तीन सौ विद्यार्थियों को निकाल दिया गया क्योंकि दो साल पहले किसी जन आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया था। जोधपुर में 2, 3 अक्टूबर, 1974 को फूड मार्च किया गया था। उस मार्च में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। उसके कारण जुलूस निकला। उसके कारण 400–500 आदमी आज भी मुकदमों की पेशी में जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि देश के अन्दर जो एक शान्तिपूर्ण आन्दोलन था, जनतन्त्र को प्रस्थापित करने का आन्दोलन था, समग्र क्रान्ति का आन्दोलन जैसा कि बाबू जयप्रकाश नारायण ने कहा था···

श्री विजयसिंह : 42वें संशोधन पर जब बोले थे तो उस वक्त क्या हो गया था ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उस वक्त तो तनहाई से घबराकर माफी नामा लिखकर आ गये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह झूंठ है। कोई माफीनामा नहीं लिखा। उस वक्त का तो आपको भी मालूम है। स्वयं कांग्रेस के व्यक्ति भी स्वीकार करते हैं व कहते हैं कि विरोध नसबन्दी का हम इसीलिए नहीं कर सके क्योंकि हमारी जुबान पर ताला-बन्दी थी। 42 वें संशोधन पर मैं क्या बोलता।

श्री सज्जनसिंह : आप तो यहां थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बाबू जयप्रकाश नारायण और बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि फियर साइकोसिस था·····

(व्यवधान—अश्रव्य)

आप स्वयं पीडित थे। स्वयं आप कहेंगे और आपके दूसरे साथी कहेंगे। अब कहेंगे, जो बात आप नहीं कह सके हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आब्जेक्टिव रूप में लेना चाहिए। जहां तक संविधान संशोधन की बात है, तो प्रिएम्बल और सेकुलेरिज्म में किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन जहां तक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाया और सी. आर. पी. को दूसरी स्टेट में भेजने का किया है उस पर निश्चित रूप से पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

(समय—समाप्ति—सूचक घण्टी)

शान्ति से विचार करेंगे तो आप भी सहमत हो जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थिति में इस बात पर पुनः विचार करना होगा कि राज्य और केन्द्र के रिश्ते आपस में प्रेम के रहें। एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करें भले ही वहां पर जनता पार्टी की सरकार हो या यहां पर कांग्रेस की सरकार हो या कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की मिली जुली सरकार हो। सबको मिल-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कर काम करना चाहिए। जहां तक आज देश के अन्दर सिद्धान्तों का प्रश्न है, जनता पार्टी ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। कांग्रेस हमेशा समाजवाद की बात करती आई है, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा समाजवाद की बात करती आई है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सैद्धान्तिक रूप से कोई बहुत बड़ा मतभेद अब नहीं रहा है। मैं समझता हूं विश्व के अन्दर समाजवाद के प्रति आस्था जनतान्त्रिक कारणों से बढ़ती जा रही है यह उसी का कारण है कि समस्त दलों ने समाजवाद को स्वीकार किया है। उसका स्वरूप क्या हो, उसका इम्प्लीमेन्टेशन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उसको प्रयोग में लाया जाय यह बात दूसरी हो सकती है। यहां तक कि जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में भी जनता को सभी कानूनी अधिकार दिलाने की मांग की है व सम्पत्ति को मौलिक अधिकारों में समाप्त करने का कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि बात अब पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में नहीं है, बात यह नहीं है कि कौनसी ताकत किन किन उसूलों को लेकर आये, लेकिन बात केवल जनतन्त्र और तानाशाही के बीच में है और निर्णय भी उसी के ऊपर हुआ है जो जनता ने दिया है। इसलिए हम सब एक होकर केन्द्र में जिसको जनता का वर्डिक्ट है उसको स्वीकार करें। एक सच्चे भारतीय जनतन्त्र का रूप उभर सके इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में हमें किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी चाहिए चाहे इधर बैठे हुए हों या उधर बैठे हुए हों। आज समय आ गया है, आज इस बात का तकाजा है कि हम अपने भेदभावों को भुलाकर भारत की 60 करोड़ जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करें। अगर नही करते हैं तो वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ। यह बात अवश्य है कि जनता की अपेक्षाएं जो 1971 में गरीबी हटाओ के नारे से बढ़ी थीं, उससे बहुत अधिक हैं। यदि हम इस वर्डिक्ट को पूरा करने में कोताही करते हैं तो हमको बख्शा नहीं जायगा, यह बात निश्चित है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मजदूर, कर्मचारी, किसान, कमजोर वर्ग और आम आदमी के जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाय और इसके लिए जो भी करना आवश्यक हो वह किया जाय।

अभी यहां पर कहा गया और मैं भी कहता हूं कि किसानों की बिजली की दर 13 पैसे से 30 पैसे कर दी गई है। गरीब किसान जो अपने खून और पसीने से कड़ा परिश्रम करके अन्न का उत्पादन करता है, उसकी बिजली की दर बढ़ा दी गई है। मैं राज्य सरकार और मुख्य मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि किसानों के लिए जो बिजली की रेट 30 पैसा रखी गई है उसको कम करके 15 पैसे कर दिया जाय।

इसी प्रकार से जिन पर ज्यादतियां की गई हैं, अन्याय किये गये हैं उनको रिड्रेस दिया जाय और उनको रिड्रेस देने का प्रयत्न किया जाय। इसी तरह से जो क्रिमिनल केसेज लगाये गये हैं विद्यार्थियों पर, जोधपुर में चार सौ, पांच सौ केसेज लगाये गये हैं उनको विथड्रा करना चाहिए चाहे राजकुमार हो, पन्नेसिंह,

(श्री गुमानमल लोढा)

सोहन मेहता हो या राजेन्द्र चौधरी हो, और कोई हो। उनको पेशियों के सिलसिले में बीस बीस बार आना पड़ता है, यह अत्याचार नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई छोड़कर, विश्वविद्यालय छोड़कर उनको यहां आना पड़ता है और मजबूर हो कर के उनको पेशी देने के लिए आना पड़ता है। केसेज वापस लेने चाहिए। उनका जुर्म क्या है? 2 अक्टूबर को उन्होंने फूड मार्च किया और 'जयप्रकाश जिन्दाबाद' के नारे लगाये, राशन को लेकर आन्दोलन किया। इसलिए मैं इस सदन से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन पर जो भी अन्याय और अत्याचार हुए हैं उनको इमीजिएटली रिड्रेस दिया जाना चाहिए। जब आपने प्रतिबन्ध कई संस्थाओं से हटा लिए हैं तो उन इन्स्टीट्यूशन्स को खोल देना चाहिए। जैसे मैं आदर्श विद्या मन्दिर का ही केस लूं। ऐसे बहुत से मामले हैं, अब समय आ गया है, पीपुल्स वर्डिक्ट आ गया है, आपको उन्हें ऐड देना वापिस चालू कर देना चाहिए और जनमत के सामने नतमस्तक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मालूम है। श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : अब बैठ जाओ।

श्री नाथूराम : छठी लोक सभा का इस वर्ष ऐतिहासिक चुनाव हुआ और शान्तिपूर्वक हुआ। हमें खुशी है कि यह जो चुनाव हुए पूर्ण रूप से शान्तिपूर्ण वातावरण में हुए। पिछले वर्ष का राज्यपाल महोदय ने हाउस में जो लेखा-जोखा रखा है उसके बारे में मैं निवेदन करता हूं कि पिछले वर्ष में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, जैसे गरीबी हटाने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम और पांच सूत्री कार्यक्रम हुए। संकटकालीन स्थिति में हमारे देश में अनुशासन लाने के लिए कदम उठाये गये उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन इनमें जो भी खामियां रही हैं उनके बारे में मैं निवेदन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी हटाने के लिए रखा लेकिन उन गरीबों के पल्ले बहुत कम पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार के कानून बनाये, भूमि सुधार के कार्यक्रम में हमारी राजस्थान सरकार सभी प्रान्तों से आगे रही लेकिन इन कानूनों का पालन नहीं हुआ और गरीबों का शोषण हुआ है, ताकतवरों ने उसका फायदा उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार कानून के सम्बन्ध में मैं संक्षेप में बताऊं कि जैसे आज राजस्थान में उदयपुर डिवीजन में सैंकड़ों आदिवासी लोग पहाड़ों में रहते हैं 31 दिसम्बर, 1971 के पूर्व से उनमें से जिन भूमिहीनों ने नाजायज कब्जा कर रखा है उनको कानून के अनुसार खातेदारी अधिकार होने चाहिए थे लेकिन वे गरीब लोग पटवारियों को पैसा नहीं दे सके इसलिए उनकी रिकार्ड में एन्ट्री नहीं हुई। भूमिहीन काश्तकार इसलिए उस कानून का फायदा

(श्री नाथूराम)

नहीं उठा सके और जो ताकतवर लोग थे जिन्होंने जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया फिर भी पटवारी लोगों को पैसे देकर रिकार्ड में एन्ट्री करवा ली और उनको ही कानून का फायदा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, हजारों आदिवासी आज भी भूमिहीन हैं। हमारे यहां राजस्थान में क्या हुआ? बीस सूत्री कार्यक्रम का पालन तो हुआ लेकिन प्रेक्टिकली देखा जाय तो उन गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी लोगों में आज भी हजारों ऐसे भूमिहीन हैं जिन पर आज भी पैनेल्टी लग रही है। मैं आपको बताऊं कि एक बाप के चार बेटे थे, उनके पास 25 बीघा जमीन थी उसका बंटवारा तो हो गया लेकिन रिकार्ड में नहीं होने से वे भूमिहीन में नहीं आ सके और उन पर पैनेल्टी लगा दी गई।

गरीब किसान थे और जो लघु कृषक थे, उनके कर्ज तो माफ कर दिये लेकिन उनके ऊपर जो सरकारी कर्जा था दस बस साल पहले का उसको आगे चलाते रहे और ब्याज पर ब्याज लग कर तीन गुना, चार गुना और पांच गुना वह हो गया। इधर उनको अनियों ने कर्जा देना बन्द कर दिया वहां पर लोगों को कई तरह से परेशान करके कर्जा वसूल किया गया।

इसी तरह से मेड़बन्दी दुष्काल में सरकार ने कराई, यह कार्य सरकार ने गरीबों को रोजी देने तथा उत्पादन कार्य बढ़ाने के लिए कराया। अब जो अनियमित हैं उनसे वसूलियां होनी शुरू हो गई। 300–400 रुपया मूल है। 10–12 साल में सरकार ने वसूली नहीं की और एक साल में 10 गुना सूद जोड़ कर वसूल किया है। किसी से दो हजार, किसी से पांच हजार की वसूली हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, उन गरीबों को जिंदा रखने के लिए सरकार ने मेड़बन्दी कराई इसलिए जो कर्जा सूद के साथ हजारों रुपए सरकार सख्ती से वसूल कर रही है उसके लिए मुख्य मंत्री इस सदन में घोषणा करें कि उनका कर्जा माफ हो जाना चाहिए नहीं तो किसान उठ नहीं सकते।

इसी तरह उन आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों ने इस तरह की ज्यादतियां की हैं। आज कई कर्जे ऐसे हैं जो सख्ती से वसूल हो रहे हैं, चाहे सहकारिता का कर्जा हो, चाहे रेवेन्यू का कर्जा हो, वह सब सख्ती से वसूल हो रहे हैं। उसको रोक कर जो वाजिब है, वही वसूल करना चाहिए और बाकी का माफ करने की घोषणा करनी चाहिए।

इसी तरह से आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादतियां हुई हैं। सरकार ने तालाब और सड़कें बनाईं, आदिवासियों की जमीनें उस कार्य में आ गईं लेकिन आज भी उन गरीबों से लगान वसूल किया जा रहा है। इसलिए जो जमीनें तालाबों में आई हों या सड़कों में आई हों, उनके लगान में कमी करनी चाहिए नहीं तो गरीब किसानों पर सरासर ज्यादती होगी।

इसी तरह से आज इरिगेशन की कई रेट्स ऐसी हैं जिनके कारण गरीब किसानों के साथ अन्याय हुआ है। एक किसान सरकारी इरिगेशन के तालाब से पानी लेता है तो एक पानी पर 16) रु. पर बीघा है और उसी के पास में लिफ्ट इरिगेशन है,

(श्री नाथूराम)

बांसवाड़ा जिले में नदी नाले से लिफ्ट से पानी लेते हैं, तो 30) रु. एक पानी के लेते हैं। हमने जिलाधीश के ग्राफिस में, जिला विकास कमेटी में निर्णय लिया कि किसान एक एकड़ पर गेहूं पैदा करता है तो 850) रुपया खर्चा ग्राता है जब कि पैदावार होती है 800) रुपये की। इसलिए सरकार की जो रेट्स हैं वे ऐसी बना रखी हैं जिनमें संशोधन करना चाहिए नहीं तो किसान लिफ्ट का पानी नहीं ले सकेगा ग्रौर लाखों रुपये जो लिफ्ट पर लगे हैं वे बेकार जायेंगे। पंचायतों के छोटे-छोटे तालाबों के एक-एक पानी का एक रुपया लिया जाता था, अब 11) रुपये कर दिए हैं और छोटे-छोटे तालाबों से भी ज्यादा रकम ली जा रही है। इसलिए जो छोटे-छोटे तालाब पंचायतों के पास में हैं उनके लिए पहले की रेट्स के हिसाब से वसूल करना चाहिए।

इसी तरह से डूंगरपुर बांसवाड़ा में कडाना बांध के लिए हमेशा सदन में मैं बोलता ग्राया हूं, वहां ज्यादतियां हुई हैं। किसी के बाप के नाम से खाता है ग्रौर लड़कों के नाम ग्रलग-ग्रलग बंटवारा हुग्रा है लेकिन मुग्रावजा किसी दूसरे को दिया है। एक के नाम खाता है, उसको मुग्रावजा दिया गया है ग्रौर जो जमीन पर काबिज है, उसको मुग्रावजा नहीं दिया जा रहा है। कडाना बांध के पुनर्वास में डूंगरपुर बांसवाड़ा में 200 गांव ग्राए ग्रौर हमारी सरकार गुजरात से जमीन नहीं ले सकी, यह सरकार की कमजोरी है। पहाड़ियों की जो मिट्टी है, वह बांध में जाएगी। इस कारण बांध मिट्टी से भरेगा ग्रौर बांध जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार को कडाना पुनर्वास में गुजरात से जमीन लेकर लोगों को बसाना चाहिए था लेकिन वह बसा नहीं पा रही है। छोटी-छोटी पहाड़ियों की जमीन एलाट की गई है। जो भूमिहीन लोग थे, वे रह गए। बांसवाड़ा जिले में कई ग्रादिवासी भूमिहीन ऐसे हैं। जो पहले जमीन थी वह निकल गई ग्रब कडाना पुनर्वास में लोगों को जमीन देने की कोशिश की लेकिन जो स्थानीय भूमिहीन हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं उनमें से 50 पुनर्वास में ग्राते हैं लेकिन भूमिहीन लोगों को एक बीघा जमीन भी नहीं दी। मेरा निवेदन है कि जो केबीनेट का निर्णय है उसमें संशोधन करें ग्रौर भूमिहीन जो ग्रादिवासी हरिजन हैं उन लोगों को भूमि दें, नहीं तो गरीबों के साथ ग्रन्याय होगा। उपाध्यक्षजी, पब्लिसिटी बहुत होती है लेकिन मौके पर गरीबों को ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए। कडाना पुनर्वास का जो 200 गांवों का सैटलमेंट हुग्रा, वह रिकार्ड उदयपुर में पड़ा हुग्रा है। सैटलमेंट ग्रधूरा हुग्रा। ग्राज गरीब किसान बैंक से कर्जा लेना चाहता है तो किसान कर्जा नहीं ले पाता क्योंकि पुराना सैटलमेंट रिकार्ड सारा उदयपुर में है। मैंने सरकार को कई बार लिखा लेकिन सरकार ग्राज तक उस रिकार्ड को नहीं मंगा सकी है। उसको मंगा कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना चाहिए ताकि गरीब किसान कुग्रा खोदने के लिए, कुए पर इंजिन या बिजली लगाने के लिए कर्जा ले सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं संक्षेप में बताता हूं। ट्राइबल सब-प्लान करोड़ों रुपए का था। न

(श्री नाथूराम)
मालूम कितना रुपया मिला, सही स्थिति मालूम नहीं हुई है। मुझे मालूम हुआ है कि 1974 से लेकर आज तक ट्राइबल सब-प्लान पर खर्चा चल रहा है। बड़ी-बड़ी पोस्ट्स कायम कर दी हैं। मैंने पहले सुझाव दिया था कि ट्राइबल सब-प्लान को लागू करने से इन जातियों को फायदा मिलना चाहिए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हजारों लड़के ऐसे हैं जो बी. ए., एम. ए. पढ़े हुए हैं लेकिन आज उस सब-प्लान में किसी नवयुवक को नहीं लगाया। ठीक है राज्य सरकार ने भीखाभाई को अध्यक्ष बना दिया लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है वे मीटिंग भी नहीं बुला सकते हैं। इसलिए आज मेरे क्षेत्र में समाज कल्याण मंत्री या वन मंत्री को इन आदिवासियों को समझना है तो आना चाहिए और समझना चाहिए कि ट्राइब्स के लोग क्या चाहते हैं। वे सूखी जमीन में पानी चाहते हैं, वे बेरोजगारी मिटाना चाहते हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कम से कम किसी भील बच्चे को उच्च ट्रेनिंग के लिए भेजा है? समाज कल्याण विभाग ने भी नहीं भेजा है। इसलिए आज भीलों के उत्थान के लिए बातें ज्यादा करते हैं लेकिन प्रेक्टिकल कुछ नहीं करते हैं।

आपातकालीन स्थिति में, मैं मानता हूं, देश में अनुशासन आया है, कई तरह कि हड़तालें होती थीं वे बन्द हुई हैं। देश में अनुशासन आया लेकिन इसके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने अत्याचार किए। सरकार को उनकी जांच करनी चाहिए। पिछले साल एक गांवा गांव जो कि गढ़ी तहसील में है, में एक ब्राह्मण बालिका का मर्डर हुआ लेकिन डी.वाई. एस. पी. व थानेदार सब व्यक्ति मिल कर 30 हजार रुपये हजम कर गये और मर्डर केस बिगाड़ दिया। थानेदार व सब दूसरी जगह मर्डर हुआ उसमें भी हजारों रुपए खा गए और उस केस को आउट नहीं होने दिया।

इमर्जेंसी में ज्यादतियां हुई हैं, पुलिस ने अत्याचार किए हैं। लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह है सहकारी ऋणों के बारे में। यह बात तो सही है कि सहकारी समितियों द्वारा ऋण बांटा गया है और लाखों रुपया बांटा गया है लेकिन इन सहकारी समितियों में जो ऋण बांटा गया है वह गरीबों को नहीं बांटा गया है। मैं खास तौर से मेरे क्षेत्र बांसवाड़ा की सहकारी समितियों के बारे में निवेदन कर रहा हूं। जो भी ऋण बंटा है वह कई जगह केवल कागजों में ही बंटा है जब कि होना यह चाहिये था कि उस इलाके के गरीब आदिवासी लोगों को पैसा मिलता। इसलिये मेरा सरकार से यह निवेदन है कि राज्य सरकार इसमें जो दोषी हैं उनको सजा दे।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, वनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(श्री नाथूराम)

अभी थोड़ा सा निवेदन करके समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

मेरा निवेदन यह है कि आदिवासी क्षेत्र में आज जो वनों को नष्ट किया जा रहा है उनकी रक्षा की जानी चाहिये। दूसरे आदिवासी लोगों को जमीनें दी जानी चाहिये।

अब थोड़ा मैं परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय कार्य है यह होना भी चाहिये। लेकिन जो काम अभी पिछले वर्ष में परिवार नियोजन के लिये किया गया है, जो कार्य 20 सालों में होना चाहिये था वह सिर्फ चार महीने में राजस्थान सरकार ने कर डाला। उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से बांसवाड़ा इलाके की हालत तो यह हुई है कि वहां पर 90 प्रतिशत गरीब आदिवासी लोगों की परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी कर दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के आदिवासियों की परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी कर देने से कई लोग तो मर गये हैं। मेरे पास इसके उदाहरण मौजूद हैं जिसमें बेचारे आदिवासी नसबन्दी के कारण मर गये हैं। वहां पर यह हुआ कि सरकार ने सख्ती की कलेक्टर पर, कलेक्टर ने नसबन्दी के लिये कर्मचारियों पर सख्ती की और फिर गांवों में नसबन्दी का विशेष जोर होना शुरू हो गया। अगर कोई कर्मचारी नसबन्दी के केस नहीं ला सकता था तो उन कर्मचारियों की चार-चार महीनों तक तनख्वाहें बन्द कर दी गयीं। कई मामलों में तो ऐसा हुआ कि कई महिला कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह लेने के लिये पैसे देकर नसबन्दी के केसेज लाने पड़े। उनको अपनी जेब से पैसे खर्च करके केस लाने पड़े।

एक माननीय सदस्य : अब तो नसबन्दी करवाने का नाम नहीं लेंगे।

श्री नाथूराम : आप तो कुछ नहीं कर सके।

श्री मूलचन्द सामरिया : हम क्या तुम तो कुछ भी नहीं कर सके।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने टार्गेट तो पूरा कर दिया लेकिन टार्गेट को डबल करने के लिए कर्मचारियों पर बहुत ज्यादती की। अभी थोड़े दिन पहिले मुख्य मन्त्रीजी ने फर्माया कि नसबन्दी करने के लिए जिन कर्मचारियों ने ज्यादती की है उनके खिलाफ में कार्यवाही की जावेगी। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो ज्यादतियां हुई हैं और जो अत्याचार हुए हैं उनके लिए कमीशन बैठा कर दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जाना चाहिए। इन सभी की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उन लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में गांव खरेवेडा तहसील गढ़ी में एक हुमा नाम का आदिवासी व्यक्ति था उसकी नसबन्दी 9 तारीख को की गई। उसकी हालत बिगड़ गई और 18 तारीख को ज्यादा हालत खराब होने पर उसको रेवेन्यू इन्सपेक्टर और पटवारी डिस्पेन्सरी ले जा रहे थे और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।

(श्री नाथूराम)
आज हालत यह है कि उस गरीब आदिवासी की बेवा और उसके छोटे-छोटे बाल बच्चे रो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि कमीशन बैठा कर जांच करके ऐसे मामलों में लोगों को आर्थिक फायदा दिया जाना चाहिए। इसी तरह कर्मचारियों के साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए भी जो दोषी अधिकारी हैं उनको भी दण्ड देकर शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का सरकार द्वारा जवाब दिया जावे तो मैंने जो सुझाव दिये हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार को कार्यवाही करने की घोषणा करनी चाहिए।

चूंकि समय कम है इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपना भाषण इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

श्री भीमसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम बोलने के लिए दिया हुआ है। आप भूलें मत जाना।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय ने इस वर्ष जो लोक सभा के चुनाव हुए हैं जो कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के आदेश से हुए, अगर इन चुनावों को विरोधी पक्ष नतीजों के आधार पर ही अपने जीतने का आधार मानता है तो मैं हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के उस निर्णय को एक ऐतिहासिक निर्णय मानता हूं। अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनाव कराने का निर्णय नहीं लेतीं, अगर वह चुनाव नहीं करवातीं, अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रजातान्त्रिक पद्धति में विश्वास नहीं रखतीं, अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रजातान्त्रिक तरीकों से जो चुनाव के रिजल्ट आये उनके अनुसार फैसला नहीं किया होता तो आपको इन चुनावों के परिणामों का गर्व नहीं होता, आपको गर्व करने का अवसर ही नहीं मिलता। श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रजातन्त्र में विश्वास था और है। कांग्रेस पार्टी का प्रजातन्त्र में विश्वास है। भारतीय जनता ने जो फैसला किया है उसको श्रीमती इन्दिरा गांधी ने माना। यहां पर कल माननीय सदस्यों ने, विपक्ष वालों ने कहा था कि इमर्जेन्सी के दौरान लोगों को बोलने का हक नहीं था, कोई नहीं बोल सकता था। मैं उन माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधान सभा में मैं बोला था। विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि यहां एक प्रकार का फिअर साईकोसिस था। मैं कहता हूं कि यहां कोई फीअर साईकोसिस नहीं था। स्वयं का साईकोसिस था। एक बुजुर्ग सदस्य श्री गुरदयालसिंह सन्धु ने सदन में अपने भाषण के दौरान यह कहा कि चुनावों के जो

(श्री सज्जनसिंह)

परिणाम आये हैं वह यह बताते हैं कि जनता का कांग्रेस में अविश्वास है और जनता में भारी असन्तोष है। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण नेगेटिव वोट है। उसके लिए यह भी कहा गया कि लोगों की नसबन्दी की गयी। लेकिन मैं आपको यहां यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अगर आप नेगेटिव वोट का कारण सिर्फ फेमिली प्लानिंग के कार्यक्रम को ही मानते हैं तो कहलवा दीजिये अपने भारत के प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी भाई देसाई से, कहलवा दीजिये अपने नेता श्री चरणसिंह से, कहलवा दीजिये अपने लालकृष्ण आडवानी से और कहलवा दीजिये अपने अटल बिहारी वाजपेयी से, जो कि आपके नेता हैं उनसे कहलवा दीजिये कि नसबन्दी को बिल्कुल बन्द कर दिया जाय और यह राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है। यह घोषणा उनसे करा दीजिये।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : मैंने तो नसबन्दी का जिक्र ही नहीं किया था।

श्री चेतराम : आप शायद भावावेश में कह गये होंगे।

श्री सज्जनसिंह : मैंने तो पहले इतना ही कहा था कि यह जो असन्तोष है उसके कारण नेगेटिव वोट हैं। मैं तो अब कह रहा हूं कि कहला दीजिये आपके नेता प्रकाशसिंह बादल से कि फेमिली प्लानिंग के कारण नेगेटिव वोट था। प्रकाशसिंह बादल से इसके विरुद्ध में सरकारी घोषणा करवायें। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि मोरारजी भाई ने कहा था कि प्रोहीबिशन शराब पर लागू करेंगे। उन्हें कहें कि प्रोहीबिशन को लागू करें, पूरे देश में प्रोहीबिशन लागू होना चाहिये। फिर आप चुनाव करा करके देखना। जब यह बात मैं कहता हूं तो मुझे एक मारवाड़ी का दोहा याद आता है।

पान झड़न्ता देख कर हंसदी कुपलियां
मोह बीती सों बीतसी धीवी बापड़िया।

आप लागू करके देखें। सिर्फ घोषणा ही नहीं करें अगर आप बहादुर हैं तो फिर चुनाव करके कामयाबी हासिल करके बतावें। हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा ने तो जनता के फैसले को स्वीकार किया। मैं भी स्वीकार करता हूं। उनका प्रजातान्त्रिक पद्धति में विश्वास है। यह इसका प्रमाण है। उन्होंने चुनावों की घोषणा की, चुनावों की पद्धति प्रजातान्त्रिक देशों में होती है। अगर श्रीमती इन्दिरा गान्धी प्रजातान्त्रिक तरीकों में विश्वास नहीं रखतीं तो चुनाव नहीं होते। चुनावों की घोषणा को मानने के बाद भी अगर आप प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी को तानाशाह कहते हैं तो अब चाहें विधान सभाओं के चुनाव भी करा लें। इस हवा में आप शायद आ जावें। लेकिन यह ध्यान में रखें··

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : बिलकुल ध्यान है।

श्री सज्जनसिंह : तो फिर ठीक है। कोशिश कीजिये कि जल्दी चुनाव हों। हवा का लाभ उठाने की कोशिश कीजिये।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : जल्दी वाली बात तो मैंने नहीं की।

श्री सज्जनसिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि चुनावों की

(श्री सज्जनसिंह)
उपलब्धियों की राजस्थान विधान सभा के विरोधी पक्ष इतने जोश खरोश से बात करते हैं यह उचित प्रतीत नहीं होती है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसको एक ऐतिहासिक चुनाव कह कर, स्वीकार करके उपलब्धि इस बात को बतायी गयी कि शान्ति से और व्यवस्थित ढंग से, निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाये गये। इसमें आपको कोई एतराज हो तो बताइये। इसमें कोई गलती बतानी थी तो बताते। लेकिन इस बात का ढोल पीटते हैं कि इसको हम स्वीकार नहीं करते।

माननीय उपाध्यक्ष, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सीलिंग से उपलब्ध भूमि के वितरण के ऊपर बहुत जोर दिया गया है और आंकड़े बताये गये हैं। मैं एक गणित का विद्यार्थी रहा हूं। आंकड़ों की उलझन में मैं विश्वास नहीं करता। उपलब्धि मैं यह मानता हूं कि कितनी भूमि अधिगृहीत की और कितनी भूमि कितने भूमिहीनों को बांटी। मैंने एडी से चोटी का जोर लगाया, सांडेराव और दूजाना में जहां जुल्म और ज्यादती करने वाले जो जनता पार्टी के लोग लट्ठ के बल पर, शराब पीकर, गरीबों के मुंह में से रोटी छीनने वाले हैं उनको दबा कर उनसे मैंने ली और उनसे छीन कर गरीबों में वितरण करने का काम मैंने किया। आपने लट्ठ बजा कर, शराब पीकर, गुण्डागर्दी करके उनको वोट देने जाने नहीं दिया। नहरी जमीन को हमने उनको वितरित करवाया। 10 बीघा जमीन नहरी जमीन थी, सरदार साहब नहरी जमीन को जानते हैं कि उसका क्या मूल्य है, वह जमीन गरीबों को, भूमिहीनों को, अनुसूचित जाति और जन जाति को मैंने बांटी।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : बिलकुल नहीं बांटी, बिलकुल नहीं बांटी, बिलकुल नहीं बांटी। सरकार तुम्हारी है इसलिये कह रहे हो।

श्री सज्जनसिंह : यह आपका अनुभव होगा पदमपुर का। भूमि बांटने में, पट्टे बांटने के मामले में आप बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं कह रहे हो इसको मैं मानूंगा नहीं।

अर्ज मैं यह कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के कानून के विषय में मुझे एक आपत्ति है। हमने पहले कानून बनाया जिसको हमारे अधिकारी ओल्ड लॉ बताते हैं। फिर एक नया कानून बनाया जिसको न्यू लॉ बताते हैं हमारे अधिकारी। ओल्ड लॉ में भी केस को रिओपन करने का अधिकार है और न्यू लॉ में भी रिओपन करने का अधिकार है। बहुत केसेज हैं जिनको ओल्ड और न्यू लॉ में रिओपन किया गया है। एक आदमी को अनेकों बार पेशियों पर घूमना पड़ता है। यह लॉ की अनोमोली है। यदि रिओपन करना है तो चाहे ओल्ड केस में करिये या न्यू केस में करिये, यह डेमोसिल्स सोर्ड काश्तकारों पर लटका रखी है। जो व्यक्ति अपने आपको इससे मुक्ति पाये हुए मानते हैं एक दिन उनको नोटिस मिलता है कि आपका केस ओल्ड केस में रिओपन किया जा रहा है और थोड़े दिनों बाद नोटिस मिलता है कि नये लॉ में रिओपन किया जा रहा है। ओल्ड और न्यू लॉ को हाई कोर्ट में चैलेन्ज भी किया था। यह एक अनोमोली है इस फेक्ट को रिकग्नाइज करना चाहिये, इसको रिकग्नाइज करने के बाद उस एनोमोली को मिटा दीजिये

(श्री सज्जनसिंह)
जिससे उनको राहत मिलेगी और यह श्रोल्ड और न्यू लॉ का भेदभाव मिट जावेगा।

मैं भेड़ ऊन पालकों का जिक्र इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पढ़ रहा था तो वे लोग याद आये जो राजस्थान से निष्कासित मालवे में दर-दर भिखारियों की तरह से खानाबदोश की जिन्दगी बिताते हुए घूमते फिरते हैं। वहां पर उनको एक दूसरे देश का नागरिक माना जाता है। वहां पर उनको एक रात से दूसरी रात कोई टिकने नहीं देता। राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है कि आप लाखों रुपया खर्च करके चरागाह भूमि की व्यवस्था करेंगे। जो अधिकारी हैं वे केवल किताबी नोलेज रखते हैं, ऊंची से ऊंची तनख्वाह पाते हैं, शहरों में बंगलों में रहने के सिवाय जानते कुछ नहीं, चार दिन सिनेमा न देखें तो बीबी का दम घुटने लगता है। टी. वी. आज जयपुर में हो तो अधिकारियों की टी. वी. फिट कराने में दौड़ लगी हुई है ये गरीब की हालत समझ नहीं सकते। केवल 'गरीब' शब्द सीखा है जिसका प्रयोग करना जानते हैं। पढ़े लिखे हैं इसमें संदेह नहीं। सरकार गरीबों की हालत सुधारने की बात करती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि दर-दर से भिखारी बन कर खानाबदोश की जिन्दगी जी कर भेड़ ऊन पालक नागदा और रतलाम में ऊन बेचते हैं उनका क्या कर रहे हैं? आज तक क्या किया और भविष्य में क्या करने जा रहे हैं? यह आपने नहीं बताया केवल यह बता देंगे कि भेड़ ऊन के लिये इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। पैसा आपका गाड़ियों पर खर्च होगा, पैट्रोल पर खर्च होगा और टी. ए. और डी. ए. में खर्च होगा। अधिकारियों के दौरे और उनके ऐश-आराम में खर्च होगा। उस गरीब को फायदा नहीं मिलता। यह विदित होना चाहिये, यह जो डवलपमेंट आफ पाश्चर लैंड फोर शीप मेन्शन किया है in the Speech of Governor उसको देख लीजिये। यह अन्दाज लगाइये कि एक गांव में 50 बीघा जमीन डवलप कर दी तो पांच सौ या हजार भेड़ उस जमीन में कैसे अपनी गुजर बसर कर लेंगी? स्कीम यह बननी चाहिये कि जो खानाबदोश व्यक्ति हैं, रतलाम और मध्य प्रदेश में भेड़ों को लेकर बैठे हैं उनको आप एड दें, उनकी ऊन सही भाव में बिकवायें। उनकी ऊन भीगे नहीं और गंदी न हो, इसके लिये मोबाइल यूनिट लगाकर व्यवस्था करते तो समझ में आता। यह जो प्लान बनते हैं, स्कीम्स बनती हैं या पैसा खर्च करने का प्रावधान होता है ये काल्पनिक बातें हैं, भावनायें हैं इनसे संतोष नहीं होता है। यदि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भेड़ पालकों के लिये कोई कन्स्ट्रक्टिव बात बतायी होती तो विश्वास होता। अर्नेस्टली, ओनेस्टली और अर्लियेस्ट पोसिबल समझ कर इन हालात को सुधारने का विचार रखें।

मान्यवर, एक सेलियन्ट पोइन्ट की मैं इस भाषण में और अपेक्षा करता था वह था प्राथमिक शिक्षा के बारे में। इस सदन का हर माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानता है कि पंचायत राज्य के गठन के बाद प्राथमिक शिक्षा का बंटाधार हो गया। अध्यापक मेन्यूपुलेट करके समय पर स्कूल नहीं खोलते। पढ़ायी नहीं होती खेल-कूद न करें बच्चे और इधर-उधर न जायें इसलिये उनको एक जगह बैठा लिया जाय इससे अधिक कुछ नहीं होता। अध्यापकों का यदि ट्रांसफर कर दिया जावे तो विभिन्न मेन्यूपुलेशन करके वापिस ट्रांस-

(श्री सज्जन सिंह)
फर कैंसल करवा लेते हैं। मैं जिला प्रमुख हूं, कितना घोटाला प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर हो रहा है इसको अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने पिछले सदन में भी यह निवेदन किया था कि पंचायत डिपार्टमेन्ट को वाइन्ड अप कर दिया जाय और वापिस इन स्कूलों को एजूकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाय। एजूकेशन डिपार्टमेंट को कहते हैं लेकिन कौन सुनता है उनकी दुर्दशा के बारे में। जब गांवों और शहरों के स्कूलों की बात सोचते हैं, आदर्श विद्यालयों नाम के विद्यालयों की सोचते हैं तो दुःख होता है इस बात का कि गांव का गरीब आदमी, झोंपड़ी में रहने वाला आदमी ऐसी उच्च शिक्षा, पब्लिक स्कूल की शिक्षा, मेयो कालेज की शिक्षा, प्रिन्सिपल्स कालेज की शिक्षा कहां से दिलवा सकता है। इन अधिकारियों के बेटे, पोते और उनके बेटे बराबर ऐसी शिक्षा पायेंगे। यह अधिकारी अपने अधिकार को यों का यों रखेंगे, वह गरीब आदमी यों का यों गरीब रहेगा, यों का यों पिछड़ा हुआ रहेगा, यों का यों उपेक्षित रहेगा और यों का यों अभिशप्त रहेगा। इसलिए मैं अपेक्षा करता था प्राथमिक शिक्षा के बारे में। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा के लिए यह भी कहा है कि हमारी गुणात्मक उपलब्धियां हैं। गुणात्मक उपलब्धियां आपने हायर लेवल पर की होंगी लेकिन विलेज लेवल पर, प्राईमरी लेवल पर कुछ नहीं हुआ है। इस बात की तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि आपको इस मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मसले के बारे में और निवेदन करना चाहता था जिसको भी मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं पाया। पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं इनको हमने हिम्मत और हौसले से राजस्थान में स्वीकार किया था लेकिन उनमें लोग आज जागीरदार बने हुए बैठे हैं। मैं भी वहां प्रमुख बना लेकिन बना था केवल 3 साल के लिए। आपने मुझे 12 साल के लिए कैद में बैठा दिया। आपने मुझे ऐसा पंगु बना दिया कि वहां काम कुछ नहीं है और योजना कुछ भी नहीं है। केवल हम कहलाने के प्रमुख हैं, कहलाने के प्रधान हैं, कहलाने के सरपंच गांवों में बैठे हुए हैं और गांवों की दुर्दशा हो रही है। भूमि के पट्टे तहसीलदार बांटता है। पट्टे बांटने का अधिकार आपने छीन लिया, आप लगान स्वयं वसूल करते हैं, ग्रान्ट-इन-एड देते नहीं और पंचायतों की हालत खस्ता कर दी है। आपने उनको जागीरदार बना दिया, वह इजारेदार हो गए और लोग आज 12–12 साल से वहां बैठे हुए हैं जम कर। उनके भविष्य के मुतल्लिक भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैं आशा रखता था कि राज्य सरकार आने वाले वर्ष में कुछ निर्णय लेगी। इसका भी मुझे खेद हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उसका जिक्र तक नहीं किया।

अंत में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं वह है नसबन्दी वाली बात, वह है जुल्म वाली बात, वह है असन्तोष की बात, वह है कांग्रेस के विरोध की बात, वह है जनता को उद्वेलित और आन्दोलित करने वाली बात, वह है जनता पार्टी को वोट दिलवाने वाली बात। इस बात के लिए भी मैं आशा रखता था कि

(श्री सज्जन सिंह)
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होगा लेकिन खेद है, मान्यवर, सरकार ने इस मसले पर भी चुप रहना उचित समझा। आपने वसूलियां की हैं, उसमें जुल्म हुआ है, ज्यादतियां हुई हैं उनको हमने स्वीकारा है। आप हमें समय पर बिजली नहीं दें वह भी हमको स्वीकार है, आप हमारी कड़ी मेहनत का गेहूं लेकर इन लोगों को खिलायें, शहरी लोगों को खिलाये जो आपको पुरस्कार में वोट भी नहीं देते और उसके लिए आप हमको कम कीमत दें, 105 रुपये से आगे नहीं बढ़ें और हम दीवालिया होते जायें वह भी हमको स्वीकार है लेकिन जिस तरीके से और जिस अमानवीय तरीके से आपके अधिकारियों ने, आपके कर्मचारियों ने काम को किया है, व्यवहार किया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? या तो आपको स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से कि यह हमने किया है जैसा कि कल हरियाणा के मुख्य मंत्री ने अपनी विधान सभा में कहा है कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है लेकिन विरोधी जितना हल्ला करते हैं उतनी गड़बड़ी नहीं है, या आप इस बात का स्पष्टीकरण करते या आप यह स्वीकार करते कि कमीशन बैठा कर इसकी जांच करवा देंगे। इसमें आप कोई दिशा निदेश बताते कि आखिर आप इस विषय में क्या सोचते हैं ? हमारी सरकार का दृष्टिकोण राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अभी तक साफ नहीं हुआ है-इस बात का, मान्यवर, मुझे खेद है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि जब वह इस डिबेट का जवाब दे तो इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण से अवगत कराये ताकि यह भ्रांतियां विरोधी दल यहां सदन के अन्दर और सदन के बाहर जो फैलाने का प्रयत्न करते हैं उनका पर्दाफाश हो। इनकी हिम्मत और बहादुरी मैं राजस्थानी कहावत कहकर बताता हूं :

"पान झडंता देखकर, हंसी यूं कोपलियां,
मोह बीती सो बीतसी, भीवी बापड़ियां।"

वर्षा होने दीजिए, अकाल पड़ने दीजिए फिर उपलब्धियां करके बताइये। उसके बाद गौरव कीजिए। यह तो फैसला जनता का है और सरदार जी ने कल कहा ही था कि यह फैसला है यह हमारे प्रति असन्तोष का है। इस पर आपको गौरव करने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचंद सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है लेकिन जिस जोश और खरोश के साथ मेरे पूर्व वक्ता ने यह वातावरण बनाने की कोशिश की कि चुनाव करा देना ही श्रीमती इन्दिरा गांधी का जनतांत्रिक होने का प्रमाण है इसके बारे में मैं निवेदन करना उचित समझता हूं। सर्वप्रथम आपातकालीन घोषणा के बाद 20 सूत्र आये और फिर 5 सूत्र आये उनमें जो कुछ हुआ वह हुआ, जनता को कुछ हद तक अधिक भय हो गया था। ऐसे मौके पर जब कि पाकिस्तान में चुनावों की घोषणा हो गई थी और सारे देश के अलावा बाहर का वातावरण ऐसा हो गया था उसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी आपातकाल को अधिक दिनों तक कायम नहीं रख सकती थीं और रखतीं तो फिर कोई दूसरा रूप यह स्थितियां ले सकती थीं। इसके

(श्री मूलचन्द सामरिया)

बावजूद यह स्थिति थी कि इस देश के लोग बुरी तरह से डरे हुए थे और भयभीत थे, विरोधी दल के जितने भी बड़े नेता हैं वह जेल में थे और पार्टियां अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थीं। यह पार्टियां एक नहीं हो सकतीं इस आशा से यह घोषणा की थी। हम जितनी सीट लेना चाहें वह ले सकते हैं और लेकर रहेंगे –इसी उम्मीद में उन्होंने बहुत थोड़ा समय देते हुए धीरे धीरे विरोधियों को छोड़ा और कइयों को तो जेल के अन्दर से चुनाव लड़ना पड़ा। यह विरोधी एक नहीं हैं, केन्डीडेट्स का सलेक्शन नहीं हो सकेगा और अगर सलेक्शन हो भी गया तो इनके पास लड़ने के साधन नहीं होंगे इसलिए सबसे अच्छा मौका है, इस भयभीत जनता से वोट लेकर 6 साल के लिए मौका ले लेना चाहिए–इस आधार पर चुनावों की घोषणा की थी न कि देश में कोई जनतंत्र की हिमायत की थी। इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा की थी। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी जनतांत्रिक देश हैं उनमें ऐसा होता है और जनतांत्रिक नहीं हैं, तानाशाही हैं, उनमें भी चुनाव की घोषणा चलती है लेकिन सवाल यह है कि घोषणा किस वातावरण में, किस माहौल में की गई? श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकांत बरुआ यह फर्मा रहे थे, Indira is India and India is Indira., वे यह फर्मा रहे थे, तेरे नाम को सलाम, तेरे काम को सलाम। उनके सुपुत्र संजय कहीं भी जाते थे तो वहां के चीफ मिनिस्टर्स आगे पीछे होते थे। यह जनतंत्र है? जो चीफ मिनिस्टर 1½ 2 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है वह आगे पीछे होता था। करोड़ों रुपया खर्च होता था उसके सत्कार के लिये। लोगों को लाकर, ट्रकों में लाकर इकट्ठा करें उनको प्रसन्न करने के लिये और कहें कि आपके सारे प्रोग्रामों को हम घर घर बिगुल बजा कर पहुंचा देंगे। "बिगुल बजाना" तो मुहावरा है, घर घर तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बिगुल बजाने वालों की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर यह बरदाश्त कर लें यह उनका नहीं राजस्थान की जनता का अपमान है। जहां बम्बई में महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारा मार्गदर्शन किया था वहां इनके कदम और आगे बढ़े हुए हैं। क्रांति की जननी श्रीमती इन्दिरा गांधी और क्रांति के पूत श्रीमान संजय गांधी के टी. वी. पर प्रोग्राम होते हैं। प्रधान मंत्री का प्रोग्राम एक महीने के लिये बुक होता तो संजय साहब के लिये 1½ दो महीने के लिये बुक होता था। यह हालत थी इस देश की। देश में इमर्जेन्सी लागू करने से पूर्व क्या केबिनेट की मीटिंग होना आवश्यक नहीं? क्या चुनाव की घोषणा के लिए प्रधान मंत्री को केबिनेट की एप्रूवल नहीं लेनी चाहिये थी? श्री जगजीवनराम ने अपने इस्तीफे के बाद इसको फर्माया है। महज इसलिये किया कि 6 साल और पट्टा ले लूं हुकूमत करने का, जनता पर जुल्म करने का। यह जनतंत्र है? लेकिन जनता ने यह मौका नहीं आने दिया और आपकी हार हुई। इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि परिवार नियोजन की दुहाई दी है। परिवार नियोजन के अलावा भी कई जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। जिन मजदूरों ने लड़ झगड़ कर 8.33 बोनस की प्राप्ति को वह पूंजीपतियों से मिल कर समाप्त कर दिया। क्या यह गरीब-मजदूरों की हिमायती

(श्री मूलचन्द डागरिया)

सरकार है ? आपने अपनी एक कलम से उसको समाप्त कर दिया। उन गरीब मजदूरों के बच्चों को स्लेट पेंसिल मिलती थी किताबें मिलती थीं लेकिन आपने वह सब समाप्त कर दिया। क्या यह समाजवाद था ? क्या एक समाजवादी कदम था ? किसान के लिये 13 पैसे से 30 पैसे बिजली की दर बढ़ा दी गई। उनके ऊपर मनमाने तरीके से बिजली की दरें बढ़ा दीं। मीटरों में खुद गड़बड़ी की, सीलें तोड़ दीं लेकिन किसान को जिम्मेदार ठहरा दिया और कनेक्शन काट दिये। बिजली विभाग आज किसानों के लिये सबसे ज्यादा दुःख देने वाला विभाग है। क्या बिजली विभाग ने किसानों को परेशान नहीं किया ? क्या विद्युत् की दर बढ़ जाने से किसान परेशान नहीं हुआ ? मनी लैंडिंग कानून से क्या किसान परेशान नहीं हुआ ? किसान को लोन मिलना बन्द हो गया। बैंक से भी लोन नहीं मिला। इस तरह की स्थिति आपने किसानों की कर दी। बैल खरीदने के लिये लोन नहीं मिला, बैल खरीद नहीं सके। बैंकों के लोन की वसूली के लिए आपने देखा होगा, औरतों के पेटीकोट, औरतों के कब्जे ले लिये, लोगों की मूंछें काट दीं, नामर्द बना दिया। यह है आपका समाजवादी वसूली का तरीका। क्या इस बात से किसान खुश था ? क्या यह हार का कारण नहीं था ? भोजन बनाने का सामान और भोजन खाने का सारा सामान तक सी. पी. सी. दफा 360 में सरकार ने कुर्क कर लिया। क्या किसान को कम जलील किया गया है ? क्या यह परिवार नियोजन से कम था ? परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आप व्यक्तियों की नसबन्दी के लिए उनकी भावनायें जागृत कीजिये लेकिन यह क्या कि किसान अनाज बेचने आया तो उसको पकड़ लिया, हथकड़ी लगा दी और नसबन्दी करके छोड़ दिया ? यह क्या तरीका है ? मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि कर्मचारियों की गलती है उन्हें दण्डित किया जाये। कर्मचारियों का दोष कहां है ? मास्टरों की, पटवारियों की तनख्वाहें रोक दीं कि उन्होंने टार्गेट पूरा नहीं किया है। तहसीलदार और एस.डी.एम. की सी.आर. इसलिये खिलाफ लिखी गई कि इन्होंने कोटा पूरा नहीं किया। क्या इसको जनतन्त्र कहते हैं ? संजय साहब के पांच सूत्रों में से एक सूत्र परिवार नियोजन का था। 1।।। लाख के टार्गेट्स दिये क्योंकि संजय साहब को खुश करना था वरना सी. एम. नहीं रह सकते थे। दूसरी स्टेटों के सी. एम. भी घबराये हुए थे कि कहीं नन्दनी सतपथी जैसा हाल न हो। क्या यह जनतांत्रिक तरीका था ? जनतांत्रिक देश में 565 रजवाड़ों में क्या विजया राजे सिन्धिया और राजमाता गायत्री देवी को छोड़कर बाकी सब राजा महाराजा गरीब थे ? क्या सारे गरीब हो गये ? जो लोग आपके पक्ष में हों, वे सब गरीब हैं, समाजवादी हैं, प्रगतिशील हैं और जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया वे लोग चोर हैं, ब्लेक मार्केटियर्स हैं, धन छुपा कर रखा हुआ है। आज राजमाता गायत्री देवी को वहां रखा जहां क्रिमिनल्स को रखा जाता है। राजमाता गायत्री देवी अपना एक अस्तित्व रखती हैं। जिस भवानीसिंहजी को महावीर चक्र दिया गया, जिस महावीर चक्र से गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने उनको सम्मानित किया, उस व्यक्ति को ब्लेक मेल करने के लिए

(श्री मूलचन्द सामरिया)

ऐसी जगह रखा गया जिस जगह क्रिमिनल्स को रखा गया और उनको मजबूर किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है और आप स्वयं जानते हैं कि जो व्यक्ति चाय नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, दिन में आठ-आठ घण्टे तक भजन करता है उस आदमी ने गोली मार कर आत्म हत्या कर ली या उसकी हत्या कर दी गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आत्म हत्या की। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि वह आत्म हत्या कर ले। जिस व्यक्ति को खाने को नहीं मिले, जिसका टेलीफोन का कनेक्शन काट दें, बिजली का कनेक्शन काट दें उसे इस तरह से घेराव करके मजबूर कर दिया कि वह आत्म हत्या करे। जब यह घटना घटी, मैंने उस समय भी सरकार से निवेदन किया था कि इसकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है ? इन सब कारणों से ज्यादतियां हुई हैं और जनता के हर वर्ग के लोगों को नसबन्दी के मामले में और दूसरे मामलों में तंग किया गया। इसलिए जनता पार्टी जीती···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और कांग्रेस हारी। सबसे पहले श्री मोहनलालजी छंगाणी स्पोर्ट्समैन स्प्रिट से जनता के वर्डिक्ट को स्वीकार किया और उन्होंने माना कि हम राजस्थान की जनता की छाती पर बैठे हुए हैं जब कि जनता ने हमको ठुकरा दिया है। यह जनतांत्रिक तरीका है। यह कोई जनतांत्रिक तरीका नहीं है कि इन्दिरा गांधी कोर्ट में हार जायं तो इमर्जेंसी लागू करके उसको भुलाने की कोशिश करें। उन्होंने जनता के वर्डिक्ट को स्वीकार किया है इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। खेतसिंहजी बधाई के पात्र हैं, भैरवाजी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने जनता के फैसले को स्वीकार किया। अब मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब जनता का विश्वास उठ चुका है और जनता उनको नहीं चाहती है फिर भी उसकी छाती पर बैठ कर राज करना अच्छा नहीं लगता है और इससे भयंकर परिणाम भविष्य में सामने आयेंगे। इसलिए जनता के वर्डिक्ट को स्पोर्ट्समैन स्प्रिट से स्वीकार कर मुख्य मंत्री इस्तीफा दें, इससे ज्यादा अच्छा तरीका जनतांत्रिक नहीं है। राजस्थान में 25 में से 24 सीटें कांग्रेस के खिलाफ गई हैं और कांग्रेस बुरी तरह से हारी है तो आपको चाहिए कि आप इस्तीफा दें, दुबारा चुनाव करायें और जनता का आदेश लें। ऐसा नहीं हो कि जिस प्रकार इन्दिरा गांधी के लिए कहा जाता था कि Indira is India और India is Indira. उसी तरह की बात को कोई दोहराये तो उसको इस तरह के परिणाम भोगने पड़ेंगे। मुझसे पूर्व वक्ता ने हाई कोर्ट के बारे में कहा कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच कायम कर दी। इस प्रश्न पर राजस्थान की जनता को उत्तेजित करना चाहते हैं। मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित होने से जोधपुर की जनता में कोई दुर्भावना नहीं है। जोधपुर की जनता ने इसको स्वीकार किया है। कहीं पर भी पोलिटिकल मामला नहीं है। सरकार ने वास्तव में न्याय दिलाने में पहल की है और मैं इसके लिए गवर्नमेंट को बधाई दूंगा। मैं उन माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में जहां पर राष्ट्र के हित की बात हो, सारी स्टेट का हित हो जनता

(श्री मूलचन्द गामरिया)
को उत्तेजित नहीं करना चाहिए। यह तो जनता की बहुत पुरानी मांग थी जिसको सरकार ने पूरा किया है। इस मामले में जनता को उत्तेजित करके प्रान्त के वातावरण को खराब नहीं करना चाहिए, यह मैं निवेदन करूंगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशोरीलाल।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कृपापूर्वक अभिभाषण दिया है उसके लिए धन्यवाद देने को हमारे साथियों ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त करूंगा।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सर्व प्रथम चुनावों की चर्चा की। चुनाव हमारे देश के बहुत बड़े चुनाव थे और इस शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासित रूप से और निष्पक्षता से चुनाव हुए उसके लिए मैं हमारे देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को श्रेय देना चाहता हूं। आपको मालूम है जो अनुशासन और शांति 19 महीने पहले समाप्त हो गई थी, देश के अन्दर हमारे विरोधी बन्धुओं ने अनुशासन तोड़ा था, शांति भंग की थी चुने हुए लोगों से इस्तीफा दिला कर, चुनी हुई सरकारों को भंग करके। खनिज के अन्दर मजदूर काम कर रहे थे उनको भड़काया, देश के उत्पादन को कम किया, चारों तरफ अशान्ति पैदा की, मिश्राजी की हत्या की, विद्यार्थियों को भड़काया, उनकी जिन्दगी को बर्बाद किया। ये सारी बातें पैदा हुई। इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमारी, लोकप्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपातकालीन स्थिति घोषित की। आपातकालीन स्थिति से देश के अन्दर शांति कायम हुई, अनुशासन कायम हुआ, देश का उत्पादन बढ़ा, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और अमन शांति हुई। इसी का परिणाम है कि हमारे यहां चुनाव शांतिपूर्ण हुए और निष्पक्षता से हुए। हमारे विरोधी बन्धुओं ने चुनावों को ले करके चुनाव मैदान के अन्दर कई प्रकार के झूठे वायदे किए, झूठी अफवाहें फैलायीं खास तौर से नसबन्दी को ले करके। मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने कई प्रकार झूठे षड्यन्त्र, झूठी बातें लोगों के सामने रखीं। नसबन्दी प्रोग्राम राष्ट्रीय प्रोग्राम था। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि हमारी नई बनने वाली सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में, हमारी पार्टियों ने अपने घोषणा-पत्र में लिखा है, उसमें यह बात साफ तौर से बताई है कि देश के अन्दर परिवार नियोजन प्रोग्राम को लिया जाएगा। तो फिर इस प्रकार की बातें क्यों कही गई जो कि भद्दी से भद्दी प्रकार की बातें थीं। यहां तक कहा गया कि इन्दिरा को हटाओ और देश को बचाओ। गुप्तांग को बचाओ और इन्दिरा को हटाओ। इस प्रकार की शर्मनाक बातें कही गई। मैं जानता हूं कि जनता ने जनता पार्टी के लोगों को पहचान रखा था, इस तरह के तबके के लोगों को जनता वर्षों से ठुकराती रही थी लेकिन इस इमर्जेन्सी के बाद इन्दिरा गांधी ने जो चुनाव

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

की घोषणा की यह बहुत बड़ी प्रजातांत्रिक घोषणा थी। इसके साथ ही दुर्भाग्य से हमारे यहां पर जो परिवार नियोजन प्रोग्राम दिया गया; हालांकि यह राष्ट्रीय प्रोग्राम था, इसको लाना जरूरी था लेकिन हमारे समाज के लोगों ने इसको नहीं माना और इसके प्रति नाराजगी जाहिर की। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे अधिकारियों ने प्रमोशन के लालच में या ईनाम लेने के लालच में इस प्रकार की होड़ मचा रखी थी कि तहसीलदार सुबह पहुंच रहा है, बी. डी. ओ. दोपहर में पहुंच रहा है, एस.डी.ओ.शाम को पहुंच रहा है, ग्राम सेवक आधी रात को पहुंच रहा है। इस कारण इस प्रकार की परेशानी हमारे लोगों को हुई। हमारी सरकार ने कहीं नहीं कहा था कि अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करना, उनके साथ जोर जबरदस्ती करना। जहां समझा इस के साथ, शान्तिपूर्वक समझा कर यह काम कर सकते थे वहां पर इस होड़ में, इस ईनाम के लालच में, इस घुड़दौड़ में जो राष्ट्रीय प्रोग्राम था उसमें इस प्रकार व्यवधान पैदा किया गया। इसी नाराजगी के कारण लोगों ने जनता पार्टी को वोट दिये और कांग्रेस को पराजित किया। लेकिन मैं कहता हूं कि हम पराजित होकर भले ही विरोध में बैठें लेकिन जो राष्ट्रीय प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम है उनको हम छोड़ नहीं सकते। आपने देखा होगा कि पिछले दो वर्षों में कांग्रेस ने, हमारी सरकार ने जो लोगों की खुशहाली लाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए भू-आवंटन किए, जो कई वर्षों से सागड़ी प्रथा में उलझे हुए थे। उनको मुक्ति दिलाई। कई प्रकार के काम हुए। मैं कह सकता हूं कि इन सारे प्रोग्राम्स को हमने हाथ में लिया इसलिए कि गरीबी दूर करनी है। आज जो लड़ाई है वह गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। आपको मालूम है, जो हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, कई अपने को समाजवादी कहने का दावा करते हैं, उन्होंने जमीनें दबा रखी थीं। वह जमीनें उनसे लेकर गरीबों को बांटी गई हैं।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : ऐसा कौन सा समाजवादी था? उसका नाम बताइये।

श्री किशोरीलाल शर्मा : महारावल डूंगरपुर हैं। आप समाजवाद की बात करते हैं। महारावल डूंगरपुर से जमीन ली है? महाराजा जोधपुर से जमीन ली है? यह सारी जमीन कहां से आई है जो गरीबों को बांटी गई है?

श्री विट्ठल भाई : क्या जमीन राजा महाराजाओं की नहीं है?

(व्यवधान)

(1.12 म.प.)

(श्री गुमानमल लोढ़ा, सभापति, पीठासीन)

श्री किशोरीलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा कि यह गरीबों के लिए काम था। चाहे हम रहें चाहे नहीं रहें लेकिन गरीबों को उठाने का जो प्रोग्राम होगा, वह हम लेंगे। गरीबी के खिलाफ जो प्रोग्राम होगा, वह हम चलायेंगे आपका गठबन्धन हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है। अपने मोरारजी देसाई की गोद में अपने आप को भेंट किया है। पूंजीवाद की गोद में अपने आप को भेंट किया है। आप समाजवाद की बात करते रहे हैं। सभापति महोदय, इन दो वर्षों में देश का

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

उत्पादन बढ़ा है। देश की स्थिति यह है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब प्रोग्रामों के अन्तर्गत कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनसे लोगों को परेशानी हुई है। यहां पर लेवी कायम की गई। उसके जो मुकदमे किये गये हैं वह आज भी चल रहे हैं। उन मुकदमों को हटाया जाये क्योंकि लोगों ने लेवी जमा करा दी है। इस वर्ष रबी में लोगों ने बीज बोया। उनकी फसल बरबाद हुई है। गेरुआ रोग हुआ उससे फसल को नुकसान हुआ है। हमारे देश में इस समय अन्न का भण्डार भरा हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस वक्त लेवी माफ की जाये। यह मैं खास तौर से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा। इसके अलावा बिजली की दरें पहले से बढ़ाई गई हैं। इससे काश्तकारों में असन्तोष पैदा हुआ है। कई काश्तकार जो कुओं पर बिजली लगाये हुए थे, वह बिजली को हटाना चाहते हैं। इसलिये नयी सिक्योरिटी को माफ किया जाये। बिजली की दरों को कम किया जाये।

इसके अलावा जो सड़कों के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि कई सड़कों पर पुलियाएं नहीं हैं। इस कारण वह सड़कें रुकी पड़ी हैं। खास तौर से मेरे क्षेत्र में खरखा की मेवल में गोमती की पुलिया अधूरी पड़ी हुई है, उसको पूरा किया जाये। जो दूसरी पुलिया अधूरी पड़ी हैं, उनको भी पूरा किया जाये। इसके अलावा जो गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको सड़क से जोड़ा जाये। एप्रोच रोड प्रोग्राम के अन्तर्गत उनको अवश्य लिया जाये। इससे वहां के लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सिंचाई के बारे में जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा, कई नहरें निकाली गई हैं जैसे कि जयसमन्द से नहर निकाली गई है वहां जमीन में झरन हुआ है। लोगों की फसल बरबाद हुई। जमीन ऊसर हुई। इसलिये निवेदन करूंगा कि नहर को पक्का किया जाय।

इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति एवं एक्स-रे मशीन की व्यवस्था होना आवश्यक है।

इसी प्रकार से जो लोग नाजायज कब्जा किये हुए हैं, उनको हर साल बेदखल किया जाता है और 191 की कार्यवाही करके उनको दण्डित किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो रेवेन्यू लैण्ड में कब्जे हैं, चाहे वह चरनोट की हों, चाहे वह जंगलात की जमीन हों, उनको रेगुलेराइज किया जाये।

इसके अलावा बड़े बड़े व्यापारियों के लिए जो नियम बने हुये हैं उनसे छोटे छोटे व्यापारियों को बड़ी परेशानी हुई है। उनको भी लिस्ट लगाने की आवश्यकता होती है। जो इन्सपेक्टर वगैरह हैं, वह उनको तंग करते हैं। एक भी माचिस की कमी होने पर मुकदमा दायर किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो छोटे व्यापारी हैं; जो खेती भी करते हैं और दुकान भी करते हैं उनको इस प्रकार से तंग नहीं किया जाय। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वह कहीं से तेल घी इत्यादि खाद्य सामग्री लाकर बेचते

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

हैं। तो मेरा निवेदन है, उनको मिलावट के नाम पर तंग नहीं किया जाये। इस प्रकार से हिसाब पेश करने के बारे में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, गांवों में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं वह बहुत परेशान होते हैं। इसके लिये कोई न कोई रास्ता निकालना जरूरी है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री किशोरीलाल शर्मा : हां, ग्राप जब बोले थे, तब समय की पाबन्दी नहीं थी?

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इससे व्यापारियों को बहुत परेशानी होती है। इससे व्यापारियों में भय की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए जिन पर केस लगे हुए हैं, उनको समाप्त किया जाय।

ग्राज हमारे देश में ग्रन्न की कमी नहीं है। गेस्ट कण्ट्रोल एक्ट लगा हुग्रा है। इससे जो लोग छोटा छोटा भोजन देते हैं या प्रसाद के रूप में देते हैं उसमें उनको परेशानी होती है। वहां एक भोजन के बजाय दो भोजन हो जाते हैं। पुलिस वाले लूट कर खा जाते हैं। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए।

हमारे राज्यपाल महोदय ने जो ग्रपने ग्रभिभाषण में ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, वह ग्रच्छी है। लेकिन जो ऊंची जाति के लड़के ब्राह्मण, महाजन, राजपूत, पटेल के लड़के हैं, वह मारे मारे फिरते हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वह धन्धे में लग सकें ग्रौर ग्राज जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। मैं मानता हूं ग्राज सरकार ने कानून बनाया है उसके ग्रनुसार ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित-जनजाति के लड़कों को छात्रवृत्ति दी जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से उनमें भी सम्पन्न हो सकते हैं लेकिन ब्राह्मण का लड़का है या किसी दूसरी जाति का लड़का गरीब है उसको ग्रगर कोई सहायता नहीं मिले तो उसको भी पढ़ाई करने में परेशानी होती है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाया जाना चाहिए।

इसके ग्रलावा मान लीजिये कि परिवार में एक पिता के दो लड़के हैं, एक छोटा ग्रौर एक बड़ा, कानून के ग्रन्दर यह गुंजाइश रखी है कि जमीन बड़े लड़के के नाम से की जायगी फिर छोटा लड़का ग्रपना गुजारा कहां से करे? उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको ग्रपने हक के लिए कोर्ट में दावा करना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, कोई जायदाद नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, ग्रापके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे लड़के को भी राहत देने के लिए कानून में संशोधन किया जाय ग्रौर उसमें इस प्रकार की गुंजाइश रखी जाय कि उसको दावा नहीं करना पड़े ग्रौर उसको भी उसका हक मिल जाय।

इसके ग्रलावा ग्रनुसूचित जाति ग्रौर ग्रनुसूचित जनजाति के लिए हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि 1956 के बाद जिन लोगों ने जमीन गिरवी रखी है या बेचान की है तो उसको नाजायज समझा जाय। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि 1956 के पहले जिन लोगों ने जमीन का

Page No 34

(34)

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

बेचान किया हुआ है या जमीन रहन रखी हुई है उन लोगों को भी तंग किया जा रहा है, उन लोगों को बहुत परेशानी महसूस हो रही है। इसलिए मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को भी राहत पहुँचाई जाय। 1956 के बाद के जो मामले हैं वे तो कानून के अन्तर्गत आते हैं लेकिन 1956 के पहले के मामले हों उनमें किसी को परेशान नहीं किया जाय और उसके लिए कानून में संशोधन किया जाय।

मैं खास तौर से इन मुद्दों पर निवेदन करने खड़ा हुआ हूँ। मैं यह कहना चाहूँगा कि आज विरोध पक्ष के भाइयों ने राजघाट के ऊपर शपथ ली है और केन्द्र में सरकार नियुक्त की है तो मैं कहना चाहूंगा कि राजघाट जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है, उन्हीं की हत्या आप में से एक दल के सदस्य ने की थी वहां जाकर प्रायश्चित रूप में शपथ ले रहे हैं और समाजवाद की बात करते हैं। अगर वास्तव में समाजवाद की व्यवस्था करते हैं तब तो मैं उनका स्वागत करूंगा लेकिन आपकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। आप लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अगर आप कोई सुधार करते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस हारे या जीते, वह हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए निरन्तर काम करती रहेगी, गरीबों की भलाई में ही हमारी शक्ति लगी रहेगी। यह कहते हुए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मला कुमारी। फिर गोटेवाला जी।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, हमारे देश में चुनाव बड़े ही शान्तिपूर्ण वातावरण में हुए और निष्पक्ष हुए, इस बात का हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी काफी स्वागत हुआ है। कई देशों में उदाहरण दिये जाते हैं कि भारत में जिस प्रकार निष्पक्ष चुनाव हुए उससे लोकतन्त्री देशों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे देश की साख पिछले ग्यारह वर्षों में कितनी बढ़ी, उसको कोई बढ़ा-चढ़ाकर कहने की आवश्यकता नहीं है। यह तो सर्वविदित है। हमारी विदेश नीति और हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस गति से कार्य हुए, जो विकास हुआ वह सारा कार्य अविस्मरणीय रहेगा। चाहे कोई भी शासन आये और चला जाये परन्तु यह जो कुछ कार्य हुए, यह जो अविस्मरणीय कार्य हैं उनको आने वाली पीढ़ी कभी भुला नहीं सकती। मान्यवर, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम और पांच सूत्री कार्यक्रम के द्वारा समाज में इस प्रकार की व्यवस्था लाने की कोशिश की गई जिससे सभी गरीबों का फायदा हुआ। आज कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वे कार्यक्रम कोई खराब कार्यक्रम थे। पांच सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाती हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि क्या पेड़ लगाना गुनाह था ? निरक्षरता को दूर करने का कार्यक्रम क्या गुनाह था ? दहेज प्रथा का उन्मूलन क्या गुनाह था ? हमारा देश दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है, क्या यहां पर परिवार नियोजन नहीं करना चाहिए ? सिद्धान्तः ये बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं परन्तु इस प्रशासन तन्त्र ने उनको एक विशेष मोड

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

दिया, एक विशेष दिशा दी, उससे हमें बड़ा दुःख होता है। मान्यवर, प्रशासन तन्त्र चलाने वाले दिमाग में यह छोटी सी बात भी नहीं आई कि हर मानव में एक विशेष इन्सटिंक्ट होता है, एक मूल प्रवृत्ति होती है। हर मां, हर स्त्री मां बनना चाहती है और उस इन्सटिंक्ट को, उस मनोवैज्ञानिक तथ्य को जबरदस्ती से समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः उसकी इस इच्छा को समाप्त करके परिसीमन किया जाता है तो उस स्थिति में माता इस बात को कभी भी बरदाश्त नहीं कर सकती। यही कारण है कि सभी महिलाओं का मातृत्व चीत्कार उठा, इस मूल प्रवृत्ति के ऊपर जो कुठाराघात करने वाला तन्त्र था उससे प्रजातान्त्रिक तरीके से बदला लिया। अगर हर स्थान की चुनाव प्रणाली का अवलोकन करें, उसके हर पहलू का विश्लेषण करें तो आपको सही अर्थों में यह तथ्य मिलेगा कि हर जगह, हर पोलिंग बूथ पर महिलाओं की संख्या अधिक थी, यह स्पष्ट है। इस बात को भुलाया गया जो कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है इसको बिना समझे-बुझे अनाड़ी हाथों में यह कार्यक्रम सौंप दिया जिसकी वजह से यह सारा का सारा जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था वह समाप्त हो गया। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस प्रकार की जोर-जबरदस्ती की गई अगर यह कार्यक्रम योग्य जनप्रतिनिधियों के हाथ में होता तो इतना दुरुपयोग इस कार्यक्रम का नहीं होता। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह सारा का सारा कार्यक्रम यदि वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों और ग्रामीण स्तर के तथा विधान सभा के प्रतिनिधियों के हाथ में होता तो यह राष्ट्रीय कार्यक्रम कभी भी असफल नहीं हो सकता था, इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की इतनी अधिक बुराई नहीं की जा सकती थी। मान्यवर, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगी कि जो भी सामाजिक सुधार करने होते हैं वह कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं किये जा सकते। सामाजिक सुधार लाने के लिये जनमत तैयार करना बहुत आवश्यक है। वह करने के लिए अगर हम कानून का सहारा लेते हैं तो यह एक बहुत बड़ी भूल होगी।

अतिथि नियन्त्रण के सम्बन्ध में हमने कानून बनाया, केवल यह सोचकर कि इससे गरीबों को राहत मिलेगी। इस कार्यक्रम का एक विशेष प्रयोजन था, परिवार में एक कमाने वाला हो और पांच छः खाने वाले हों तो व्यक्ति को अतिथि भार से बड़ी परेशानी होती थी। यह सोचकर कि इस भार से छुटकारा मिलेगा यह कानून बनाया परन्तु देखने में आया कि हमारे देश में धार्मिक परम्पराए बड़ी गहरी हैं, हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए इस प्रकार का अनुष्ठान करना पड़ता है। हमारी हिन्दु संस्कृति में भी पांच महायज्ञ होते हैं, एक यज्ञ पितृ यज्ञ होता है, यह माना जाता है कि अगर पितृ संस्कार नहीं होता है तो उसको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है। इस प्रकार की धार्मिक परम्पराओं वाले देश में यदि सामाजिक बुराइयों को दूर करना है तो धीरे-धीरे जन मानस तैयार करके किया जाना चाहिए। यह सामाजिक बुराई हमारे सामाजिक ढांचे में बहुत गहरी फैली हुई है, इसकी जड़ें जम गई हैं। यदि एकदम जबर्दस्ती से खींचा जाए तो संभव है कि वह सामाजिक ढांचा चरमरा कर खंडित हो जाए। उसी सामाजिक बुराई को यदि हम

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

शनैः शनैः धीरे धीरे सुधार करके दूर करने की कोशिश करते हैं तो इसका जन मानस पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। सदन इस बात का साक्षी है। मैंने कई बार निवेदन किया है कि ग्रामीण व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को दो तरह के मृत्यु भोज करने पड़ते हैं, एक तो वास्तविक मृत्यु भोज दूसरा पुलिस का मृत्यु भोज। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है। परम्पराएं निभाने में एक व्यक्ति को चाहे कितनी ही परेशानी क्यों नहीं भुगतनी पड़ें चाहे पुलिस कितना ही परेशान करे वह इस प्रकार की परम्परायें निभाता है। इसलिए सारा ग्रामीण समाज इन परम्पराओं के निभाने पर लगी रोकों से तिलमिला उठा। कोई भी सामाजिक बुराई यदि हमें दूर करनी है तो धीरे धीरे हमें जन मानस तैयार करके उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। कोई भी काम यदि हम जोर जबर्दस्ती से करेंगे तो वह सफल नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के कानूनों को, जिनमें विघटनकारी प्रक्रियायें दिखाई देती हैं, उठा लेना चाहिए।

मैं ग्रामीण समस्याओं के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहती हूं। आज हमारा ग्रामीण समाज बहुत अधिक दरिद्रता की अवस्था में है, कई छोटी जोत वाले व्यक्ति केशक्राप बोते हैं तो कई बार केश क्राप्स के रूप में उनसे जो वसूली की जाती है वह भी उपयुक्त नहीं है। जिन व्यक्तियों के पास छोटी जोतें हैं 5-10 बीघा जमीन ऐसी थोड़ी जमीन के हिस्से में यदि केश क्राप्स बोते हैं तो उनको कर से मुक्त किया जाना चाहिये।

विद्युत् सम्बन्धी सुविधाएं आपने ग्रामीणों को दी हैं। यह अच्छा कार्य है, उनके लिए वरदान कहा जा सकता है, परन्तु विद्युत् सुविधाओं के साथ साथ कई जटिलताओं का उदय हुआ है, खास तौर से उनकी रेट्स बहुत अधिक बढ़ा दी गई है। मिनिमम रेट्स उनको देनी ही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो खास तौर से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां नहरों का पानी आता है और बिजली इस्तेमाल किसान कम करता है परन्तु जितनी हार्स पावर की मोटरें लगी हुई हैं, उसी हिसाब से मिनिमम रेट्स देनी पड़ती हैं। तो कंजम्पशन के हिसाब से पैसा लें और मिनीमम चार्जेज के सिद्धान्त को समाप्त करें।

ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कई क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है। मंत्री महोदय यहां बिराजे हुए हैं। उन्हीं से कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में विद्युत् की सुविधाएं फैलाने में बहुत अधिक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। निकट भविष्य में इस प्रकार का रवैया समाप्त किया जाना चाहिये। जहां जमीन उपजाऊ है वहां विद्युत् सुविधायें उपलब्ध करायें तो कृषि उत्पादन बढ़ सकता है, इसलिये ऐसे क्षेत्र में अवश्य ही विद्युत् सुविधाएं मिलनी चाहिए।

राजस्व की तरफ हम देखें तो उसमें भी मामले उलझे हुए दिखाई देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता आपका प्रशासनतंत्र राजस्व सम्बन्धी समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाता? कई ऐसी समस्यायें हैं, एक व्यक्ति को 10 साल पहले भूमि आवंटित हुई परन्तु कहीं छोटी मोटी खाना पूर्ति नहीं हुई, तहसीलदार के दस्तखत नहीं थे या पटवारी के नहीं थे, नोटिफिकेशन समय पर नहीं हुआ, तो फार्मेलिटीज के लिए पुनः नोटिस दिया जा रहा है कि भूमि निरस्त की जाती है और अदालत में हाजिर हों। एक

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

गरीब व्यक्ति इस कारण से तिलमिला उठता है। कई ऐसी समस्यायें भी हैं जो सर्व अवगुण सम्पन्न पटवारी स्वयं पैदा करता है। एक व्यक्ति को भूमि एक रकबा अलाट हुई और उसको बिठाया दूसरी में। 5 साल बाद पटवारी का ट्रांसफर हो गया तो उस व्यक्ति की नाजायज जमीन हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की जो इम्पलीमेंटेशन कमेटी बनाई गई, उसमें जन प्रतिनिधियों को भी सदस्य रखा गया है। बड़े दुःख के साथ निवेदन करती हूं कि मेरे क्षेत्र में उस समिति की मैं सदस्या हूं। जब से इस समिति की मीटिंग शुरू हुई तब से आखिर तक मैंने कई केसेज के बारे में निवेदन किया, परन्तु अब तक उन केसेज के बारे में कुछ नहीं हुआ।

मेरे क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां पर भूमि के नक्शे नहीं हैं ग्वालियर स्टेट के 20 गांव करौली खेई आदि। मान लिया जाए कि उस गांव में 100 बीघा जमीन है उसमें से एक्स के पास कौन सा रकबा है, वाई के पास कौन सा है, यह खाते में एन्टर्ड नहीं है। खाते में यह एन्टर्ड है कि एक्स के पास 5 बीघा है, वाई के पास 6 बीघा है। कौन सा नम्बर है, कुछ भी नक्शे में नहीं है। इस प्रकार की भूलें है। मैं आज से 11 साल पहले से निवेदन करती आई हूं परन्तु ये केसेज अभी तक नहीं सुलझे हैं। मेरी समझ में नहीं आता इस प्रकार की राजस्व की गुत्थियां हैं ये कहां तक उलझी हुई रहेंगी। हमें इन कार्यों को बहुत शीघ्रता से करना है।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि 13 वर्षों से आपने पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये। सरपंचों को आपने सूबेदार बनाकर बिठा दिया। उन सरपंचों की मैं कहानियां सुनाने लगूं तो शायद वर्ष लग सकते है। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में एक विजयपुर नाम का गांव हैं पंचायत है। पहाड़ी इलाका है, गरीब लोग निवास करते हैं वहां के सरपंच ने पंजाब नेशनल बैंक से 70 हजार रुपयों का गरीबों के नाम पर ऋण लिया, उनसे अंगूठा लगवा दिया, किसी के नाम पर पांच हजार, किसी के नाम पर दो हजार और गरीबों से कहा गया कि तुम रुपए लेने के लिए अंगूठा लगा दो। उन गरीबों को किसी को 100, किसी को 200 रुपये दे दिए, किन्हीं को तो बिलकुल ही नहीं दिये। अब उनके पास वसूलियों के नोटिस पहुंचे और गरीबों के कुएं नीलाम हो गए, बेघर हो गए। इन किसानों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वयन समिति में मैंने कई बार कहा परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके बारे में दुर्भाग्य से अभी तक कुछ नहीं हुआ। यदि इस प्रकार कार्य होता रहेगा तो संभव है कि हम लोग कुछ नहीं कर पायेंगे।

अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आपको नगरों की ओर लाती हूं। आपने नगर विकास न्यास बनाया। परन्तु वे क्या कर रहे हैं ? केवल जमीनों के प्लाट्स बेचकर कर्मचारियों को तनख्वाह बांटी। ब्यूटीफिकेशन के नाम पर गरीबों की झोपड़ियां गिरा दी गई हैं, उनकी दुकानें गिराई गई। मैं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती हूं। वहां पर विकास के लिए, मकान बनाने के लिए कई एकड़ जमीन ले ली गई। वहां पर जो नगर विकास न्यास है उसने कृषि भूमि जबरन ली। जो लोग यहां पर खेती करते थे उन्होंने वहां खेती करना बन्द कर दिया। आज स्थिति यह है

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

कि वहां पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है क्योंकि नगर विकास न्यास के पास पैसा नहीं है और न ही कोई योजना नगर विकास न्यास के पास है। तो इस प्रकार अगर आप नगर विकास से कोई विकास का कार्य कराना चाहते हैं तो वह नहीं होगा और हमारी जो नगरीय समस्या है उसको हम इन न्यासों से नहीं सुलझा सकेंगे। आज जो 30-30 और 33-33 हजार की आबादी वाले शहर हैं जहां आपने नगर विकास न्यास बना रखे है उनको रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं समझती हूं कि आप उनका विकास वहां की निर्वाचित नगरपालिकाओं के माध्यम से ही करा सकते हैं। वहां की निर्वाचित नगर पालिकाएं ही सुचारु रूप से उनका विकास कर सकती हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है की बाकी जगहों पर आप चाहे नगर विकास न्यास समाप्त करें या नहीं करें लेकिन जो चित्तौड़गढ़ का नगर विकास न्यास है उसको तो आप तुरन्त समाप्त कर दीजिये क्योंकि उस न्यास के पास कोई योजना नहीं है और न ही उसके पास पूरे पैसे हैं। आज वहां पर नगर विकास न्यास यह कार्य कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास दुकान है और उसने दुकान के बाहर कोई भट्टी लगा ली है तो वह यह कह कर उस भट्टी को हटा रहे हैं कि इससे धुआं होता है। आप इस भट्टी को अन्दर ले जावो। तो, सभापति महोदय, वह दुकानदार उस भट्टी को अन्दर कैसे ले जायेगा? भट्टी से धुआं दुकान के अन्दर होगा तो क्या उस धुएं से उस व्यक्ति की आंखें खराब नहीं हो जायेंगी? एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के बाहर भट्टी लगा ली तो क्या कोई बहुत बडा गुनाह कर दिया? तो इस प्रकार के कार्य करके मै समझती हूं कि नगरविकास न्यास गरीबों का भला नहीं करके उसका धन्धा भी चौपट कर रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं अभी समाप्त कर रही हूं। मान्यवर अब थोड़ा मैं सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने सिंचाई के लिये नहरें बनाई, नहरों की जो सुविधा दी है यह एक बहुत अच्छी बात है। नहरों की वजह से हमारे देश में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं लेकिन आज नहरों की वजह से कई जगह सीपेज हो जाने की वजह से कई खेत ऊसर हो गये हैं जिसका असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। इसलिये मेरा यह अनुरोध है, राज्य सरकार को चाहिये कि इन नहरों में सीपेज को समाप्त करने के लिये उन्हें पक्का बनावे। राज्य सरकार को चाहिये कि अगर पैसे की कमी है तो धीरे धीरे योजना बद्ध तरीके से इन नहरों को पक्का किया जाय।

इनके अलावा, मान्यवर, मैं थोड़ा पानी की पिलाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। आज नहरी एरिया में जो पिलाई के पैसे लिये जाते हैं वह फसलों के हिसाब से नहीं लिये जाने चाहिये यह नहीं कि गन्ने की पिलाई के इतने, गेहूं की पिलाई के इतने, चने की पिलाई के इतने। होना यह चाहिये, मान्यवर, जितनी बार पिलाई की पानड़ी हो उसके हिसाब से ही पैसे लिये जायं। कई बार नहरों से पानी की पिलाई नहीं होती है और काश्तकार अपने कुओं से पानी की पिलाई करता है इसलिये मेरा निवेदन है कि पिलाई के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

इसके अलावा थोड़ा मेरा निवेदन लघु कृषकों और सीमान्त कृषकों के बारे में भी है। इसमें आपने जो लघु कृषकों और सीमान्त कृषकों को छूट दी है वह तो आपका सराहनीय कदम है लेकिन मेरा यह निवेदन है, राज्य सरकार को चाहिये कि गरीबों को थोड़ी ज्यादा राहत मिले, इसके लिए गरीब लोगों को, जो कि छोटी जोतों वाले लघु कृषक हैं, आपको कर भार से मुक्त कर देना चाहिये। अगर आप छोटी जोतों वाले कृषकों को कर भार से मुक्त करते हैं तो यह एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं अभी दो मिनट में ही समाप्त कर रही हूं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने साहूकारों के ऋण-मुक्ति के कानून बनाये हैं। इससे गरीबों को राहत मिली है लेकिन जब उसको साहूकारों से ऋण नहीं मिलता है तो उसको आल्टरनेटिव आपने व्यवस्था क्या की ? आज अगर कोई ग्रामीण ऋण लेना चाहे तो किसके पास जाये ? वह कहां जाये इस बात की ओर हमारा ध्यान जाना अत्यन्त आवश्यक है। आज जो आपकी सहकारी समितियां हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, वह उनकी जरूरतों को पूरी कर नहीं सकतीं। दूसरे अगर वह लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक के सैंकड़ों चक्कर काटने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिलता है। वह लोग बैंक के चक्कर काटते-काटते ही थक जाते है। इसका कारण यह है कि काश्तकार पढ़ा लिखा नहीं है और बैंक के ऋण लेने के फार्मों में दसों तरह की फोर्मेलिटीज होती हैं। जब तक वह पूरी नहीं होतीं तब तक उसको ऋण नहीं मिल सकता है। इसलिये जब तक आप ऋण देने की कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कर देते तब तक आप किसान की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, किसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ जब उसकी फसल आती है तब पैसा आता है। अब तक सारे साल भर तक वह पैसा इधर–उधर साहूकार से लेता था और फसल आने पर चुका देता था लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। आज जब किसान की बहन-बेटी उसके घर पर आती है और जब वह वापिस जाती है तो किसान को उसको साड़ी और कांचली देनी पड़ती है। अब वह साड़ी-कांचली के लिये पैसे कहां से लावे ? पहले तो अपने साहूकार के पास जाकर दस रुपये ले आता था। अब उसे परेशानी होती है। सभापति महोदय, यह कुछ ऐसी सामाजिक परम्परायें हैं जो कि उसे निभानी पड़ती हैं इसलिये, मान्यवर, मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इसके लिए कोई व्यवस्था करे, बैंक या सहकारी समिति से ऋण मिल जाये इसकी कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था की जानी चाहिये। जब तक आप बैंक या सहकारी समितियों से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं कर पाते तब तक के लिये मेरा सुझाव तो, मान्यवर, यह है कि आपने जो यह साहूकारों के ऋण से मुक्ति का कानून बनाया है उसको विथड्रा कर लीजिये।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो कुछ भी अच्छा कार्य हमारी सरकार द्वारा पिछले साल किया गया है उसके ऊपर पर्दा नहीं डाला जाना चाहिये। हमारे देश में पिछले कुछ समय मे जो अच्छे कार्य हुए है

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

उन को सारी दुनिया जानती है । हमारे देश की भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में महान कार्यों की उपलब्धि हमारे देश में हुई है। जो काम हमारी प्रधान मन्त्री ने गरीबों की भलाई के लिये किये वे स्वागत योग्य हैं। हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वप्न देखा था और उस स्वप्न को साकार करने के लिये उन्होंने एक खाका खींचा था, उन्होंने एक खाका खड़ा कर लिया था सिर्फ उसमें रंगों का सृजन करना ही शेष था। मान्यवर, प्रधान मन्त्री की महान नीतियां थीं लेकिन हमारे प्रशासन तन्त्र की अकुशलता के कारण, जो एटीट्यूड उसने बनाया, जो दृष्टिकोण उसने अपनाया उसके कारण सारा का सारा सुन्दर स्वप्न धुल-धूसरित हो गया। मान्यवर, एक हवा का झोंका आया और उस चित्रकार की तूली हाथ से गिर गयी। लेकिन, मान्यवर, आज भी हमारे यहां के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो समझदार हैं वह यह विश्वास करते हैं कि वह स्वप्न पूरा होगा। यह जो अधूरा कार्य हमारे प्रधान मन्त्री का रह गया, जो तूली हवा के झोंके से गिर गयी वह वापस उस चितेरे के हाथ में जायेगी और तभी वह चित्र पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय देने को कहा था।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : धन्यवाद। सभापति महोदय, सदन में जो कार्यवाहक राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया और उस अभिभाषण पर जो भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य पर यहां पर यह बात तो मुझे निवेदन करनी ही पड़ेगी कि आपको मैं किस स्थिति में देखूं। अभी आप सभापति पद पर विराजमान हैं दूसरी तरफ आपने अभी थोड़ी देर पहले जब सदन में भाषण दिया था तब मैं बैठा-बैठा सुन रहा था। जब आप भाषण दे रहे थे तब मुझे आपका वह भाषण याद आया जो कि आपने दिनांक 15-11-76 को संविधान संशोधन के बारे में इसी सदन में दिया था। मैं उस वक्त भी हाजिर था और आपने जो भाषण दिया उसको चुपचाप बैठा-बैठा सुनता रहा। आज जब आप भाषण दे रहे थे तो मैं यह समझने का प्रयास कर रहा था कि कब-कब क्या क्या कहा। मैं आपके बारे में जब सोचने लगा तो आपके कई चेहरे मेरे सामने आये और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि आप बराबर रंग बदलते जा रहे हैं। सबसे पहले आप जब जोधपुर से जीतकर आये तो आप जनसंघ के नेता बनकर यहां पधारे थे, उसके बाद में आपने एक जनता मोर्चा बनाया उसके सदस्य के रूप में यहां विराजमान थे और उसके बाद में आपने जनता मोर्चा छोड़ दिया। उसके बाद में आपके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, आपने जनसंघ ने जगह जगह आपको अपमानित किया। वैसे तो हम लोग राजनैतिक विचार धाराओं में फर्क आने से अलग अलग हो जाते हैं लेकिन आपके जो अलग अलग रूप मैंने देखे उससे मैं चकित

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
हो रहा हूं और उनको समझ नहीं पा रहा हूं।

सभापति महोदय, हमारी देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपातकालीन स्थिति में जो कार्य किये ....

श्री गुरदयालसिंह संघु : अभी तो चेयर पर बैठे हैं।

श्री सभापति : नहीं, बोलने दीजिये। बोलने दीजिए !

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप मुझे क्षमा करेंगे, बात कुछ ऐसी ही है ....

श्री सभापति : नहीं, नहीं ! आपको बोलने की पूरी स्वतन्त्रता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, जो रूप बदलते हैं उनके बारे में कुछ तो कहना ही पड़ेगा।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर आज विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी को तानाशाह कहा। प्रजातन्त्र की वह लोग दुहाई दे रहे हैं जो लोग अप्रजातान्त्रिक हैं। अगर प्रधान मंत्री अप्रजातान्त्रिक होतीं तो चुनाव ही क्यों होते ? यहां पर जो माननीय सदस्यों ने कहा वह नसबन्दी के बारे में कहा। इसके बारे में मेरा इतना ही निवेदन है कि परिवार नियोजन की जो नीतियां थीं वे अच्छी तरह से जनता को नहीं बतायी गयीं। गांव वालों में नसबन्दी के बारे में कई तरह की भ्रान्तियां फैला दी। उसी का नतीजा यह हुआ कि सारे के सारे उत्तरी भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा, हमने जो पिछले 19 महीनों में, आपातकालीन स्थिति के दौरान जो आर्थिक उपलब्धियां कीं उनको न केवल हमारे देश की जनता ही बल्कि दुनिया के लोग मानते हैं। सभापति महोदय, अगर आपातकालीन स्थिति हमारी प्रधान मंत्री उस वक्त नहीं लगातीं तो हमारे भारत में एक अराजकता का भंवर जो पैदा हो गया था उसमें सभी फंस जाते और सरकार टूट चुकी होती। सभापति महोदय, आपने जो भाषण दिया था इस सदन में पहले उसकी दस पेज की कापी मेरे पास सुरक्षित मौजूद है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो यहां भाषण दिये थे उनमें आपके बदले हुए स्वरूप को देखकर तो मुझे भ्रम होता है। लेकिन इस सारे स्वरूप को बदलते हुए देखकर एक आश्चर्यजनक घटना लगी। आश्चर्यजनक घटना तब लगी जब राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर वे लोग एकत्रित हुए जिनकी विचारधारा में आर. एस. एस. है और जिसने नाथूराम गोडसे को जन्म देकर, राष्ट्र के उन्नायक की, राष्ट्र के मसीहा की जिसको सारा राष्ट्र बापू कहता था, छाती को छलनी कर दिया और बापू हे राम है "राम कह कर समाप्त हो गये। वे हत्यारे गांधीजी की समाधि पर कहते हैं कि गांधी के बचे हुए काम को पूरा करेंगे। कौनसा काम करेंगे ? गांधीजी की हत्या की, उनकी छाती को छलनी किया गोलियों से। आर. एस. एस. के बारे में जनसंघ मुखौटा बदलता रहा है। बदले, उसमें एतराज नहीं है। नेहरू जी ने कहा था कि जनसंघ बना आर. एस. एस. से अब जनसंघ उसे नाबालिग मानता है। अपनी बात कहते नहीं। आर. एस. एस. कि गुप्त

Page No 42

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

गोलवलकर ने दो तीन बातें कहीं थीं। आर.एस.एस का जन्म हुआ, प्रोफेसर केदार अपने मन में मेरी बात से सहमत होंगे, तब उन्होंने हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की बात कही थी। छुआछूत का समर्थन किया था। छुआछूत के बारे में आर.एस.एस. की भावना लेकर करोड़ों लोगों को दो नम्बर का नागरिक कह कर चलते हैं। आज भले ही आप इमाम की दुहाई दें, कल तक आप यह कहते रहते थे। आप स्वीकार कर लेंगे तो मान लूंगा, कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं।

नसबन्दी की बात को जोरों से प्रचारित किया गया।' मैं आज भी निश्चित रूप से कहता हूं, देश जिस दिन आजाद हुआ उसकी उस समय 32 करोड़ की आबादी थी। आज 62 करोड़ की आबादी है। पांच साल में योजना पूरी होती है और 11 करोड़ और खाने को पैदा हो जाते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया। बिजली का टार्गेट तैयार किया। यह कार्यक्रम इम्पलीमेंट करवाया गया इसका पार्टी के कमिटेड वर्कर से क्रियान्वित करवाना चाहिये था और उसमें उसको इन्क्लूड करना चाहिये था लेकिन अफसर शाही के भरोसे सारे काम करवाये गये। गरीब के 500 रुपये तक कर्ज को माफ कर दिया, उसका कानून हमने बनाया। लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाये अफसरशाही के कारण। गरीबों का भला करना चाहते थे लेकिन उसका लाभ उनको मिला नहीं। बनिये का कर्जा था, हमने जगह जगह जाकर खिलाफत की। सीलिंग में भी यही हुआ। जमीनें बंट गयीं जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनको लाभ नहीं मिला। और

(1.55 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जिनसे जमीनें छीनी गयीं वे लोग नाराज हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में, पूरे के पूरे आंध्र ने कांग्रेस की नीतियों का समर्थन किया। आंध्र में ये लोग साफ हो गये तो उत्तर में हम लोग साफ हो गये। तमिलनाडु कांग्रेस की नीतियों पर चला। आसाम पूरा का पूरा कांग्रेस की नीतियों के साथ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्रान्तिकारी काम करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाये इसलिए लोगों में असन्तोष था। इन लोगों ने गुप्त रूप से यह कह दिया कि बच्चों के इन्जेक्शन लगा रहे हैं और बच्चे बेहोश होकर मर रहे हैं। परिणामस्वरूप स्कूल के स्कूल बन्द करवा दिये। आमेर में वन रक्षकों ने तीन लड़कियां लकड़ियां चुन रही थीं उनको ललकारा। यह खुद सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने यहां कहा। लेकिन गलत बात बना कर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया गया और इस ढंग से बनाया गया कि उस भ्रमित वातावरण में जनता भ्रमित हो जाय। चाहे मोरारजी भाई कहें, चाहे जयप्रकाशजी कहें, वोट न जनता पार्टी को पड़े हैं न किसी को, वोट कांग्रेस के विरोध में जरूर पड़े हैं, यह हमारी समझ में जरूर आ रहा है।

मैं यह मान कर चलता हूं कि तीस वर्ष के शासन काल में जो कुछ कांग्रेस ने किया उससे पहली आश्चर्यजनक घटना हुई। लेकिन उसके बाद कई आश्चर्यजनक घटनाएं देख रहे हैं। पहला आश्चर्य तो यह देख रहे हैं कि अकेले प्रधान मन्त्री ने शपथ ली।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
आज तक यह कभी नहीं देखा गया तीस वर्ष में। दूसरी आश्चर्यजनक घटना यह देख रहे हैं कि पांच मन्त्रियों के बारे में आल इण्डिया रेडियो ने घोषणा की शपथ ग्रहण करने की आज लेकिन शपथ ग्रहण नहीं की। यह दूसरी आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के बिना किसी नतीजे पर चलने वाले लोग कहीं समाजवादी, कहीं आर. एस. एस. के लोग जनसंघ का मुखौटा लगाकर बैठे हुए हैं, कहीं 1971 में जनता द्वारा रिजेक्टेड लोग संगठन कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। चारों संगठन अलग अलग मुखौटा लगाकर बैठे हैं। ये जनता को सही दिशा नहीं दे पायेंगे। ये चारों चार दिशा में जाने वाले साल भर नहीं चल पायेंगे और साल भर के भीतर भीतर वैसी आश्चर्यजनक घटना होगी जैसी दो आश्चर्यजनक घटनायें अभी घटी हैं और तीसरा यह आश्चर्य भी इन से कम नहीं होगा। देश को इन्दिराजी ने साफ शब्दों में कहा है जो काम करेंगी गरीबों के उत्थान के लिए करेंगी। मुख्य मन्त्रियों को सन्देश दिया है देश की गरीबी दूर करवाना चाहते हैं तो हर इन्सान को रोजगार मिले ऐसा प्रयत्न करना चाहिये।

आज कई प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं। इमाम साहब दिल्ली में भाषण दे रहे थे और कई बातें कर रहे थे। कभी कह रहे थे कि मैं भी जगजीवनरामजी से मिलने गया था। मैं बैठा था, बाहर लोग जनता पार्टी हाय-हाय के नारे लगा रही थी। जगजीवनरामजी शामिल हुये कांग्रेसियों को बदलने के लिये, सत्ता प्राप्ति के लिये घिनौना षड्यन्त्र करके, जिनका सिद्धान्तों से कोई वास्ता नहीं, ऐसे लोग सत्ता प्राप्त करने में सफल हो गये हैं। जनता की आकांक्षा पूरी करनी है, गरीबी दूर होते हुए देखना चाहते हैं और 20 करोड़ लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सब को मिल कर प्रयास करना होगा और पुरानी नीतियों पर चलना होगा। आपके हाथ, आर. एस. एस. के हाथ आज हिन्दुस्तान में उस कौम के खून से रंगे हुए हैं क्योंकि आपके गुरुजी ने कहा था कि हिन्दुस्तान हिन्दू राष्ट्र रहेगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता का जो परिवर्तन केन्द्र में आया है हम उम्मीद करके चलते हैं कि हमारे राजस्थान की जिस प्रकार की जो भी योजनायें हैं उनको कार्य रूप में परिणत करने में केन्द्र का और हमारा सहकार रहेगा। कई लोग कई प्रकार की बातें करते रहते हैं और यह कहते रहते हैं कि यह सरकार आज गिरी कल गिरी। मैं मानकर चलता हूं कि जिस 42 वें संशोधन का आपने समर्थन किया था और हमारे साथी श्री भुवनेश जी चतुर्वेदी जी ने कहा था कि हमारा भी सारा टाइम श्री लोढ़ा जी को दे दें क्योंकि हम उतनी अच्छी वकालत नहीं कर सकते जितनी अच्छी वकालत वह कर रहे हैं। आपने टाइम लिया था और आपने कहा था कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग अदालतों में नहीं जाते हैं। उनको जानकारी नहीं है इन सारी बातों की। उनको तो जानकारी इस बारे में है कि उनको रोजी मिले और कपड़ा मिले। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश गरीबी को दूर करने में लगा हुआ है

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

और हम इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे। हम इन्हीं शब्दों को फिर दोहराना चाहते हैं कि इस देश से गरीबी का अन्त हो, इस देश के हर इन्सान और हर जवान के पास रोजगार हो, उसके पास अच्छी तरह से रहने की हैसियत हो ताकि वह अच्छी तरह से रह सके। यह सही है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति हुई है उससे हम राष्ट्र के अन्दर और विश्व के अन्दर सिर ऊंचा करके चलने की स्थिति में आये हैं। उसके ऊपर हम सब को गर्व है। चाहे जनता ने जो फैसला किया हो, किन्हीं बातों से भ्रमित होकर इस प्रकार का फैसला किया हो, लेकिन जैसा कि चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि निश्चित रूप से इस देश के अन्दर जिस चित्रकार ने देश को चित्रित किया उसकी आवश्यकता आज भी लाखों और करोड़ों लोग महसूस करते हैं। उनके सुदृढ़ नेतृत्व ने देश को राजनैतिक स्थिरता दी, इस देश से गरीबी हटाने का भागीरथ प्रयत्न किया और उसके लिए उन्होंने अपने आपको समर्पित किया। हो सकता है ज्यादतियों की जो बात हुई उसकी वजह से सरकार लोगों को समझा नहीं सकी। उस वातावरण के कारण आपके कुछ लोग जीतकर आ गये। लोढ़ा साहब, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि आप भले ही आज चुनौतियां दे दें··

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप छंगाणी साहब को समझा दो। मुझे तो छोड़ो। वह आपको छोड़कर चले गए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे में से कौन जाता है, कौन नहीं जाता है इसकी चिन्ता आप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना भविष्य देखें। मुझको तो ऐसा लगता है कि जो बात आपसे कह रहा था यदि वह बात होती तो आप भी जोधपुर से पार्लियामेन्ट का चुनाव लड़ते। प्रोफेसर केदार जी भी बीकानेर से चुनाव लड़ने में मुंह नहीं फेरते। महारावल साहब का नाम हमने चित्तौड़ से पार्लियामेन्ट का चुनाव लड़ने के लिए सुना था। आपके पास ऐसे ऐसे उम्मीदवार थे। मुझे याद है झुंझुनूं के अन्दर लोग यह कहते थे कि यह उम्मीदवार पार्लियामेन्ट में जाकर बैठेंगे तो यह क्या करेंगे? लोगों ने कांग्रेस के विरोध में वोट दिया, ठीक है, हमने प्रजातांत्रिक ढंग से उसको स्वीकारा है। जो भी हुआ उसे हम मानते हैं लेकिन मैं व्यक्तिशः कहता हूं कि जब तक परिवार नियोजन नहीं होगा और जब तक गरीबों की गरीबी दूर नहीं होगी तब तक हम देश की समस्याओं को हल नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

अन्य बातों के आधार पर सारा देश नहीं चल सकता है। देश नीतियों के आधार पर चलता है। आपके पक्ष की जो आम सभा दिल्ली में हुई थी और जिन जिन नेताओं के भाषण हुए थे मुझे तो सारी बातों को सुन कर तकलीफ हुई। हां, एक बात की जरूर प्रसन्नता हुई कि बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने एक काम किया, जो गांधीवाद की बुराइयां करते थे गांधीजी के उन हत्यारों को ले जाकर गांधी जी की समाधि के ऊपर यह सोगन्ध तो खिला दी कि हम गांधी जी के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

छोड़े हुए कामों को पूरा करेंगे । उस दिन आपको बीस साल पहले गांधी जी द्वारा दिखाया गया रास्ता और उनके काम याद आये । मैं जयप्रकाश नारायण जी को इस बात के लिए जरूर मुबारकबाद देता हूं । मैं इस बात के लिए भी मुबारक देता हूं कि जून, 1975 में जब आपके आर. एस. एस. के लोग काली टोपी लगाकर आये थे और काली टोपी से उन्होंने प्रदर्शन करना चाहा था तब श्री जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि पहले आप टोपी उतार दें तब आपकी मीटिंग मे भाषण दूंगा । आपकी जिस गलत विचारधारा ने देश के टुकड़े करवाये हैं, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की उस विचारधारा को हम तो खत्म नहीं कर पाये । बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा था कि आर.एस. एस. के लोग घृणित विचारधारा फैलाकर मुल्क को बरबाद करना चाहते हैं । आज आप चोला बदलकर सत्ता प्राप्त करने के लिए इस वातावरण का फायदा उठाना चाहते हैं । मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा, जैसा कि 'इन्डियन एक्सप्रेस' में आया है कि आपकी 90 सीटें आई हैं और बाकी दूसरे ढंग के लोग आये हैं । नानाजी देशमुख ने शपथ आज नहीं ली और लोग कहते थे कि आपके यहां मिलिट्री का सा प्रशासन है, एक ने कुछ कह दिया वह सब मान लेते हैं । हम सब लोग भविष्य के लिए चिन्तित हैं । देश में केन्द्र सुदृढ़ हो उसके लिए चिन्तित हैं । एक हजार वर्ष से जो कौम गुलाम थी वह कमजोर होने से कहीं दुबारा खतरे में आ जाये इस प्रकार की स्थिति को हम नहीं चाहते । हम भी चाहते हैं कि आप बड़ी मजबूती से बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी किये अवश्य रहें । लड़ाई पालिटिकल सिद्धान्तों की है । यह बात सही है कि आपके कोई सिद्धान्त नहीं हैं, कोई विचारधारा नहीं है, आपका लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो कुछ भी हमारे देश और प्रदेश के अन्दर विकास की बातों को लेकर हो रहा है वह विकास का क्रम चालू रहे और इसको हम आगे बढ़ाते जायें · · ·

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : देश जो तरक्की कर रहा है वह ठीक ढग से आगे तरक्की करता रहे यही हम सब चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, 21 माह के बाद आज मुझे यहां पर बोलने का मौका मिला । अभी भाई जो बोल रहे थे अच्छा यह होता कि वह केन्द्र के प्रति अपनी हमदर्दी जाहिर नहीं करते । जो महान वर्डिक्ट आया है उसका आब्जेक्टिव असेसमेन्ट करने के बाद में जनता ने फैसला दिया है । जो कमजोरियां कांग्रेस की रही हैं सरकार के तौर पर उनका सही विश्लेषण करते हुए अपनी कमियों की ओर नजर करते और आयन्दा के लिए सुधार की बात करते तो मैं उनको धन्यवाद देता । मेरा ख्याल है कि इस जनतंत्र में ऐसे ही भाषणों से हमारी जीत हुई है । आज यह कहना कि बेलट बाक्सेज की बैगरी थी, आज यह कहना कि यह पालिटिकल प्रासेस की जादूगरी थी, एक हवा बन गयी उससे हार गए मेरा ख्याल है कि कोई भी पालिटिकल वर्कर जिसने राजनीति में काम किया है जो

Page No 46

(५६)

(श्री केदारनाथ)

डेडीकेटेड वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, वह नहीं कहेगा। इसके कुछ भी आब्जेक्टिव रीजन्स रहे हों लेकिन वायस आफ डिसेंट थी। यह नहीं कि खुदा ने पैगाम दे दिया, लोग रातों रात बदल गये और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दे दिये। ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे रीजन्स हैं। लोगों ने 1947 से 1975 तक यह राज देखा और जून 75 के बाद लोगों ने 19 महीने का राज देखा। आज कांग्रेस संगठन मानता है कि वायस आफ डिसेंट थी। इस देश में ऐसा नहीं होता और जनता अगर इस शासन को नहीं बदलती तो यह कौन बोलता जो हम सारे लोग बोल रहे हैं? पहिले कौन एम. एल. ए. बोला, कौन एम. पी. बोला और कौन सी. एम. बोला? इस देश में आतंक का वातावरण था। ज्युडिशियरी को सबजूकेट किया गया प्रेस को प्रेशराइज किया गया और सब काम समाप्त हो गया। एसेम्बली, पार्लियामेंट की पावर छीन लीं। सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। कोई बोल नहीं सकता। यह आजादी, मान्यवर, एक व्यक्ति की नहीं, एक परिवार की नहीं, यह देश की आजादी है जिसने सारे देश का नक्शा बदल दिया और गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। इसलिये आज मैं बोल रहा हूं।

मान्यवर, मुझे अपनी बात याद आती है जब मैं जेल में था। विरोधी पार्टीज की टेबल्स पर लगातार बैठकर हमने कोई इन्साफ नहीं किया। हमें इस दौरान अपनी कमजोरियों पर, अपनी गलतियों पर गम्भीरता से विचार करने का मौका मिला। राजस्थान में हमारा पोलिटिकल बेस नहीं था। जेलों में रहने के बाद हमने सोचा कि अपना बेस क्यों न बनायें यह हमने जेलों के अन्दर बैठकर सोचा। संजय जी के कारण जेलों में रहे केवल इसलिये कि हम पोलिटिकल बेस पैदा नहीं कर पाये। जेलों के अन्दर हमने सोचा और कुछ कमियों को दूर किया। अभी मेरे भाई बोल रहे थे, उसके अन्दर कुछ तथ्य हैं मैं ऐसा मानता हूं। इस 19 महीने में हमने जो आर्डिग्रल्स देखे, इस 19 महीने के इम्प्रिजनमेंट की जो भट्टी थी उसमें सारी कमियों को भस्म कर दिया और एक नया स्वरूप लेकर निकले। नई बात लेकर बाहर आये कि जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक राइज नहीं करेंगे तो, मान्यवर, 30 साल की एस्टेब्लिश्ड हुकूमत को जनता ने जैसे बदला, वैसे हमको भी बदल देगी। जनता राज बना सकती है तो बदल भी सकती है। यह जाग्रति हमेशा कायम रहे। आज मैं यह कहूं कि नई पावर आई और देश में काम कर रही है। हमारे मेम्बर इस विधान सभा में बहुत कम हैं। हम आपका इस्तीफा नहीं मांग सकते। हम मजबूत नहीं हैं। हमारा बेस इतना नहीं है कि हम हुकूमत दे सकें। मैं मानता हूं हमारी कमी है मगर कम तादाद में होते हुए भी हमारी जो 25 सीटों में से 24 सीटें आई हैं आखिर हवा से नहीं आई हैं। 19 महीने पूरी ताकत लगाई है। मुख्य मंत्री की तारीफ करना चाहता हूं उन्होंने इनटेन्सिव टूर किये हैं। सारे साधन आपने इस्तेमाल किये हैं इलेक्शन से पहिले और बाद में, पर 19 महीने की तैयारी के बाद जिस राजस्थान में आप मजबूत थे उसमें आप हवा का मुकाबला कर सके? आइडोलोजी के 25 सूत्रों में यदि डेडीकेशन आ जाता, उसमें करेज आ जाता, उसमें वैल्यूज पैदा हो जातीं तो उसके

(श्री केदारनाथ)

खिलाफ आप मुकाबला कर पाते। लेकिन कहां गये आपके 25 सूत्र ? कहां गया आपका डेडीकेशन ? हवा में वह तमाम बह गया। अगर एक संगठन 30 साल की ताकत के बाद बह जाये तो क्या उस संगठन के लिए आप कहेंगे कि केन्द्र में स्थाई सरकार दे पाता ? आपका कोई आधार नहीं था। पोलिटिकल थिंकिंग नहीं थी। आपने हमेशा यह सोच लिया कि एकदम हमारा देश है। आपने स्लोगन दिया, गरीबी को दूर करने का आपने स्लोगन दिया मगर आपके खुद का व्यवहार और आपके खुद के खयालात सारे ऐशो आराम के थे। मैं हमेशा कहता रहा जिस देश की पार्टी का संगठन ऐसा हो जाये कि बोलने की आजादी न रहे, खोखला हो जाये तो वह देश तरक्की नहीं कर सकता।

मैं पर्सनली इन्दिराजी को बहुत महान मानता हूं उनके अन्दर इनीशियेटिव है, ड्राइव है वह खतरा मोल ले सकती हैं, रिस्क ले सकती हैं। टाईमिंग के बारे में उनके अन्दर सुपर ह्यूमन फोर्स है। लेकिन उनके आसपास के लोगों ने जो उनके प्रति पर्सनलिटी कल्ट पैदा कर दिया, वह खतरनाक था। वह कोटरी कौन थे, यह आप भी जानते हैं। उन्होंने इन्दिराजी के दिमाग में अथारिटेरियनिज्म पैदा कर दी और उसके बाद में जो कुछ हुआ है, उसके लिये इन्दिराजी दोषी नहीं हैं, दोषी है वह चापलूस, वह जी हुजूर।

मुख्य मंत्री संजय गांधी के सामने खड़े रहें, यह कहां तक ठीक है ? मुख्य मंत्री का एक व्यक्तित्व है। कल को संजय गांधी बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक जो अथारिटी और पावर, यहां पर क्रीएट की गई, जो सलामियां दी गईं वह कहां तक ठीक था ? आप यहां पर राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के नुमायंदे हैं। आपका खुद का एक व्यक्तित्व है। आप संजय के सामने कुछ बोल नहीं सके, आप कुछ कहें और संजय गांधी कुछ कहें और वह आपको सुपरसीड करे। मुख्य मंत्रियों से वह इस्तीफे मांगें और आपकी लीडरशिप में दखल दें। तीन तीन दिन तक चीफ मिनिस्टर्स संजय के दरवाजे पर खड़े रहें उनसे बात करने के लिये। आपने इस देश के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस किया है।

आपने इमर्जेन्सी के दौरान किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। आउटलॉज के साथ भी कोई ट्रायल हुआ करता है। आउट लॉ जिसे डिक्लेयर किया जाता है, उसके लिये भी कोर्ट का दरवाजा खुला होता है, उसको रीजन्स दिये जाते हैं कि हमने इस आधार पर तुमको बन्द किया है। लेकिन आपने सारे राइट्स सस्पेंड कर दिये, पकड़ने के कारण बताने से इन्कार कर दिया, मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी, किसी से मिलने नहीं दिया, न हमें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कोई मूवमेंट देश में कैओस फैलाने का नहीं था। देश को मिटाने की बात कही गई, यह कहा गया कि विदेशी पैसा आया है देश में कैओस फैलाने के लिए, हुकूमत बदलने के लिये। 25 तारीख को मैं गंगानगर से यहां आया, ऐसी कोई भी बात नहीं थी लेकिन हमको बन्द कर दिया गया। आर. एस. एस. के लिये आप कहते हैं कि गांधीजी की हत्या की, लेकिन गांधीजी के सिद्धान्तों की हत्या कांग्रेस के मेम्बर्स ने की। आर. एस. एस. ने गांधीजी की फिजीकली मारा होगा,

(श्री केदारनाथ)
लेकिन उनकी पोलिटिकल डेथ के लिये कांग्रेस जिम्मेदार है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर देश की हालत बदली तो आपने बदली। मजदूरों ने इतनी फाइट्स करके राइट लिया, उसको आपने खत्म कर दिया। बोनस को आपने कानून से समाप्त कर दिया। तो वे वोट श्री गहलोत और श्री गोटेवाला को नहीं देंगे। 30 साल की सारी उपलब्धियां आपने स्मेस कर दी और लोगों को गुलाम बनाकर बैठा दिया। उनको छूट दे दी, ले आफ करें तो निकाल दो, हटा दो, गिरफ्तार करके चालान कर दो और जेल की दीवारों में बन्द कर दो। आज ये ही मुख्य कारण हैं जिनके कारण लेबर क्लास ने आपको वोट नहीं दिया। स्टूडेन्ट्स में फ्रस्ट्रेशन था, एम्पलाइज हम्बुल्ड थे, किसी प्रकार का पर्सपेक्टिव नहीं था, ज्युडिशियरी सबजुगेटेड थी, ऐसा एक वातावरण था जिसमें किसी की हिम्मत नहीं थी कि सरकार की तरफ देखें। यही कांग्रेस के लोगों का हाल था। असेम्बली पार्लियामेंट की पावर डिफाइन कर दीं और आहिस्ता आहिस्ता सारी पोलिटिकली स्टेजेज अवरुद्ध कर दीं।

आप केवल स्टर्लाइजेशन की बात करते हैं, नसबन्दी की बात करते हैं। 30 साल पहले जो आधार था और जिस क्लाइमेट में रहा यहां का हरिजन, यहां का काश्तकार, यहां का स्टूडेन्ट, मजदूर आदि सबकी बेसिक चीज छीन ली। मान्यवर, जब गुस्सा पेन्ट-अप हो जाता है तो कोई रास्ता निकलता है। यह नेचुरल जस्टिस है, यह नेचुरल फ्लो है जिसको आप रोक नहीं सकते। आपने एक नेचुरल फ्लो को रोका है। पोयटिक जस्टिस है, इसको आपने रोका है और, मान्यवर, इतिहास बताता है कि ऐसे समय में क्रान्ति होती है। यही हालत आपकी हुई। फन्डामेन्टल वेल्यूज की चीज, बोलने की चीज सब समाप्त कर दी तो फिर उसके बाद क्या पैदा होता है। यही चीज फिर उनमें पैदा होती है।

इन्दिरा की 1971 में हवा थी, पत्थर बोलता था, नदी नाले बोलते थे, दीवारें बोलती थीं। हमको कहा गया, पंडित जी यह बात हो रही है। इस बार तो वोट इन्दिरा को देंगे अगली बार तुम्हें देखेंगे। यह बात नहीं है कि उनकी कोई हवा नहीं बही। बंगला देश की लड़ाई, प्रिवि-पर्स का बन्द होना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना ये सब चीजें थीं लेकिन अब कामन मैन को विश्वास हो गया कि एम. एल. ए. और एम. पी. बैठकर भी आपस में भेदभाव रख रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है वोट किसको दोगे–गिरि को दोगे या संजीव रेड्डी को दोगे। इस प्रकार सारे आन्दोलन में वातावरण ऐसा पैदा हो गया था। आज कोई भी पार्टी हो चाहे मोरारजी देसाई हों जिन्होंने आज अचीवमेंट हासिल किया है लेकिन जो सोशल स्टेट्स बनाया है, उसको खत्म कर दे, यह किसी की हिम्मत नहीं है। आज कांग्रेसी हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुये हैं लेकिन मैं जिम्मा लेता हूं कि अगर आइन्दा श्री गोटेवाला जेल में जायेंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा, और कहूंगा कि इनकी ट्रायल की जाय; इनको मौका दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा, मान्यवर, आज मुख्य मंत्री जी अपने आप इस्तीफा दे देते तो अच्छा होता। इसलिये नहीं कि मैं कह रहा हूं और इसलिये नहीं कि हम सम्भाल पायेंगे, हम बहुत कमजोर हैं

(श्री केदार नाथ)
यह .. म मानते हैं लेकिन मोरेन्जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिये। मैं बतौर डेमोक्रेसी की बात बताता हूं अन्यथा जनता रेलीगेट कर देगी, डिफीट कर देगी। किन्तु जब आपको यह कहा जाता है और जब अमल में लाने की बात करते हैं तो आप कहते हैं हमें तो लोगों ने भेजा है। वे लोग अब बदल गये। औरतों के 80 प्रतिशत वोट आपके खिलाफ गये, स्टूडेन्ट्स आपके खिलाफ गये, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वोट आपके खिलाफ गये। बाप कांग्रेस में, बच्चा हमारे साथ कूद रहा है, रात में सोता नहीं, स्टूडेन्ट्स ने पढ़ाई छोड़ दी और कस्बे, कस्बे में, गांव गांव में भाग रहा है। आखिर उसमें यह गुस्सा क्यों आ गया ? उसके सामने नक्शा था और वह नक्शा यह था कि अगर इन्दिरा जीत गई तो सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हिन्दुस्तान से खत्म हो जायगा, गान्धी जी द्वारा लाया गया प्रजातन्त्र हमेशा के लिये समाप्त हो जायगा और शान्तिपूर्ण ढंग से राज्य बदलने की जो ताकत है वह सदैव के लिये खत्म हो जायेगी। यह कैआस और अनार्की आप द्वारा पैदा की गई। यह थाट हमने पैदा नहीं किया, यह थाट आपने ही पैदा किया है। इसलिये यह बात आपको आज माननी पड़ेगी। मैं सोचता हूं बाकी चीजें तो और बहुत सी हैं। स्टूडेन्ट्स क्यों नाराज हुये ? सिन्डीकेट में स्टूडेन्ट्स के नुमाइन्दे थे, टीचर्स के नुमाइन्दे थे, और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रैक्चर पैदा हुआ था–कालेज में मैं मानता हूं कुछ कैडर खराब रहा है लेकिन वे सारे के सारे कौन थे ? वे सब इस कांग्रेस की हुकूमत से फ्यूरियस थे क्योंकि सारे केरीक्यूलम को फेल कर दिया और सिन्डीकेट के आफिस को तोड़ दिया। उन लोगों को पढ़ने के लिये प्रवेश नहीं दिया। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बाद में यह मौका नहीं आने वाला है। इसलिए, मान्यवर, वे फ्यूरियस होकर मैदान में आये। आज उन्होंने अपने आपको सम्भाला और हमको सम्भाला। मान्यवर, जो स्टूडेन्ट्स में आज जाग्रति पैदा हुई है, आज इस इलेक्शन में सेन्ट पर्सेन्ट उनका इन्वाल्वमेन्ट था इसलिए जो इलेक्टोरल का पार्टीसिपेशन था वह सेन्ट पर्सेन्ट आपके खिलाफ गया है।

प्रजातन्त्र का रास्ता, धर्म निरपेक्षता का रास्ता आज उन्होंने हिम्मत से अख्तियार कर लिया और आप लोगों को बुरी तरह हरा दिया।

इसी तरह से एम्पलाइज का मामला है। तीन हजार के करीब आपने रिटायर कर दिये। मैं उस चक्कर में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आपने सिपाही, पटवारी, बाबू तो खूब निकाले हैं और सारी नौकरशाही को डिमोरेलाइज किया है, उनको ह्यूमिलियेट किया है। फिर हुआ क्या, मान्यवर, मैं कभी व्यक्तियों के नाम में नहीं जाना चाहता हूँ यहां के पी. डब्ल्यू. डी. के चीफ इंजीनियर के खिलाफ छंगाणी साहब बोला करते थे उसका रिटायरमेन्ट करने के बजाय एक्सटेन्शन कर दें और बाबुओं के साथ, टीचर्स के साथ इस तरह से पेश आवें कि उनको हजारों की संख्या में निकाल बाहर कर दें। आप चीफ इंजीनियर को रिटायर नहीं कर पाये, अनेक ऐसे आफिसर्स हैं उनके वर्क के असेसमेन्ट को देखें, यह देखें कि उनके परिवार की आमदनी कितनी बढ़ गई 15–20 साल में, उनकी आपके प्रति क्या पूरी वफादारी है ? इसी प्रकार

(श्री केदारनाथ)

मान्यवर जमीनों के अलाटमेन्ट के मामले को देखें। इसकी यदि ओवर आल पिक्चर देखेंगे तो लगेगा एक नयी क्लास पैदा हो गई, नया कैडर पैदा हो गया और आज वह राज्य पर हावी है और संगठन पर हावी है। लेकिन आपका उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, एक्शन है बाबू के लिए। यह थर्ड कम्यूनिटी है जो आपके खिलाफ गई।

फोर्थ कौन है ? यह आपके हरिजन ! हरिजनों के लिए आपने काम किया, मैं इन्कार नहीं करता। राजस्थान में लैंड रिफार्म्स का काम हुआ, हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों से लैंड रिफार्म्स का काम राजस्थान का अच्छा है। अच्छे अचीवमेन्ट्स हैं इसमें इन्कार नहीं। आपने हाउस साइट्स दीं, जमीनें दीं, राजस्थान केनाल एरिया में जमीनें दीं, सीलिंग में जमीनें लीं, एक्स रूलर्स की जमीनें ली हैं, हम मानते हैं। मगर उसके बंटवारे के बाद जमीन को काश्त करने का जरिया नहीं दे पाए। दूसरे उसकी कीमतें बढ़ा दीं। उसके बाद इंस्टालमेंट नहीं दे पाए तो फिर जमीन कैंसिल कर दी। हरिजन इसलिए खिलाफ गए कि उसको एक मौका मिला था हिन्दुस्तान में राज बदलने में भागीदार बनने का। लेकिन गहलोत साहब किस दिन हरिजन कार्यकर्ता को अपनी जीप में बिठा कर ले गए ? किसको जीप में बिठाकर ले गए ? जो पेशेवर लोग थे, जिन्होंने दस-दस साल में स्कूल और कालेज की परीक्षा पास नहीं की, पुलिस को अपनी आमदनी का जरिया बनाया, लोगों से जबरदस्ती चन्दा वसूल किया, अधिकारियों से मिल कर लोगों के चालान करवाए, सरे आम लोगों का ईमान और चरित्र लूटा, उनको साथ लेकर वोट मांगने के लिए गए और उसका नतीजा था कि हरिजन आपके खिलाफ गया। आपके दल के लोग कहते हैं कि बाबू जगजीवनरामजी का असहयोग था। अभी भी नेता के चुनाव के बाद भी मैं यह कहता हूं कि राजस्थान का ही नहीं हिन्दुस्तान का नक्शा तभी बदलेगा जब दिल्ली की हुकूमत और सूबों की हुकूमत में साठ पर्सेन्ट ये लोग होंगे, लीडरशिप में, मिनिस्ट्री में, एम. एल.ए. और एम.पीज. में ये सारे लोग होंगे तभी हिन्दुस्तान का नक्शा बदलेगा, मैं इस बात को मानता हूं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरे दिमाग से मैं यह मानता हूं कि जगजीवनराम जी सबसे उपयोगी, सबसे जिम्मेदार आदमी हो सकते हैं। अब फैसला तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर कोई शंका पड़ गई है, कोई बाधा पड़ गई है और वहां पर खड़े होकर हमारे आदमी अभिव्यक्ति करते हैं, इस सिस्टम के बारे में कहते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर वे चुपचाप रह जाते हैं, जो जयप्रकाशजी ने फैसला कर दिया वही ठीक है इसको नहीं मानते हुए भी अपनी फीलिंग नहीं देते, गुस्से में घुटते रहते हैं तो वह नुकसानदायक है। वह अपनी बात कह दें और मैजोरिटी की बात मान लें। कन्वेसिंग चालू है। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई चाहे कुछ भी कहे, इस देश का भविष्य हरिजनों के हाथों में, मुसलमानों के हाथों में, खेतीहर मजदूरों के हाथों में, विद्यार्थियों और नौजवानों के हाथों में, छोटे कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों के हाथों में आएगा।

आप रोज कहते हैं कि इण्डस्ट्रीयलाइजेशन कर दिया। आपने

(श्री केदारनाथ)

क्या किया है 19 महीने में और पिछले 25 सालों में आपका रिजर्व बैंक क्या कहता है? यह उसकी रिपोर्ट है। यह मारुति किसके पास है? बिड़लाजी के पास। आखिर देश के प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, मगर उसका डीलिंग इस तरह से होता है तो क्या वह सब्जेक्ट टू ट्रायल नहीं है? वह सबसे ज्यादा अपराधी है। यह सब कुछ क्या है? मल्टी-नेशनल वर्ल्ड कार्पोरेशन के पास, वर्ल्ड बैंक के सामने आपकी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर आज दासी के रूप में एड मांगने जाते हैं और सबसे ज्यादा कर्जदार एशिया और अफ्रीका में आपका मुल्क हो गया है। आपने इण्डस्ट्रियल बेस बनाया। अभी भी आपका इकोनोमिक ट्रेन्ड, इकोनोमिक कोम्पलेक्स है उसका कंसेप्ट, उसका कटेंट केपिटलिस्ट है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। तो मोरारजी को दोष मत दीजिए इसलिए कि आपकी वेसिक पालिसी मिक्स्ड पालिसी के नाम से है। आपने कहा कि ब्लैक मनी खत्म कर दी, ब्लेक मनी वालों को गिरफ्तार किया, उनकी प्रोपर्टी जब्त की, सख्त कानून बनाया लेकिन आपका रिजर्व बैंक क्या कहता है। केवल दस पर्सेंट धन अर्थ कर पाये हैं। केवल सात सौ करोड़ रुपया धन अर्थ किया है। डोंडी पीटी कि मीसा उनके लिए है और गिरफ्तार हमको कर लिया, फिर भी काबू नहीं कर पाए और उनको छोड़ दिया। हमने नहीं छोड़ा है, आपने ही छोड़ा है। प्रोपर्टी आपने दो पर्सेंट लोगों की जब्त की है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारी प्रोपर्टी को जब्त कीजिए, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स के असेट्स को अपने हाथ में लीजिए, सारे बैंक बैलेंसेज को हाथ में लीजिए, फौरिन कम्पनीज का नेशनलाइजेशन कीजिए। इन 19 महीनों में केदार ने नहीं रोका, जनसंघ ने नहीं रोका, जगजीवनरामजी ने नहीं रोका···

श्री श्रीराम गोटेवाला : जगजीवनरामजी तो अभी तक हमारे साथ थे। अब तो आपके साथ आ गए हैं, अब आप कर लो।

श्री केदारनाथ : 19 महीनों में किसने रोका था आपको? आपने राजा रानी को गिरफ्तार किया, अच्छा किया लेकिन उसके बाद क्या हुआ। सारी प्रोपर्टी लेकर इन्डस्ट्रीज में लगा दो। सारी जमीनों पर कब्जा कर लो। खेतिहर मजदूरों को ये शहर के सारे बागान लेकर हाउस साइट के लिए अलाट कर दो। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप तो रातोंरात उनको वहां से उठा देंगे····

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे क्षेत्र में आप एक भी ऐसा केस नहीं बता सकते जिसमें जिसको अपनी जगह से हटा दिया हो और उसको जमीन नहीं मिली हो। जो जमीन उसको तीन सौ रुपये गज में मिलती वह तीन रुपये गज में दिलाई है।

श्री केदारनाथ : आपका मौका था आप इस सारी प्रोपर्टी पर, सारी जमीनों का कब्जा करवा देते। मीसा आपके पास था, आप ब्लैक मनी पर काबू पा सकते थे और इन कम्पनीज पर काबू पा सकते थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सकते थे, उनके असेट्स हाथ में ले सकते थे और देश की इकानॉमी को बदल सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि आपकी मंशा नहीं है, आपका कन्विक्शन नहीं था, आपका इन्टेनशन नहीं है। आप केवल लिप

(श्री केदार नाथ)

सिम्पेथी देते रहे, आप केवल नारा देते रहे अमल में आपका व्यवहार इसके विपरीत रहा। लेकिन इसको आप एप्रिशियेट नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि हवा आ गई हमारे खिलाफ। आपने यह नहीं सोचा कि ईवेंट्स आपके खिलाफ गए हैं। हरिजन आपके खिलाफ गये हैं, व्यापारी खिलाफ गए हैं, छोटी कम्युनिटी आपके खिलाफ गई है। आठ-दस मजदूरों को आपने एन.बी.सी. में निकलवा दिया, गहलोत साहब को चुनाव मे खड़ा कर दिया इसलिए मजदूर आपके खिलाफ गए। यह सारा वैक्यूम क्रियेट हुआ। यह गलत असेसमेंट था। आप सही तौर पर एप्रिशियेट करिये कि ईवेंट्स आपके खिलाफ क्यों गए हैं। मैं आज के ईवेंट को दूसरी आजादी की लड़ाई मानता हूं। मैं इसे मूवमेंट मानता हूं। मैं इसको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट मानता हूं। इसे दूसरा फ्रीडम मूवमेंट मानता हूं जिसको एक कॉमन मैन ने लड़ा है और आपको दिखा दिया है। आज जिन्होंने कांस्टीट्यूशन के खिलाफ काम किया है, इमर्जेन्सी का दुरुपयोग किया है वह चाहे कोई भी हो, संजय हो या और कोई हो, कोर्ट में ले जाकर खड़ा किया जायेगा। यह मामूली बात नहीं है। इसमें किसी एक दल का सवाल नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, कि जो मर्जी आए सो कर ले। देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, देश के ट्रेडीशन और हिस्ट्री को एक परिवार अपनी मर्जी से आए वैसे चलाए, यह नहीं हो सकता, जनता ने यह साबित कर दिया है। पार्लियामेंट को फ्री पावर देंगे, असेम्बली को फ्री पावर देंगे, वॉइस आफ डिसेंट को नहीं दबा पायेंगे चाहे कोई भी सरकार हो। यह बुनियादी प्रश्न है, यही डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन है। जिन्होंने थ्रोटल किया है प्रेस को, जिन्होंने स्टीफिल किया है प्रेस को, जिन्होंने सबजुगेट किया है ज्युडिशियरी को उन्होंने गुनाह किया है। उनको जनता की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा और अपने गुनाहों का प्राश्चित करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमने खेतिहर मजदूरों के लिए काम किया, जमीदारों के खिलाफ कार्यवाही की तो मैं पूछता हूं कि जमीदार और जागीरदार तो आपके खिलाफ गए लेकिन खेतिहर मजदूर क्यों खिलाफ गए, कभी इसको सोचा? आप सोच नहीं सकते क्योंकि आपके मिनिस्टर्स को टाइम नहीं है। तीन-तीन घण्टे तक बाथरूम से निकलते हैं, सोचने का टाइम नहीं, टेलीफोन से बात करने की फुर्सत नहीं है। पन्द्रह बीस साल से एशो-आराम की जिन्दगी व्यतीत करते हुए ये कॉमन मैन से दूर हो गए हैं। आज आपके मंत्रियों को कांग्रेस के एम.एल.एज. और एम.पीज. से बात करने की फुर्सत नहीं है। ऐसे चापलूसों का घेरा बना लिया, ऐसे लोगों का गुट बना लिया जो चापलूसों जैसे लगते थे, जो हजूरियों, दरबारियों जैसे लगते थे। इसलिए लोगों की नाराजगी थी और इसलिए आपको वोट नहीं मिले, आयन्दा भी इससे बुरी हालत होगी। मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो चीज आपने यहां पर कही और इस देश में जो आपने सोशियलिज्म के नाम से, सेक्यूलरिज्म के नाम पर, समानता के नाम से गरीबी मिटाने के नाम पर, पिछड़े वर्ग के उत्थान के नाम पर काम किया, उनका मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, पन्द्रह-बीस साल हो गये हैं फ्रीडम के लिए फाइट करते हुए। मेरे दोस्त जो यहां बैठे हैं इनमें

(श्री केदारनाथ)

कितने फीडम के लिए लड़ते रहे हैं। जो फीडम के लिए लड़े उनके पास हरिदेव जोशी भी कभी नहीं गये हैं। बांसवाड़ा में कभी उनके पास जाकर नहीं बैठे हैं। अभी आपने यह देखा, इस मूवमेन्ट में कौन से लड़के आगे आये। जोधपुर का एक लड़का है, मुझे नाम नहीं मालूम है। हमेशा आप जागीरदारों के लड़कों को आगे लाये हैं। उनको आपने कहा, आपको पैसा मिलेगा, जीप मिलेगी भले ही वे हार जायें। यह आपने गलती की है। आपको हमेशा जागीरदार ही दिखे, रूलर्स ही दिखे। हमारे कैम्प में कोई जागीरदार या रूलर खड़ा हुआ है? हमारे यहां से कोई जागीरदार या राजा महाराजा खड़ा नहीं हुआ, हमने कॉमन आदमी खड़े कर दिये और वह जीतकर आये। आप कहते हैं कि वह हवा में जीत गये। यह नहीं कहते कि 19 महीने में एंग्युलरिटीज पैदा की गईं उनके कारण जीते। मान्यवर, भैरोंसिंह और दौलतराम सारण भी अगर आफिस के लिए लड़ेंगे, तो हम टिकने नहीं देंगे। यह होगा नहीं वे आफिस के लिए लड़ें। आपने उन अफसरों को छूट दे दी और उन मिनिस्टरों को छूट दे दी जो डिवीजनों के इनचार्ज थे। जो जुल्म विद्यार्थियों पर हुआ, उसके लिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वरना मैं नाम पेश करूंगा कि कौन हैं वे? हुकूमत आपकी थी इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। 20 पाइन्ट और 25 पाइन्ट के नाम से चन्दनमल बैद ने भादरा में सबसे बड़ा फेमिली प्लानिंग का टार्गेट दिया। नसबन्दी करनी है तो वह कानून के द्वारा करायी जाय। मान्यवर, फैमिली प्लानिंग एक अच्छा काम है यह मैं मानता हूं। आपने लेकिन यह नहीं देखा कि सांस्कृतिक मूल्य भी कुछ होते हैं। उसको आप आहिस्ता-आहिस्ता बदलें। फैमिली प्लानिंग की जरूरत को लोगों के दिमाग में घुसाएं। ठण्डे दिल से उनको समझायें। लेकिन जोर जबरदस्ती नसबन्दी में की गई। अब भी 5–7 आदमी अस्पताल में पड़े हैं। क्या उनका प्रापर मैडिकल ट्रीटमेण्ट हुआ? प्रोपर ट्रीटमेंट न होने के कारण लोग काम के लायक नहीं रहे हैं। गोटेवाला जी, क्या आप ऐसे लोगों के घर पर गये हैं? ऐसे किसी एक आदमी का नाम बता दें जिसके घर गये हों। अच्छा हम आपकी बात छोड़ देते हैं क्योंकि आपका यह दृष्टिकोण नहीं था। आपका दृष्टिकोण यह था कि इन्दिरा जी कैसे खुश हों, संजय जी कैसे खुश हों। आपके इस दृष्टिकोण से 20 सूत्री, 25 सूत्री कार्यक्रम को लोग कैसे अपना पाएंगे। आपके इस कार्यक्रम से इकॉनामिक स्ट्रक्चर बदला नहीं है। इस कारण जनता ने करवट ली है। दूसरा कारण यह था कि हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इलेक्शन में तब आपको कभी इतने वोट नहीं मिले जब हम लोग अलग-अलग थे। हमारी कमियां थीं। हममें वैनिटी थी। हम अब इकट्ठे हो गये हैं हमें इस बात से इन्कार नहीं है। मैं नहीं कहता, केन्द्र में जो सरकार है वह नहीं बदलेगी। अगर 30 की हुकूमत बदल गई तो यह भी बदल सकती है। मोरारजी प्रधान मन्त्री हो गये हैं। मुझे यह शंका नहीं है कि वह बदल जायेंगे। फिर भी जनता जो चाहेगी वह होगा। सब से बड़ी जनता की शक्ति है।

मान्यवर, जिन एम्प्लाइज को आपने कम्पलसरी रिटायर किया उनके केसेज का रिव्यु किया जाये। जो एटरासिटीज हुई हैं,

(श्री केदार नाथ)

उनकी जांच हो और जिन मजदूरों को निकाला गया है, उन्हें रीइन्सटेट किया जाये। मजदूरों की यूनियन्स को रीइन्सटेट किया जाये और जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका झूठा चालान किया गया है, उनके चालान वापस लिये जायें। आप करप्शन मिटाने की बात करते हैं। कॉमन मैन से पूछिये, इस यूथ कांग्रेस के नाम से कितना चन्दा लिया गया है। उनके पास उसकी रसीद है। आप अपने घर के ब्लाक को साफ करिये।

मैंने एक दिन भाई गहलोत जी से पूछा यह मेरे पड़ोसी हैं, मैं यहां 15 साल से विश्वविद्यालय के सीनेट का मैम्बर हूं, लेकिन आपके पास यह सारा स्टूडेन्ट्स का अमला कहां से आ जाता है? इनमें ऐसे-ऐसे लोग हैं जो जिस घर में गये उसे तबाह कर दिया। आप राजस्थान के नेता हैं, और अब तो हिन्दुस्तान के भी पता नहीं क्या बन गये हैं, लेकिन यह अमला आपके पास कैसे आता है? आपने फ्री लाइसेन्स दे दिया, जो मर्जी आये, करो, कोई अन्कुश नहीं। उसका रिजल्ट जो निकला वह आप देख रहे हैं। इस कान्शसनेस के बेस पर, इस पोलिटिकल बेस के आधार पर हम निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार अपना इस्तीफा देकर एक नया ट्रेडीशन पैदा करे। यहां पर आप राज करें या ये राज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यह सोचें कि सेन्टर आपको टापल करेगा, तो वह आपको टापल नहीं करेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इमर्जेन्सी के दौरान आपने गुजरात की गवर्नमेंट को टापल किया, डी.एम.के. की गवर्नमेंट को आपने टापल किया, केरल की हुकूमत को आपने पहले टापल किया था, वह रास्ता हम नहीं लेंगे। लेकिन पोलिटिकल मोरालिटी के नाम पर, जनता के वर्डिक्ट के नाम पर, आपको इस्तीफा दे देना चाहिये। यह आप एक नमूना देश के अन्दर पेश करें। सुखाड़ियाजी ने इस्तीफा दे दिया। खेतसिंह जी ने भी इस्तीफा दे दिया है, अब पता नहीं वास्तव में देना चाहते हैं या सिर्फ हीरो बनना चाहते हैं। अगर वास्तव में दे दें, तो मैं उन्हें फूलमाला पहनाऊंगा। उनके मन में ऐन्गुइश है और इसलिये उन्होंने इस्तीफा दिया है तो मैं उनका स्वागत करूंगा।

यह वीरों का देश है, और आपने जो 21 महीनों से उन पर अंकुश लगा रखा था, उसको यहां की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। इस देश में हमेशा प्रजातन्त्र रहेगा, इस देश में हमेशा धर्म निर्पेक्षता का राज रहेगा और गरीबी मिटानी होगी। अगर कोई भाई इसके विपरीत सोचता है, तो वह गलत सोचता है। आज कम्युनिस्ट देशों के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हों, उसकी बात की जाती है। आज कई चीजें हमारे यहां रूस की देन है, हम उसको भुला नहीं सकते। लेकिन इस देश के हिस्टोरिकल ट्रेडीशन्स हैं, एक मोरल बेसिस है, हमारे देश की डेमोक्रेटिक वेल्यूज हैं, और ऐसी हालत में आपको इस्तीफा देना चाहिये।

यह कहते हुए मैं समाप्त करता हूं कि आप इस बात का चिन्तन कीजिये और इसके कारणों को पालिटिकल इश्यूज मत मानिये, वैगेरीज ऑफ वोटर्स मत मानिये। कुछ ऐसे फेक्टर्स थे, लीडरशिप की कमी थी,

(श्री केदारनाथ)

आपका बिहेवियर था, कुछ और बातें थीं जो आपको गलाती रहीं। एक रिजोल्यूट विल थी जो आपके खिलाफ बगावत करके आगे आयी। मान्यवर, मैं हमेशा कहता था और आज भी कहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर अनेक कार्यकर्ता हैं जिनको आपने नहीं पूछा। उनको आप साथ लेकर चलते तो आपकी यह हालत नहीं होती। मगर आपने कभी भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। आज भी ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जिनके पीछे ईमानदारी का बेस है। अगर ऐसे लोगों को साथ नहीं लिया तो जो हाल लोक सभा के चुनावों में हुआ वही हाल यहां पर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह !

श्री रणजीतसिंह (प्रोसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय विश्नोईजी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। परन्तु कुछ मुद्दे जो इस भाषण में आंकड़ों के आधार पर रखे हैं उस पर भी कुछ कहना चाहता हूं। हालांकि कल गांधीजी की समाधि पर कुछ राजनैतिक पार्टियां एकत्र होकर उनसे प्रेरणा लेने गई थीं परन्तु यह प्रेरणा कांग्रेस पार्टी ने कई वर्षों पहले दी थी और उसी के आधार पर राज चलाने की ओर जनता की भलाई के लिये काम करने की बात कही थी। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि गांव स्वावलम्बी बनें। हिन्दुस्तान के अन्दर जो आबादी है उसमें से 85 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है इसलिये महात्मा गांधी ने पहले गांवों को स्वावलम्बी बनाने के ऊपर जोर दिया था। गांधीजी का स्वप्न गांवों में पांच बातों के लिए था, गांवों में ग्राम पंचायतें बनें, गांवों में पाठशालाएं हों, गांवों में सहकारी समितियां हों, गांवों के अन्दर स्वच्छ पानी के कुए हों और गांवों के अन्दर दवाखाने हों। यदि ये पांच चीजें गांवों में देखने को मिल जायें तो गांधीजी का स्वप्न काफी हद तक साकार हो जाता है। परन्तु आज जिस तरह के हालात देखते हैं उसमें इनमें से दो-तीन बातें गांवों में पहुंची हैं। ग्राम पंचायतें गांवों में स्थापित हुई प्रजातन्त्र की प्रणाली से। यह अच्छा हुआ परन्तु जिस तरह से इस राज ने पंचायत राज को दबाकर रखा है, उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में रोष है। वह रोष अब उभर कर सामने आया है। दूसरी बात गांवों के अन्दर सहकारी समितियां बनाई गई। सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में लोगों की प्रगति के लिए कर्ज के वितरण की व्यवस्थाएं की गई। लेकिन उसमें भी आपने कुछ परिवर्तन कर दिया। वह परिवर्तन इसलिए किया कि सहकारी समितियों का रुख बड़ा हो, बड़ा इस आधार से हो कि उसका खर्च और उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से चले। परन्तु उसमें भी यह ध्यान नहीं रखा गया कि सहकारी समितियां अलग-अलग गांवों में अलग-अलग तरह की हैं और उनका काम किस प्रकार से ठीक तरह से चल सकता है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भिन्न प्रकार की है, एक तरफ पहाड़ी इलाका है, एक तरफ रेतीला इलाका है और एक तरफ मैदानी इलाका है इन तीनों इलाकों में तीन तरह की तकलीफें हैं परन्तु सभी जगह एक ही प्रकार की सहकारी समितियां बनाई गई। इस प्रकार से यह जो एक छोटी सी सुविधा थी वह भी बड़ी सहकारी समितियां

(श्री रणजीतसिंह)

बनाकर वापस ले लो। इसके बाद आती है पानी की व्यवस्था। पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आज आप जिस जगह बैठे हुए हैं अगर यहां पर पानी नहीं हो तो कहीं से भी लाकर इस शहर को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा जो-जो बड़े शहर हैं जैसे जोधपुर है वहां पर पीने के लिए पानी 80 मील दूर से लाकर उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी तरह अगर गांवों में बैठे हुए आदमी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है तो उसकी नाराजगी होना स्वाभाविक है। इस तरह से जगह-जगह पर तीस साल के दरमियान में पानी की व्यवस्था नहीं होने से प्रजा में नाराजगी होती गई। उस नाराजगी के कारण ही यह चुनाव परिणाम है। प्रजातन्त्र एक स्प्रिंग है। जिस तरह से उसको दबाकर बैठ जाते हैं तो वह बैठते वक्त तो दबी रहती है लेकिन जब उठते हैं तो उछाल देती है इसी तरह से प्रजातन्त्र में गलतियां हुईं फिर भी जनता को आपने दबाये रखा लेकिन जब वक्त आया और जनता में शक्ति आई तो वापस जनता ने जवाब दे दिया और उस जवाब को सहन करने की शक्ति रखनी पड़ी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ गलतियां पिछले तीस साल में हमने कीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आंकड़ों के आधार पर काफी बातें कही गई हैं। इस मुल्क में और राजस्थान में लोगों के अन्दर इस कारण भी नाराजगी रही कि हम कई तरह योजनाएं बनाकर आंकड़े दिखाते रहे। जनता ने अब यह नाराजगी व्यक्त की। देहाती इलाकों में लोगों की नाराजगी ज्यादा व्यक्त हुई। इसका कारण यह है कि देहात का एक आदमी जयपुर में आये और आकर नल का ठंडा पानी पीवे तो उसके दिल में स्वाभाविक तौर पर आता है कि मैंने किस जगह पर जन्म लिया जहां पर पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है और यहां पर यह सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार से शहरों में बिजली का इन्तजाम देखें और गांवों में हालत यह है कि घासलेट भी नहीं मिलता। इसलिए नाराजगी की भावना गांवों में शहरों के प्रति बढ़ती जा रही है और गांव और शहर में एक खाई सी पड़ गई है। अगर सरकार देहातों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं कर सकती है और इस खाई को मिटा नहीं सकती है तो यह भावना बढ़ती जाती है। यही भावना चुनाव परिणाम का कारण है। अभी प्रोफेसर केदार कह रहे थे, यही वजह थी कि जनता की लालसा दिनोंदिन बढ़ती गई और आप उनकी पूर्ति नहीं कर पाये, आंकड़ों के आधार पर लम्बी चौड़ी बातें कहते रहे, आंकड़ों के अन्दर काफी प्रगति दिखाते रहे।

अभी फेमिली प्लानिंग की बात आई। यह चीज किस आदमी के लिए है? यह एक समझदार आदमी के लिए है। जो यह समझता है कि ज्यादा बच्चे होने से अपना गुजारा नहीं कर सकेगा, उसके लिए है। यह काम तो तीस साल से चल रहा है, शहरों और गांवों में····

(3.00 म. प.)

(श्री गुमानमल लोढ़ा, सभापति, पीठासीन)

पिछले सालों में भी आपरेशन हुए, उनके नतीजे तो खराब नहीं हुए। फिर इनके नतीजे खराब क्यों हुए? क्योंकि लोग अनपढ़ ज्यादा थे, उनके साथ जोर जबरदस्ती

Page No 57

57

(श्री रणजीतसिंह)

की गई, टार्गेट फिक्स कर दिये गये । टार्गेट तो पूरे कर दिये लेकिन लोगों ने वापस इसका जवाब दे दिया । गांवों के अन्दर रोष था, तीस साल से गांवों के अन्दर लोगों को आंकड़ों के आधार पर जिन्दा रखना चाहते थे । आज देहात का आदमी और शहर का आदमी जहां कहीं पर भी बैठता है तो उसको इसका पश्चाताप जरूर होता है कि हमें यह पता नहीं था कि कांग्रेस की ऐसी हार हो जाएगी, इस तरह से प्रधान मंत्री हार जाएंगी । अब तो पश्चाताप कर रहे हैं। हमने समय खो दिया । अब भी अगर हम समझकर नहीं चलेंगे तो आगे भी पश्चाताप हो सकता है क्योंकि समय परिवर्तनशील है । उदाहरण के लिए कुछ मुद्दे, जो आज जनता की भावना को उत्तेजित करते हैं, आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं ।

पहली पीने के पानी की बात है । इतने वर्षों के बाद भी जहां पानी की ज्यादा तकलीफ है वहां पर किसी तरह की नल योजना नहीं और अगर नल योजना बनी है तो ऐसी जगह बनी है जहां बहुत बड़ा आफिसर है या बहुत बड़ा मंत्री है, जिनके हाथ में काम है । उन्होंने अपने यहां योजना जरूर बनाई होगी । और जगह अगर योजना बनी है तो गलत बनी है । अगर नल योजना बनी तो नल एक मोहल्ले को दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे में दिया, चौथे को छोड़ दिया, हरिजन बस्ती को छोड़ दिया । इस कारण गांव में पानी पहुंचा उसके बाद भी रोष रहा । उन्होंने देखा, हमारे लिए यह नहीं आया है, यह तो चंद आदमियों के लिए आया है । इसलिये जो कुछ भी योजना बने वह इस तरह की बने कि उससे पूरे गांव और समाज को फायदा हो । यही पानी की हालत है, यही बिजली की हालत है, यही सड़कों की हालत है । रेडियो है, बोलता है, राजस्थान के मंत्रिमंडल का नाम आना चाहिए, इसलिए रेडियो बोलता है । विद्युतीकरण के मामले में पिछले 5 साल में जोधपुर जिले में एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ । जब कि वहां का एरिया डबल क्राप है । आंकड़े तो जरूर दिए होंगे...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जोधपुर के तो तीन मंत्री हैं ।

श्री सभापति : अब दो रह गए ।

श्री रणजीत सिंह : आज विद्युतीकरण के मामले में जिस तरह से बिजली पहुंचाने की बात है, आंकड़े अगर सही हैं तो आंकड़ों के आधार पर उतने आदमियों को खुशी होनी चाहिए कि सस्ती बिजली मिली है, सस्ती सिंचाई कर सकेंगे । सिंचाई एक जगह नहर से होती है उसमें कम पैसा लगता है, और जगह अगर इंजिन से होती है तो उसमें ज्यादा पैसा लगता है, और तीसरी जगह इलेक्ट्रिक पम्पिंग से होती है तो खर्चा और भी कम होता है । लेकिन कम खर्चे वाले भी हम से नाराज हैं और जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली वह भी नाराज है । इसका कारण है, जिस तरह का करप्शन बिजली विभाग में है, वह हमने 30 साल में दूसरे किसी विभाग में नहीं देखा । आज गांव का गरीब आदमी कनेक्शन लेने जाय तो बगैर पैसे के मैं नहीं मानता कि कनेक्शन मिलता हो । अगर किसी की सिफारिश से कनेक्शन लगा है तो एक दो बार मोटर जरूर जल गई होगी । सबसे बुरा काम बिजली विभाग ने यह किया

(श्री रणजीतसिंह)

कि एवरेज चार्ज के नाम से उसने पिछली बार जितना घाटा था, वह किसान से वसूल करने की कोशिश की हालांकि घाटा बिजली विभाग को उद्योगों से हो सकता है। उद्योगों को बिजली सस्ती दे सकते हैं, उनमें दूसरी चीजें पैदा होती हैं परन्तु खेती के लिए यह सरकार सस्ती बिजली नहीं दे सकती। 13 पैसे से 23 पैसे किया, फिर 25 पैसा किया और उसके बाद आज 30 पैसा किया। यह किसकी सलाह से? वह जो लखपति है, बहुत बड़ा उद्योग चलाते हैं, उनका घाटा किसान से लेना चाहते हैं? किसान समाज का अनपढ़ आदमी है, घाटा सहन करते-करते आज उसकी यह हालत हो गई कि अगला वर्ष ऐसा आएगा कि किसानों के काफी कुए नीलाम होंगे। फसल के समय में भी वह अपना फसल का मूल्य नहीं चुका सकता क्योंकि किसान के हाथ में सिर्फ खेती के अलावा दूसरा जरिया नहीं है। हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया उद्योग है तो वह खेती है। दूसरे देशों में किसानों को सब्सिडी देकर पनपाते हैं। फिर बढ़ी हुई रेट आपने किस आधार पर लगाई, किसके कहने से लगाई? मान लीजिए केबीनेट ने उस रेट को तय कर लिया और जनता पर छुरी चलाई तो जनता ने हाल ही में लोक सभा चुनाव में फैसला सुनाया। इसके बाद विधान सभा के चुनाव होंगे तो आज भी जनता वह की वह है, उनकी तकलीफ भी वह की वह है। इसलिए बिजली की रेट जो बढ़ाई है और एवरेज चार्ज लगाया है, वह कम करना चाहिए।

दूसरी बात, जो पहले इंजिन कुओं पर लगे हुए थे, आज सैकड़ों कुए सरकार की गलत नीति के कारण पड़े रह गए। डीजल और पैट्रोल पर तो 13 परसेंट टैक्स और क्रूड आइल, जो सबसे हल्की चीज है, पर 20 प्रतिशत, उधर कंपनी ने भी उसकी रेट बढ़ा दी और 20 प्रतिशत सेल्स टैक्स से उसका भाव डीजल से भी ज्यादा हो गया। यही हालत बिजली वालों की होगी क्योंकि रेट बढ़ने के बाद काश्तकार को पड़ता नहीं खाएगा। बिजली के मामले में सरकार उचित कदम नहीं उठाएगी तो इस वक्त तो किसान मूक है परन्तु आने वाले समय में वह जवाब जरूर देगा।

आज गांधीजी के स्वप्न के अनुसार जो पांच बातें अधूरी पड़ी हैं, उनके लिए सिर्फ राजघाट पर जाकर विरोधियों ने शपथ ली है। किस तरह का झांसा देना चाहते हैं जनता के सामने। गांधीजी की हत्या करने वाले वहां पहुंचकर गांधीजी का आशीर्वाद लें तो दूसरा उद्देश्य क्या है? आशीर्वाद लेकर क्या काम करना चाहते हैं? जनता को धोखा देने की ही बात है।

अभी नसबंदी की बात आई, उसके लिए बड़ा रोष है। हमारे यहां काफी जगह डी. आई. आर. में आदमियों को बन्द कर दिया गया केवल नसबंदी के कारण, बाहर कारण दूसरा बताया। इसलिए जहां कहीं पर किसी आदमी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो रफा दफा होना चाहिए। इन्सान गलती करता है और सुधारता है।

सभापति महोदय, एक दफा हमारे जगजीवनराम जी से इन्कम टैक्स की चोरी हो गयी थी लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग ली और उनको माफ कर दिया गया। तो इसी तरह से अगर हमारी कुछ कमियां रह गयी हों, हमारी नीतियां अगर गलत

Page No 59

(59)

(श्री रणजीतसिंह)

हो गयी हों तो हमें उसका पश्चाताप कर लेना चाहिये। उनमें सुधार कर लेना चाहिये। सभापति महोदय, नसबन्दी के मामले में ऐसे उदाहरण भी पेश हुए जिनमें कि अगर किसी ने नसबन्दी नहीं करायी तो उसको डी.आई.आर. में बन्द कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को नसबन्दी नहीं कराने की वजह से बन्द किया उनकी सजा को समाप्त कर देना चाहिये।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, लेवी के मामले में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। गांवों में सरकारी मशीनरी द्वारा किस कदर जबरन लेवी की वसूली की गई और बाद में लेवी का गेहूं पड़ा हुआ है भण्डार में सुरक्षित है। मेरा निवेदन एक यह भी है कि आज खेती करते हैं और उसमें जो खर्च आता है सिचाई खाद और काश्तकार की मजदूरी आदि का उस सभी को आप जोड़ें तो वह सब मिला कर 200 रुपये क्विन्टल से कम नहीं पड़ेगा। आपने जो लेवी की रेट रखी थी वह रखी थी 105 रुपये प्रति क्विन्टल और आपने उसको बेचने की रेट रखी थी 136 रुपये प्रति क्विन्टल। तो यह 105 और 136 के बीच में जो 31 रुपये हैं वह कहां गये? यह बात काश्तकार से बनिया पूछता है कि हमें तो तुम एक रुपया बोरी देना नहीं चाहते और सरकार तुम्हें 31 रुपये का नुकसान देती है। यह 31 रुपये का घोटाला कहां हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप काश्तकार को पनपने दो। आपने लेवी के दौरान जिसने लेवी नहीं दी उसका चालान कर दिया और वह बेचारा काश्तकार अभी तक अदालतों के चक्कर काट रहा है। पेशियों पर पेशियां पड़ रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमारी सरप्लस स्टेट है गेहूं के मामले में तो हमें लेवी लेने की आवश्यकता क्यों हुई?

सभापति महोदय, इस प्रकार की जो नीतियां हैं चाहे लेवी की हों, चाहे नसबन्दी नहीं कराने की वजह से डी. आई. आर. में रख दिया हो, चाहे क्रूड आयल पर आपने 20 प्रतिशत टैक्स लगा दिया हो इससे गांव की जनता बहुत दुखी है। आपको इन्हें समाप्त करके राहत देनी चाहिये। आज ऐसा वक्त है कि आपने साहूकार के खिलाफ में कानून बनाया वह आपके हाथ से गया, मजदूर को बोनस नहीं देकर आपने उसे खिलाफ कर दिया, तो सेठ गया, मजदूर गया। अगर आप इसी तरह और काम करेंगे तो आप किसान को भी हाथ से गुमा देंगे। आज कई जगह पर सरकारी कर्मचारियों को भी आपने नाराज किया। एक आफिसर के खिलाफ होने पर अगर उसने उसकी सी. आर. बिगाड़ दी तो आपने उसको निकाल दिया। आपने ज्यादातर नीचे तबके के लोगों को निकाला है क्लर्कों को निकाला है। क्या उन गरीबों के बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे? वह बेचारे रोटी रोजी को तड़फ रहे होंगे। फलस्वरूप ऐसे लोगों के रिश्तेदार अपना विरोध कब प्रकट करेंगे। वह विरोध जब चुनाव होंगे तब ही तो प्रकट करेंगे। सभापति महोदय, यह बात नहीं कि आपातकालीन स्थिति में कोई अच्छे काम नहीं हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपातकालीन स्थिति में कई अच्छे कार्य भी हुए थे। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को, खास तौर से नीचे के लोगों को,

(श्री रणजीतसिंह)

सिर्फ इसीलिये निकाला कि एक क्लर्क की उन से आफिसर से नहीं बनती थी, आप देखें, कितने आई. ए. एस. और आर. ए. एस. लेवल के अधिकारियों को आपने निकाला ? मैं समझता हूं कि अधिकारी बहुत कम एक प्रतिशत होंगे जो नहीं के बराबर हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उनकी जांच भी जाकर उनको वापस लिया जाना चाहिये। हां, अगर कोई गुनाहगार हो तो आप उसे सजा दें।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमारी प्रधान मन्त्रीजी ने जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम रखा था वह एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था लेकिन उसकी क्रियान्विति तो बहुत कम हुई पर उसका रेडियो में प्रचार अधिक हुआ, ग्रामीण जनता ने भी इसको प्रचार ही माना क्योंकि जितना प्रचार किया गया था उसमें से बहुत थोड़ा प्रतिशत ही क्रियान्वित हो पाया था। जब हम वोट मांगने गये तो जिस प्रकार हमने रेडियो पर मीठी-मीठी बातें कीं उसी तरह उन्होंने भी मीठी-मीठी बातें कीं इस कारण ऐसे रिजल्ट चुनावों में आये कि जहां हम एक लाख या दो लाख से जीतने की बातें सोचते थे वहां हम एक लाख और दो लाख वोटों से हारे। हालांकि मेरे इलाके में तो वोट कांग्रेस के ज्यादा पड़े, रामसिंह जी के इलाके में ज्यादा वोट कांग्रेस के पड़े लेकिन दूसरी जगह तो बिलकुल नहीं के बराबर पड़े। तो मेरा निवेदन यह है कि इससे हमें सीख लेनी चाहिये। आज से 19 महीने पहले जो लोग, जो पार्टियां एक दूसरे से आंख से आंख मिलाकर नहीं चलती थीं वह सभी एक हो गयी और आज जीत गयी। पता नहीं आगे जाकर इसका भविष्य क्या हो, मैं कह नहीं सकता। सभापति महोदय, हमने सारा का सारा काम नौकरीशाही पर डाला यह उचित नहीं है। दूसरे केवल आंकड़ों के आधार पर कोई उचित कहें····

····

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

यह उचित नहीं है। हमें काम करने की आवश्यकता है। बस इतना ही निवेदन करते हुए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री केशरीमल

श्री केशरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, अभी जो हमारे देश में लोक सभा के चुनाव हुए और इस सत्र में जो राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सन् 1971 में जब पार्लियामेन्ट के चुनाव हुए थे उस वक्त कांग्रेस सरकार ने पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बंगला देश की जीत हुई थी, गरीबी मिटाओ का नारा दिया था और इसी के साथ में राजाओं के जो प्रिविलेजेज समाप्त किये थे और प्रिविपर्सेज समाप्त किये थे; इन कार्यों के कारण उस चुनाव में कांग्रेस की बहुत भारी जीत हुई थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जो नारे कांग्रेस पार्टी ने दिए थे वह सिर्फ नारे ही रह गये और उनकी क्रियान्विति नहीं की गयी जिसका कई जगहों पर असर पड़ा। जिस दिशा में हमारे देश को ले जाना चाहिए था वह उस तरफ नहीं ले जाया जाकर धीरे-धीरे कांग्रेस

(श्री केशरीमल)
अपनी नीतियों से अलग होती गई। नतीजा यह हुआ कि जो गरीबी मिटाने की बात की गयी थी, जो भूख आपने नारों से जनता के मन में जगाई गई थी वह भूख मिटाना तो दूर रहा आपने अपने रास्ते ही बदल दिये।

सभापति महोदय, स्थिति यह हुई कि बिचौलियों के घर बन गये, देश में हालत खराब हो गई, सेठों ने एक आर्टिफिशियल स्थिति कमी की पैदा कर दी, एक वातावरण अराजकता का फैला दिया, स्मगलिंग का जोर हो गया। उस वक्त इमर्जेन्सी लगी थी तो हमने आपातकालीन स्थिति को देश में लागू करने का समर्थन किया। लोगों ने अराजकता के डंडे से सरकार को हांकने की कोशिश की थी उसके कारण देश की हालत खराब हो गयी थी। उसके बाद में आपातकालीन स्थिति लागू की गई। इससे पहले पहले तो वातावरण में सुधार हुआ लेकिन बाद में हालात बदलते गए। मजदूरों के जो हक व हकूक थे उन्हें बन्द करना शुरू किया जो मजदूरों को बोनस मिलता था वह बन्द सा कर दिया। वह अपने अधिकारों के लिये नहीं लड़ सकते थे। पार्लियामेंट में कानून ही बदल दिया। सभापति महोदय, यही नहीं कुछ कानून ऐसे बनाये जिससे कैपिटलिस्ट्स को फायदा हुआ। इमर्जेन्सी में हड़ताल नहीं हो सकती यह कह कर मजदूर को अपने हकूक के लिए बोलने का अधिकार तो नहीं दिया लेकिन उसके विपरीत फैक्ट्रियों के मालिकों को उससे बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा दिया। एल. आई. सी. के लोगों को जो फायदा होना था वह नहीं हुआ और बैंक्स के लोगों के साथ भी अन्याय हुआ। कारखानों के प्रोडक्शन को बन्द कर कारखानों के मालिकों ने बन्द कर दिया, उन्होंने ले आफ फैक्ट्रीज का करना शुरू कर दिया, जिससे बेकारी बढ़ी लोगों को जो काम मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और लोग बेकार हो गये। इधर ताला बन्दी हो गई उसका असर यह पड़ा कि प्रोडक्शन कम हो गया। सभापति महोदय, इमर्जेन्सी के पहले जब कि हड़ताल का एवरेज 86.8 था वह इमर्जेन्सी के बाद घटकर 24.4 हो गया और तालाबन्दी का एवरेज जहां कि 13.9 था वहां पर ले आफ का एवरेज बढ़ कर 75.6 हो गया। ऐसे तरीके कारखानों के मालिकों द्वारा अपनाये गये जिससे उनको लाभ अधिक हो। मालिकों ने ऐसी नीति अपनायी कि जिससे प्रोडक्शन कम हो और मालिकों को लाभ अधिक हो। मालिक लोग ज्यादा प्रोफिट कमाने में लग गये।

माननीय सभापति महोदय, सरकार यह कहती है कि पैसा जब मजदूरों के हाथ में जाता है, तब मजदूर इस पैसे से चीजें खरीदता है और इस कारण बाजार के भाव बढ़ते हैं। उसको रोकने के लिए सी. डी. एस. लागू की गई। आधार ही गलत था सरकार का। इससे यह बात हुई कि सी. डी. एस. लागू हो गई, मजदूरों की तनख्वाहें जमा होने लगीं, बैंकों में जमा होने लगी, मजदूरों को पैसा मिलने नहीं लगा, एक हजार करोड़ से ज्यादा पैसा जमा हो गया और पैसा जहां देने की बात थी, वहां भी देने से इन्कार कर दिया। एक तरफ तो यह कहते हैं दूसरी तरफ भाव तो पहिले ही बढ़ जाते हैं फिर वेतन बढ़ाने की बात होती है। सरकार ने उल्टी बात पकड़ी कि इसलिए सी. डी. एस. लागू की जा रही है कि बाजार भाव बढ़ते हैं उनको रोकना है। एक तरफ सी. डी. एस.

(श्री केशरीमल)

लगी दूसरी तरफ बोनस काट लिया और सी. डी. एस. का जो पैसा मिलना चाहिए था वह छः महीने बाद मिला। 1976 की मार्च में 282 कन्ज्यूमर इन्डेक्स था वह दिसम्बर, 1976 में 315.08 हो गया। भाव तो लगातार बढ़ते जा रहे थे और मजदूरों का बोनस काट कर रोक लिया। बोनस उसको नहीं मिला। फिर भाव बढ़ते हैं तो इस प्रकार सोचना कहां तक ठीक था? लेकिन मजदूरों की बात को सुनी नहीं। लगातार मजदूर मांग करते रहे कि सी.डी.एस. खत्म करो और बोनस मिलना चाहिए। बोनस की बात लड़ लड़ कर हासिल की। कितने लोग मरे होंगे, जेल गए होंगे और उसके बाद यह अधिकार मिला। सरकार ने कानून के जरिये तत्काल बोनस का अधिकार छीन लिया। आज बोनस नहीं मिलता। मालिक होशियारी से इस तरीके से हिसाब तैयार कर लेते हैं कि कर्जा दिखा कर छंटनी कर देते थे और तमाम बोनस के पैसे को हड़प जाते थे। वेतन कम कर लेते थे और बोनस दिखा देते थे। बोनस खत्म हो गया तो मजदूरों का फायदा अपने आप कम हो गया। श्रम विभाग के अन्दर इस तरह के मसले आए हैं। मांगों के मसले उठाए हैं लेकिन विचार करने से इन्कार कर दिया। जिन मजदूरों की छटनी कर दी उन मजदूरों को वापिस लिया नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई सरकार ने कार्यवाही नहीं की। पहले व्यवस्था थी कि सरकार के सामने ऐसे मसले आयें तो सरकार इन मसलों को हल करे। राज्य सरकार अदालतों में भेजने का विरोध कर रही है। नकारात्मक रुख अपना लिया है और एक तरह से मजदूरों का करोड़ों रुपया देने से इन्कार कर रही है। सारे देश में मजदूरों के साथ ज्यादतियां की गयी हैं। उनके अधिकार छीन लिये गये। मालिकों के मुनाफे की रकम पर रोक लगायी। उनको मुनाफा बांटने की छूट, लोगों को मुनाफा कमाने की छूट मिल गयी। जो पैसा शेयर करके बटोरा, शेयर्स की मिकदार बढ़ा दी गयी, देश को लूटा और मुनाफा बढ़ाया। लेकिन बढ़ी हुई तनख्वाह से पैसे को बांटने से इन्कार किया। माननीय सभापति महोदय, कितना पैसा कमाया इन लोगों ने। बिड़ला की सम्पत्ति 1963–64 में 282.6 करोड़ थी वह सन् 1975–76 में बढ़ कर 1076 करोड़ हो गयी। टाटा की 1963–64 में सम्पत्ति 375 करोड़ थी, 1975–76 में बढ़कर 974.6 करोड़ हो गयी। मजदूरों की हालत खस्ता कर दी।

इसी प्रकार से राज्य कर्मचारियों की तनख्वाहों का कन्सोलिडेशन करके कुछ किया। डी.ए. उनका बन्द कर दिया। चपरासियों वगैरह को मुसिबत में डाल दिया। गत असेम्बली में भी इस सम्बन्ध में मांग की गयी थी कि महंगाई भत्तों के मामलों को ठीक तरह से चलाये। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया।

अध्यापक लोग, पंचायतों के अध्यापक हैं, उनको 6–6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनको टी.ए., डी.ए. और दवाइयों के भत्ते वर्षों से नहीं मिल रहे हैं। अध्यापक बराबर तकलीफ पा रहे हैं, राज्य कर्मचारी तकलीफ पा रहे हैं। सरकार यह कहती रही है कि मजदूरों को राहत देना चाहते हैं जब कि मालिकों को पूरी तरह से छूट दी

Page No 63

63

(श्री केशरीमल)
और इस तरीके से लगातार देश में पूंजीवाद को बढ़ाया।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

पांच मिनट।

इसी तरह से किसानों पर भी ज्यादतियां की गईं। बिजली के बिल का पैसा बढ़ा दिया। रेट बढ़ा दी। लगातार उन पर ज्यादतियां की गयीं। कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायर कर दिया गया। कई संगठन बने थे, उनकी मान्यता खत्म कर दी गई। कई संगठनों को जो मान्यता मिलनी चाहिये, जैसे रोडवेज है उसमें एटक को मान्यता नहीं मिली। किसानों के साथ ज्यादतियां की गईं, मजदूरों के साथ ज्यादतियां की गईं। राज्य कर्मचारियों के संगठन पर भी वार किया। आपातकाल में इस प्रकार की ज्यादतियां बढ़ती गयीं।

लोग मकान बनाना चाहते थे। आवासीय भू-खण्ड देने की बात कही गयी। ब्यावर में पट्टे देने के बाद कैंसल कर दिये गये। हजारों लोग तड़फ गये लेकिन उन्हें जमीनें नहीं मिलीं। परेशानी उनको उठानी पड़ रही है पैसा ले लिया गया। पट्टे दे दिये गये और उसके बाद जमीन देने से इन्कार किया। किसान आम नागरिक कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों में से कोई वर्ग छोड़ा नहीं जिन पर ज्यादतियां नहीं हुई हों। हम यह देख रहे हैं कि सब ही जगह चुनाव में खराब नतीजा देखना पड़ा। सब जगह आम लोगों में असंतोष था, हर वर्ग के लोगों को सताया गया उसका यह परिणाम है।

जहां तक नसबन्दी का सवाल है, इस सम्बन्ध में तीन चार मसले उठाये। एक कोटड़ी का मामला हमने उठाया। हमने मांग की, ऐसे डाक्टरों को सस्पेन्ड किया जाय। नसबन्दी के मामले में ज्यादतियां हुई हैं उसके बारे में हमने पत्र लिखे लेकिन सरकार ने पत्र का जवाब देकर यह नहीं कहा कि इन्क्वायरी करवा रहे हैं। डी.आई.आर. के अन्तर्गत बीसों मामले चल रहे हैं. लोगों को आज तक बन्दी बना रखा है। तो नसबन्दी के कार्यक्रम को लगातार गांवों में चलाया गया, लोगों को तंग किया गया इस कारण लोग गांव छोड़कर भाग गये। उनके हल-बैल वहीं खड़े रह गये। खेत सूखते रहे। एक तरफ सरकार ने जो हुक्म दिये, उन आदेशों से इस तरह की परिस्थितियां देश के अन्दर पैदा की गईं। दूसरी तरफ पूंजीवाद बढ़ाया और पैसे वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया। तो निश्चित तौर से यह नतीजा मिलना ही था। चुनाव का जो नतीजा आया वह नतीजा साफ दिख रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज जो सरकार बनी है उन्होंने उद्योग-धंधे बढ़ाने, सड़कें बनाने और दूसरे काम करने की बात कही है। मेरे इलाके में तो पिछले 5 साल में कार्य हुआ नहीं, लेकिन आज नहीं, तो कभी न कभी होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार बनी है उसमें कौन है हम यह देखना चाहते हैं–उसमें कई लोग अच्छे भी हैं, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे तो हैं हीं, उनका न तो पूंजीवाद से सरोकार है और न वे पूंजीवाद को बनाये रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ और लोग भी हैं। अच्छा है, सरकार बनाएं लेकिन अपने घोषणा-पत्र के अन्दर जो नीतियां बतायी हैं, उन नीतियों को लागू करने

(श्री केशरीमल)

की बात करें। जैसा अभी मोजूदा प्रधान मंत्री ने कहा है अमेरिका और सोवियत रूस दोनों मित्रों के साथ बराबर का समान तरीके का रास्ता अपनाएंगे। वे कह रहे हैं कि हमारे देश के जो निश्चय होंगे वे ऐसे निश्चय होंगे जिनसे दोनों देशों को समान रखा जायेगा। यह कहा जा रहा है कि देश के ग्रास-पास दोनों देशों की फौज नहीं होंगी। माननीय सभापति महोदय, जब एक तरफ सोवियत सरकार की तरफ से इन्कार किया गया कि हमारे देश के ग्रासपास उसकी कोई फौजें नहीं हैं फिर भी हों तो नहीं होनी चाहिये, हमारा देश ग्रौर हमारे देश के ग्रासपास की सीमा सुरक्षित ग्रौर रक्षित होनी चाहिये–हम यह चाहेंगे ग्रौर इसके लिए सरकार काम करे। हम यह भी चाहेंगे कि सरकार इस प्रकार का काम करे कि जो रेल्वे के मजदूर हजारों की तादाद में छंटनी पर बैठे हुए हैं, स्ट्राइक के टाइम से बैठे हुए हैं, उन हजारों मजदूरों को काम पर नही लिया गया अब यह सरकार उन्हें काम पर ले, उनके बोनस के मामले को हल करे राज्य कर्मचारियों के साथ इन्साफ हो। इन बातों में जो गलतियां हुई हों उनकी दुरुस्ती होनी चाहिये ग्रौर जो केन्द्र सरकार से दुरुस्त होनी हों वे वहां से दुरुस्त हों। तब जाकर पता चलेगा कि सरकार किस तरफ देश को ले जाना चाहती है।

ग्राज जो पेचीदगियां पैदा हुई हैं मैं उनकी ग्रोर भी ध्यान ग्राकर्षित कर बैठना चाहूंगा जो जमीनें 20 सूत्री कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत मिली है उनमें जमीन खेती की भी है। जो जमीनें खेती की हैं ग्रौर जिन पर खेती बोयी ग्रौर परिश्रम किया गया है, जो ग्रनाज पैदा हुग्रा है जागीरदार ग्रौर लोगों ने जाकर के उस पर जबर्दस्ती कब्जा करना ग्रौर काटना शुरू किया है–राज्य सरकार उनको रोकने का प्रयास करे ? सरकार को यह देखना होगा। मुख्य मंत्री जी के सामने यह प्रश्न है कि ग्रब भी इतनी बातें सामने ग्राने के बाद भी वह किस तरह से ग्रपने काम को आगे ले जाने की बात करना चाहते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री केशरीमल : मेरा यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री जीथिंग।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश हुग्रा है। मैं राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कारण यह है कि सन् 1947 से लेकर के ग्राज तक ग्रौर पिछले 19 महीने में प्रशासन ने सारे हिन्दुस्तान को एक जेलखाना बनाया। इस दौरान हिन्दुस्तान के हर नागरिक के मुंह पर ताला लगा हुग्रा था। चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, ग्राज उनकी जुबान खुली है, ग्राज उनका मुंह खुला है लेकिन जब ग्रापातस्थिति थी–सदन की बैठकें भी हुई हैं लेकिन उस टाइम में जो ज्यादतियां हुई थीं, जोर-जबरन नसबन्दी हुई थी, उसके बारे में किसी भी माननीय सदस्य ने ग्रारोप नहीं लगाया या, ग्रापत्तिजनक कोई वक्तव्य नहीं दिया। ग्राज वे ग्रपना रोल ग्रदा कर रहे हैं जनता को दिखाने के लिए कि इस प्रकार की ज्यादतियां की गईं, इस प्रकार

(श्री जोयिंग).

लोगों को परेशान किया गया, इस तरह डाटा गया, इस तरह हैरान किया गया। यह सब सदन में बैठकर रोल अदा करने की बातें कर रहे हैं। खैर, मैं सबसे पहले मेरे क्षेत्र में कुशलगढ़ इलाके में हुई वसूली के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। वहां 15 वर्ष की पेंडिंग वसूलियां थीं खाद, बीज, सहकारी समिति, नहर पानी आदि की इन तमाम वसूलियों में काश्तकार को कई तरह से परेशान किया गया है पटवारियों के द्वारा तहसीलदारों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। वह हमेशा से सोशलिस्ट पार्टी का क्षेत्र था और सोशलिस्ट पार्टी का इलाका होने के नाते कांग्रेसियों को बहाना मिला। लोगों के मुंह बन्द थे और खुल नहीं सकते थे इस कारण 15-15 वर्ष की वसूलियां जो पेन्डिंग थी वे लोगों को मुर्गा बनाकर पटवारियों द्वारा वसूल की गई। आज हमें दुःख इसी बात का है। सरकार की वसूली होना जरूरी है, इसमें दो राय नहीं है लेकिन 15 वर्ष तक जो सरकार सोई हुई थी

(3:39 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

15 वर्ष तक किसी काश्तकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया। आज अचानक उनके नाम से डिमान्ड नोटिस निकाल कर उसके घर पर जाकर जब्ती करना और वहां पर जाकर उसको मुर्गा बनाना और वसूली करना कहां तक न्यायसंगत है ? क्या यह सरकार गरीबी मिटाने की बात कह रही है ? एक तरफ यह सरकार कहती है कि काश्तकारों को, गरीब लोगों को ऋण मुक्त कराया जाय। मैं भी इस बात को मानता हूं। इस बात से भी मैं सहमत हूं, जहां काश्तकारों, पिछड़े वर्गों के लोगों का शोषण होता है वहां उस शोषण से मुक्त कराने के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है—वह सराहनीय कदम है। लेकिन सरकार स्वयं लोगों का शोषण करती है। उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। भूमि आवंटन के लिए कहा गया है—20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से। 20 सूत्री कार्यक्रम का नमूना सामने है। उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी नक्शा सदन के सामने रखा है। जिन लोगों को, जिन काश्तकारों को 20-सूत्री कार्यक्रम में भूमि आवंटित की गई उन्हें आज तक भी पट्टे नहीं दिये गये। अलाटमेंट कमेटी ने जिन काश्तकारों को जमीन अलाट की है उनके नाम पटवारियों के पास आ चुके हैं लेकिन उन्हें पट्टे इसलिए नहीं दिये जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वे नसबन्दी का सर्टिफिकेट लाएं तब पट्टे दिये जाएंगे। यह है 20 सूत्री कार्यक्रम का नमूना।

आवासीय भूमि के पट्टों के बारे में कहा गया है वह कागजों और नेताओं के भाषण में रह गया। देश की प्रगति हुई है कागजों में आंकड़े अवश्य बताये गये हैं लेकिन वास्तविक स्थिति का अगर पता लगाना है तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन यह करना चाहूंगा कि उसके लिए जांच कमीशन बैठाया जाय और वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाय कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार वहां कितने पट्टे वितरित किये गये हैं और भूमि आवंटन का सही अलाटमेंट हुआ या नहीं। तब सही तथ्य सामने आ सकते हैं। दूसरी बात ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में कही गयी। मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री जीयिंग)

जिन काश्तकारों ने डिमाण्ड नोटिस मिलने के तुरन्त दस-पन्द्रह दिन के बाद में अपनी डिमाण्ड की रकम जमा करा दी थी, आज तीन-तीन, चार-चार और छः-छः महीने गुजर चुके हैं लेकिन आज दिन तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया। यह हालत हमारे यहां बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र की है।

इसके साथ ही मैं नसबन्दी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि सरकार के मिनिस्टर और बड़े आफिसर्स यह कहते थे कि जोर जबर्दस्ती नसबन्दी नहीं कर रहे हैं और लोग अपनी स्वेच्छा से नसबन्दी करा रहे हैं, लोग अपनी स्वेच्छा से नसबन्दी में भाग ले रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भूमि का पट्टा लेने जाओ तो नसबन्दी का सर्टिफिकेट पेश करो, शक्कर की दुकान पर जायेंगे तो नसबन्दी का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। कहीं भी अपने काम के लिए जायें तो वहां भी नसबन्दी का सर्टिफिकेट पेश करने के बाद में काम किया जायेगा। मजदूरों को नसबन्दी सर्टिफिकेट पेश करने के बाद में मजदूरी दी जायेगी। मेरे क्षेत्र में वन विभाग का काम चल रहा था, वहां पर दो हजार मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने एक हफ्ते तक तो काम किया फिर ऊपर से आदेश आये कि जितने लोग नसबन्दी करायेंगे उन्हीं को लगाया जायेगा, बाकी को नहीं लगाया जायेगा। उनके पास नसबन्दी का सर्टिफिकेट होगा तो मजदूरी पर लगाया जायेगा। तो दो हजार लोगों में से एक भी मजदूर नहीं बचा। दो तीन आदमी काम पर गये और बाकी सब के सब घर भेज दिए गए। यह है स्वेच्छा की नसबन्दी। यह तो सरकार की तरफ से जबरन नसबन्दी है। आपको सोचना है कि नसबन्दी के मामले में किस प्रकार की ज्यादतियां हुई हैं, किस प्रकार से लोगों को परेशान किया गया है। यह आपको मालूम होना चाहिए। मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि मेरे क्षेत्र में जांच कमीशन बैठाया जाये। नसबन्दी के मामलों में जितनी मौतें हुई हैं वे मैं आपको गिना नहीं सकता। मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा कि हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में तीमेड़ा गांव में एक आदमी की नसबन्दी कराने के चार दिन बाद ही मौत हो गयी। इसके लिए हमने लिखा है लेकिन आज दिन तक कार्यवाही नहीं हुई और न किसी तरह की जांच हुई। ऐसी अनेकों मौतें हुई हैं लेकिन आप जांच करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर सरकार सही तथ्य सामने लाने के लिए जांच कमीशन बैठाये और इन्क्वायरी करे तो कई मामले ऐसे आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन कौन कहने वाला था, कौन बोलने वाला था? कोई बोलने वाला नहीं था। बाई जी का हुक्म चलता था, इन्दिरा जी का हुक्म चलता था वह कहें दिन है तो दिन है और रात है तो रात है–यह कहना पड़ता था। जैसा भी इन्दिरा जी ने कहा वह किया गया और उनकी तारीफ ही की गयी। आज इधर उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी कई प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन इमर्जेन्सी पीरियड में किसी ने यह नहीं कहा। हम लोग तो जेलों में थे और आप चुप थे। आप लोगों के मुंह पर भी ताले लगे हुए थे। यह भी आपको सोचना चाहिए। इसका नतीजा जनता ने आपको बता दिया है। जनता ने अपने अधिकारों को अपने हाथों में लिया है और जनता ने अपनी आजादी को समझा है।

(श्री जोशिंग)

साथ ही मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाल विकास योजना भारत सरकार के द्वारा हमारे बांसवाड़ा में गढ़ी में चलाई जा रही है और उसमें 120 बालक हैं। इस बाल विकास योजना को चलाने के लिए श्री तेजपाल जी रोकड़िया को बाल विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह तेजपालजी कौन हैं? जो आपके बांसवाड़ा के चुनाव संचालक श्री पवन कुमार जी रोकड़िया हैं यह उनके भाई हैं। उस बाल विकास योजना में कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी सरकार अगर जांच करे तो मैं कहता हूं कि उसके सामने सही तथ्य आ सकते हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के। बाल विकास योजना के जो अधिकारी हैं श्री तेजपालजी रोकड़िया वह इतने करप्ट हैं और इतने भ्रष्ट हैं। उनके भाई पवन कुमार जी रोकड़िया बांसवाड़ा के चुनाव संचालक हैं, वह स्वयं उस काम में रुचि रखते हैं और वहां की बाइयों को उदयपुर तक ले जाते हैं और उनके पीछे न जाने क्या क्या षड़यंत्र होते हैं। यह बहुत अहम प्रश्न है। इसके लिए राज्य सरकार को स्वयं जांच कराकर ऐसे अधिकारी को तुरन्त हटा देना चाहिये। बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने जो कृपापूर्वक अपना अभिभाषण दिया है उसके ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय ने सिंचाई की योजनाओं का भी जिक्र किया है। विद्युतीकरण की प्रगति पर भी प्रकाश डाला है। कृषि विस्तार योजनायें जो लागू की गई हैं उसको भी इसमें दर्शाया है लेकिन मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि यह सारी जो बातें हैं, वह हैं लेकिन एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसमें कितना खर्चा होता है और खर्चे के अनुपात से उसकी कीमत किसान को कितनी मिलनी चाहिए इसका कोई जिक्र नहीं है। जब वह बीज खरीदते हैं गेहूं का तो 3 रुपये से भी ज्यादा एक किलो का पैसा लगता है। जब मक्का का बीज खरीदते हैं तो ढाई रुपया या पौने तीन रुपया किलो का पैसा लगता है। जब उसका उत्पादन करके मण्डी में भेजते हैं तो 70 पैसा एक किलो का मिलता है मक्का का और गेहूं का 1 रुपये किलो से भी कम पैसा मिलता है। दूसरी तरफ बिजली के पैसे तीन गुना हो गए। 12 पैसे से 30 पैसे बिजली के कर दिये। मिनिमम चार्ज को डेढ़ गुना कर दिया गया है और जिसके पास इंजिन है उसके लिए आइल वगैरह का भी भाव बहुत बढ़ गया है। इनके अलावा मजदूर की मिनिमम वेज का 5 रुपया रोज का होता है। वह मजदूर 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। इसकी शोहरत तो हर जगह हुई कि मजदूर को 5 रुपया मजदूरी का दिया जायेगा लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि अमुक समय से अमुक समय तक तुमको काम करना है। जो लगान था उसके ऊपर सरचार्ज लगा दिया और जो कामर्शियल क्राप है

(श्री शंकरलाल)

उसके ऊपर और टैक्स भी लगा दिया। इस कारण से आम किसानों में असन्तोष है। जहां भी हम जाते हैं तो लोग इस तरह की बात हमारे सामने कहते हैं कि एक बार ले लो जो कुछ लेना है लेकिन बार-बार बार क्यों लेते हो! इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कार्मशियल क्राप पर टैक्स लगाया गया है वह वापस हटा देना चाहिये और विद्युत् के ऊपर जो 12 पैसे से बढ़ाकर 30 पैसे लगाया गया है, मैं समझता हूं इसे घटाकर कम से कम 20 पैसे यूनिट कर देना चाहिये। प्रति हार्स पावर जो मोटर पर टैक्स लगाया है इसको भी कम करना चाहिये। किसानों के लिये यह एक दिक्कत की चीज है! आये दिन ऐसा भी होता है कि जब फसल की अन्तिम सिंचाई की मांग आती है तब यह देखा गया है कि कई दिनों तक 4-4, 5-5 दिनों तक बिजली बन्द रहती है जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। आपके पटवारी भी किसान को तंग करते हैं। चाहे एक बीघा में मूंगफली बोये, चार बीघा में गन्ना बोये, चाहे फसल हो या न हो, कार्मशियल क्राप पर टैक्स वसूल कर लिया जाता है। इसलिये जो जो यह दिक्कतें हमारे सामने आई हैं वह आपके माध्यम से राज्य सरकार को पहुंचा रहा हूं। उन लोगों से एक रुपये के दस दस रुपये के हिसाब से वसूल किये जाते हैं। इसलिये इस प्रकार की जो अनियमितायें हैं उनको रोका जाये और राज्य सरकार को इमीडियेट एक्शन लेना चाहिये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। सागड़ी प्रथा राज्य सरकार ने बन्द की। अच्छा काम किया, लेकिन कुछ अधिकारियों ने जो लोग हाली रखते थे उनको भी तंग किया। लाखों रुपये बरबाद हो गये। सागड़ी प्रथा अलग चीज है और हाली अलग चीज है इसमें न एककर हालियों को पृथक् कर देना चाहिये। इस तरह की बात एक अफसर से की तो जवाब दिया कि 8 आने में पेट भर जाता है। मैंने कहा, 12 आने में पेट भरा दो तो हम सब वहीं खाने लग जायेंगे। तो इस तरह की बातें हैं जिनसे किसानों में असंतोष का वातावरण फैल गया है। इसलिये इसको दूर करने के लिये, मैंने आपके माध्यम से जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार इमीडियेट एक्शन ले। इन्हीं शब्दों के साथ जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सदन के समक्ष जो अभिभाषण दिया, उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है। मैं ऐसा समझता हूं कि न केवल माननीय सदस्यों के भाषण बल्कि उनका चिन्तन और व्यवहार सारा ही लोक सभा के इलेक्शन्स और चुनावों के परिणामों के ऊपर आधारित रहा है।

(3.55 म.प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, इस सदन का दायरा केवल राजस्थान तक सीमित है और राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण राजस्थान सरकार की उपलब्धियों और कार्यकलापों तक सीमित रखा है। माननीय सदस्य यह अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि राज्यपाल अपने अभिभाषण में उन राजनैतिक स्थितियों का विश्लेषण करते जो आज देश के अन्दर पैदा हुई हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आज जहां पर तालाब नहीं बने हैं, नहरों के अन्दर सीपेज हो रहा है अथवा बिजली जहां लगनी चाहिये इन चीजों की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मैं समझता हूं कि मैं आउट आफ प्वाइंट हो जाऊंगा। कांग्रेस एक राजनैतिक दल है और मैं उस कांग्रेस का तब से एक विनम्र सेवक हूं, जब से मैंने शुरुआत की थी अपनी जिंदगी की, आज भी हूं और आयंदा भी रहूंगा। इसलिये मैं यह समझता हूं, उचित होगा कि माननीय सदस्यों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम्स के बारे में बात की है उनके बारे में बात कहूं। निश्चित रूप से चाहे इमोशन के कारण से हो अथवा तथ्यों के कारण से हो, मुझे क्षमा किया जाये, मैं राजनैतिक भ्रम से अपने आपको भुला नहीं सकता। मेरे लिये आवश्यक होगा कि मैं अपना चिन्तन, मेरे साथियों का चिन्तन, मेरी पार्टी का चिन्तन, जो मुझे लग रहा है, इस सदन के माध्यम से राजस्थान के लोगों तक रखने की कोशिश करूं।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार आज लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस के सिवाय दूसरा पक्ष जीत कर के आया है। इसलिये काफी इमोशन्स भरे हुए हैं, भावनायें काफी भरी हुई हैं पक्ष में और विपक्ष में। हमने इस देश के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र को स्वीकार किया उस दिन हमने स्पष्ट समझ लिया था कि प्रजातंत्र में एक से अधिक पार्टियां होंगी। प्रजातंत्र में मताधिकार मिलने से एक पार्टी जीतेगी और दूसरी की हार होगी। अब तक विरोधी पक्ष भी चाहे चुनावों में यह कहते थे कि हम जीतेंगे मगर निश्चित रूप से मन में वे जानते थे कि वे लोगों को भुलावा देने के लिये कहते हैं, अपनी सरकार बना नहीं सकते हैं। उनके लिये भी यह परिणाम अनएक्सपेक्टेड है और आज पहली मर्तबा देश के अन्दर केन्द्र में उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। मगर मैं ऐसा समझता हूं पांच चुनावों के अन्दर कांग्रेस जीतकर आई है निरन्तर बगैर ब्रेक के, इसलिये आज अनयूजुअल मालूम पड़ रहा है मगर हम प्रजातंत्र वादी देशों के इतिहास को उठाकर देखें तो इस प्रकार की घटनायें अनहोनी नहीं समझी जातीं। विंस्टन चर्चिल ने देश के लिये युद्ध लड़ा, नेता के रूप में युद्ध लड़ा और ठीक उस युद्ध के बाद में विंस्टन चर्चिल की सरकार हारी। उनकी पार्टी हारी और एक नई प्रकार की सरकार बनी। वहां अनयूजुअल नहीं मालूम पड़ा। उन्हें ऐसा लगा, प्रजातंत्र में ऐसा संभव है। हिन्दुस्तान में ऐसा हुआ तो मालूम पड़ता है कि अनहोनी हो गई है। मैं ऐसा समझता हूं हमारे दिमाग में से ऐसी चीजें निकाल देनी चाहिये कि कोई चीज अनहोनी हुई है। दरअसल में लोग यह कहते थे कि इन्दिरा गांधी डिक्टेटर हो गई हैं। लोग यह कहते थे कि इन्दिरा गांधी चुनाव नहीं करवाना चाहतीं। पिछले चुनावों के अन्दर विरोधी पक्ष की हार हुई तो कहने लगे कि रूस से ऐसी स्याही लेकर लगा दी गई है कि कांग्रेस जीत गयी है और

(श्री हरिदेव जोशी)

विरोधी पक्ष हार गया। चुनाव यह स्पष्ट करते हैं, चुनाव यह साबित करते हैं कि विरोधी पक्ष जिन इन्दिरा गांधी के लिए कहता था कि डिक्टेटर हो गई हैं उन्हीं इन्दिरा गांधी ने चुनाव करवा कर 60 करोड़ जनता को डेमोक्रेसी के आधार पर कहा कि यदि मुझे चाहते हो तो मुझे चुनो, दूसरों को चाहते हैं दूसरों को चुनो। जनता ने जो समझा, फैसला किया। कोई हर्ज नहीं है कांग्रेस एक चुनाव के अन्दर नहीं आई। उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है डेमोक्रेसी के इतिहास में आज विरोधी पक्ष से कहना चाहता हूं। 1967 के अन्दर कई राज्यों में आपने सरकारें बनाई थीं। काफी अच्छी स्थिति में आप आये थे और विशेष कर के आज जो जनता पार्टी के रूप में हैं उन्होंने ही इकट्ठे होकर वहां पर संविद सरकारें बनाई थीं मगर वे संविद सरकारें ताश के पत्ते की तरह गिर गईं और जनता को विश्वास नहीं दिला सकीं। मैं तो एक प्रजातान्त्रिक नागरिक के रूप में और भारतवासी के रूप में यह आकांक्षा करके चलता हूं कि हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार सफल हो, क्योंकि इसी के अन्दर देश का हित है कि देश की केन्द्रीय सरकार ठीक रहे और ठीक काम कर सके। मगर दुर्भाग्यवश ठीक काम नहीं कर सकी तो इस देश के इतिहास के लिए वह दिन दुर्भाग्य का दिन हो जायगा, जिस दिन जनतंत्र पर से विश्वास उठ जायगा और लोग यह समझेंगे कि हमें जनतन्त्र से कोई लाभ नहीं है। इसलिये कोई भारतीय नागरिक यह नहीं चाहेगा कि इस देश में जनतन्त्र सफल नहीं हो। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये आज बड़ी पक्ष में अगर बहुत खुशी है तो उनको यही कहता हूं कि संयम से काम लें और अगर किन्हीं लोगों में निराशा है तो मैं उन्हें भी यह कहना चाहता हूं कि निराशा में जनतन्त्र का विश्वास नहीं होता है। निराशा के मायने अपने आप में विश्वास खो देना है। निराशा के मायने देश पर से विश्वास खो देना है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत चर्चा हुई इस दरमियान में कि इन्दिरा ने इस देश का यों किया—यों किया। मैंने उन सारे भाषणों को पढ़ने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। मगर राजनैतिक फिलासफी को समझने की कोशिश करें तो जीवन में इस प्रकार का समय आता है जब कोई नेता बहुत क्रान्तिकारी काम सामने लाते हैं तो प्रतिक्रियावादी उसको दबोच देते हैं। आज यह साबित हो गया है और हिन्दुस्तान में आज यह चीज हुई है। हिन्दुस्तान के अन्दर गलतियां हुई होंगी, मैं उससे इन्कार नहीं करता। कांग्रेस के जीवन में भी कुछ खराबियां आई होंगी, उससे भी मैं इन्कार नहीं करता। निरन्तर सरकार में रहने के कारण सरकार में कमजोरी आ सकती है, कांग्रेस में कमजोरी आ सकती है और अवांछित तत्व इसमें भी प्रवेश कर सकते हैं। मगर एक चीज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस देश भक्तों की संस्था है। कांग्रेस उन लोगों का संगठन है जिन्होंने इस देश के लिये कुर्बानी की है। कांग्रेस उन लोगों का संगठन है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है। कांग्रेस उन लोगों का संगठन है जो इस देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक बूढ़ी स्त्री बाजार में से जा रही थी। उसको एक जगह एक छोटा सा बच्चा रखा हुआ मिला।

(श्री हरिदेव जोशी)

उसने बच्चे को उठा लिया। जिसका बच्चा था वह मां भागती भागती आई और कहा यह बच्चा मेरा है, यह बच्चा मेरा है। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, यह बच्चा मेरा है। आपस में विवाद हुआ। दोनों स्त्रियां मजिस्ट्रेट के पास ले जाई गई, काजी के पास ले जाई गई और उस समय काजी को बड़ी मुश्किल हो गई कि किसका बच्चा कहा जाय जब कि दोनों स्त्रियां कहती हैं कि बच्चा मेरा है। तब काजी ने फैसला दिया कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दें और आधा बच्चा इसको दे दें और आधा बच्चा इसको दे दें। तब असली मां ने कहा, नहीं, यह मेरी गलती हो गई है यह बच्चा उसका है, मुझे नहीं चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कांग्रेस उन लोगों की संस्था है जो आकांक्षा करती है कि इस देश की गरीबी, इस देश की भुखमरी, इस देश की बेकारी को यदि आप मिटा सकेंगे तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे और सद्भावना प्रकट करेंगे कि जो काम हम नहीं कर सके उसको आपने किया।

अध्यक्ष महोदय, यदि इस बात में लगे रहे तो निश्चित रूप से देश का भविष्य ऊंचा नहीं हो सकेगा। आज इन्दिरा गान्धी को गालां देने वालों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। यह हो सकता है। एक जमाना था जब कांग्रेस छोड़कर जाने वाले लोग आज से 15-20 दिन पहले तक यह कहा करते थे कि Indira is India और India is Indira। ये बरुआ के कहने के बाद दोहराया करते थे। आज वे इन्दिरा को कोसने की बात कहते हैं। लेकिन कम से कम मेरा जैसा आदमी और मेरे साथ में रहने वाला आदमी यह काम नहीं कर सकेगा। जगजीवनरामजी जब कांग्रेस छोड़कर गये थे—इलेक्शन के डिक्लेरेशन के बाद तो लोगों का तांता लग गया था कि जगजीवनरामजी को कोसा जाय। मेरे से भी प्रेस वालों ने पूछा। चाहे मैं इसे पसन्द न करूं कि जगजीवनरामजी कांग्रेस छोड़कर चले गये मगर वे हमारे नेता रहे हैं। हमने उनकी जय जय कार की है। मैं उनके लिये बुरा नहीं कहूंगा। मैं आज प्रत्येक के लिये सोचने और समझने की बात करता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई लोग आज राजस्थान की सरकार के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि केन्द्र में अब विरोधी सरकार आ गई है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। केन्द्र की सरकार और केन्द्र के नेता, जो आज शासन में हैं, इस सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा? मेरा उनको एक ही जवाब है कि हमने फेडरल स्ट्रक्चर स्वीकार किया है और उस फेडरल स्ट्रक्चर में यह अन्तर्निहित चीज है कि केन्द्र में एक प्रकार की सरकार हो सकती है और राज्यों में दूसरी प्रकार की सरकार हो सकती है। आज कांग्रेस उतनी कसौटी पर नहीं है जितनी मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनी हुई है। वह सरकार कसौटी पर है। अगर वह यह पसन्द करते हैं कि राज्यों की सरकारों को गिराया जाय, जैसा कि उनके भाषणों से नहीं लगता, जो कुछ उन्होंने कहा है उससे ऐसा नहीं लगता, मगर एक ही चीज कहना चाहता हूं कि राजस्थान के कांग्रेस मैन का एक नजरिया रहा है और उसने निश्चित रूप में अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद यह समझने की कोशिश की है कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज

(श्री हरिदेव जोशी)

ठीक नहीं है। हम उन संबंधों को, जो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में हैं, निष्ठापूर्वक निभाने की कोशिश करेंगे और विनम्रतापूर्वक यदि कहीं कोई गलती हुई है, मैं स्वीकार करता हूं कि हुई है, उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जनता के पास जाने की कोशिश करेंगे और यह प्रयत्न करेंगे कि जनता यह समझे कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर मैं कोई कारण नहीं देखता कि जिससे राजस्थान की सरकार राजस्थान की ढाई करोड़ जनता की ठीक से सेवा नहीं कर सके। आज, अध्यक्ष महोदय, इस बात की चर्चा की जाती है कि बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम और पांच सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्दर ज्यादतियां हुई। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम बहुत बड़ी तादाद में वीकर सेक्शन को मदद पहुंचाने के लिए था और जब एक काम को आन्दोलन के तौर पर करते हैं तो निश्चित रूप से उसके अन्दर कई कमजोरियां और कमियां रह जाती हैं। हमने सीलिंग को, जो राजस्थान के अन्दर वर्षों से इम्पलीमेंट नहीं हो पा रहा था, इम्पलीमेंट करने की कोशिश की है। हमने भूमि आवंटन को इम्पलीमेंट करने की कोशिश की है। हमने दूसरे जितने भी काम थे उनको करने की कोशिश की है। आज मैं गौरव के साथ यह कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जन हित के कार्यों को निष्ठापूर्वक करने का प्रयत्न किया है। कहीं कोई कमजोरी नहीं है और आज मेरे मन में कहीं पर भी पीछे हटने की भावना नहीं है। जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करेंगे मगर--प्रजातन्त्र, समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता जो कांग्रेस के मूल स्तम्भ हैं, जो मूल सिद्धांत हैं हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। उनसे पीछे हटने की बात हर्गिज नहीं है। हम उन पर अडिग रहेंगे, उनको ताकत पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बल देंगे और यह प्रयत्न करेंगे कि जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में सहयोग दे सकें उनका सहयोग लें।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव में केन्द्र ने जो सामाजिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों से पीछे हटने का प्रश्न नहीं है। गलतियों को दुरुस्त करना एक बात है किन्तु समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, समाज का जो गिरा हुआ वर्ग है उस वर्ग की उपेक्षा करना लज्जास्पद है। अगर कहीं कोई कमजोरी आ गई हमारे मन में कि हमने कुछ अमुक प्रकार से प्रगतिशील कदम उठाए, उन प्रगतिशील कदमों का परिणाम यह हुआ कि हमें हार का मुंह देखना पड़ा, तो स्वीकार कीजिए उस हार को। कमियां रही हैं इम्पलीमेंट करने में उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे मगर मंजिल तक आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे यह मेरी आंतरिक भावना है। अध्यक्ष महोदय, जिस देश के अन्दर चालीस प्रतिशत जनता गरीबी की सीमा के नीचे जिन्दगी बसर कर रही हो उस देश में सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम के और दूसरे जो लक्ष्य हैं उनको मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार, केन्द्रीय सरकार उपेक्षा कर सकती है। जो सिद्धान्त, जो कार्यक्रम इन्दिरा गांधी ने निर्धारित किया था, जो मेनीफेस्टो कांग्रेस ने दिया था उस मेनीफेस्टो को किसी ने ठुकराया नहीं है। उस कार्यक्रम को किसी ने झुठलाया नहीं है। आज फैमिली प्लानिंग को ले करके, लेबर के अप्रोच को ले करके अथवा दूसरे किसी प्रकार के कामों को ले

(श्री हरिदेव जोशी)

करके कहीं कोई कमजोरी रही है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार विनम्रतापूर्वक, सत्यता से और निष्ठापूर्वक उन सारी कमजोरियों को स्वीकार करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी कोई फैमिली प्लानिंग के मामले में ज्यादती हुई है तो सरकार उसको देखेगी, उसको ठीक करने का प्रयत्न करेगी और यह कोशिश करेगी कि इस देश के अन्दर मतिभ्रम अधिक पैदा न हो। आज जो कार्यक्रम हमने लिया है फैमिली प्लानिंग के अन्दर उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। उसको एक आन्दोलन के रूप में लिया है और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में उसको सौंपा। जहां तक लोगों ने, नोन आफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया है वहां पर ऐसी चीज नहीं मालूम पड़ती मगर जहां पर केवल ब्यूरोक्रेसी ने काम किया वहां पर एक प्रकार की कमजोरी और गलतियां रही हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीजों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।....

श्री प्रद्युम्न सिंह ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप क्या कह रहे हैं....

(अवरोध)

श्री हरिदेव जोशी : आप बोलना चाहें तो पहले आप बोल लें या मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और प्रयत्न यह करना चाहिए कि हम अपने अप्रोच को ठीक करें। आज हम समझें कि क्या चीज हुई। गलती कहां हुई। गलती यह हुई कि हमने लोगों को ज्यादा एजूकेट करने के बदले टार्जेट को अचीव करने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। यह कोशिश की कि आपरेशन ज्यादा करवा लें, उसमें गलतियां हुई हैं। सरकार भविष्य के अन्दर इसको आन्दोलन के रूप में नहीं मगर एजूकेशन के रूप में फैलाने और बढ़ाने की कोशिश करेगी और इस दिशा के अन्दर जहां कहीं भी गलतियां रही हैं उन गलतियों को, अध्यक्ष महोदय, ठीक करने की कोशिश करेगी। हमने इन सारे प्रश्नों के ऊपर विचार किया है और यह सोचा है कि ऐसे मामले, जिनमें आपरेशन के समय कुछ खराबी हो गई, से संबंधित व्यक्ति को राज्य सरकार के व्यय पर चिकित्सा दी जायेगी। उन लोगों को यात्रा भत्ता भी पूरा का पूरा दिया जाएगा।

अगर किसी राज्य कर्मचारी को आपरेशन में गड़बड़ी होने के कारण चिकित्सा हेतु निर्धारित अवधि से अधिक के अवकाश पर रहना पड़ा हो तो उस अधिक अवधि का संवेतन अवकाश सम्बन्धित कर्मचारी को दे दिया जाएगा। अगर किसी एनेलिजिबल पुरुष का त्रुटि से आपरेशन हो गया हो एवं वह रीकैनेलाइजेशन का आपरेशन करवाना चाहे तो उसकी व्यवस्था राज्य के चुने हुए स्थानों में की जायेगी एवं इस प्रकार आपरेशन करवाने वाले का समस्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी यात्रा व्यय सम्मिलित कर। भविष्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम अभियान के रूप में नहीं मनाया जायगा। परिवार नियोजन कार्य के दौरान रुकावट करने अथवा किसी प्रकार का झगड़ा करने के सिलसिले में जितने भी क्रिमिनल केसेज अनुसंधान में हैं अथवा

(श्री हरिदेव जोशी)
अदालतों में हैं सभी को वापस ले लिया जायगा। अध्यक्ष महोदय...

श्री केदारनाथ : जो डिसएवल्ड हो गए हैं?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : एक बात पूछना चाहता हूँ...

श्री हरिदेव जोशी : पहले मुझे बोल लेने दें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : एक बात जानकारी के लिए पूछ रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं बोल लूं फिर आप बोल लें।

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछ लीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बात के ऊपर चिंता प्रकट की कि कई प्रकार के रेवेन्यू केसेज इस प्रकार के हैं कि जिनके कारण लोगों को ज्यादा परेशानी है। हमने इसके ऊपर भी विचार किया है और वर्तमान आदेशों के अनुसार सिवाय चक भूमि पर दिनांक 1-1-71 के पूर्व कृषि हेतु किये गये अतिक्रमण अमुक शर्तें पूर्ण होने पर नियमित करने का प्रावधान है। यह तिथि अब 1-7-75 तक बढ़ा दी जाएगी। इसका तात्पर्य यह होगा कि 1-7-75 के पूर्व सिवाय चक भूमि पर कृषि हेतु किये अतिक्रमण पहले की शर्तों पर नियमित कर दिये जाएंगे।

किसान भाइयों को उनके स्वयं खातेदारी की जमीन में, जो नगरपालिका क्षेत्र में नहीं है, अमुक सीमा तक के क्षेत्र में रिहायशी मकान, कैटल शेड, स्टोर हाउस इत्यादि बनाने हेतु तहसीलदार से पूर्व इजाजत लेने का प्रावधान है। इससे किसानों को असुविधा होती है। अब ऐसी अपनी खातेदारी की जमीन जो नगरपालिका क्षेत्र में नहीं है, राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 19 (5) (ए) में वर्णित इम्प्रूवमेंट्स, जिनमें रिहायशी मकान, कैटल शेड, स्टोर हाउस इत्यादि सम्मिलित हैं, हेतु तहसीलदार से पहले इजाजत लेना आवश्यक नहीं होगा। उक्त प्रावधान की अवहेलना में जो मामले पैंडिंग है उनको वापिस ले लिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर बिजली के बाबत में काफी कठिनाइयां हैं इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि बिजली के अन्दर अब रेट बढ़ा दिये गये हैं, एवरेज चार्जेज किये जा रहे हैं, मिनिमम चार्जेज बढ़ा दिये गये हैं अथवा इस प्रकार की बातें हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान वह राज्य है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात से भिड़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राजस्थान के नेवरिंग स्टेट्स हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाइडल और थर्मल पावर का सबसे बड़ा केन्द्र है। राजस्थान की हाइडल लाइन सबसे ज्यादा है। हमारी प्रोडक्शन की कोस्ट ज्यादा है और हमारी लाइन सबसे बड़ी है। इसके बावजूद हमारे चार्जेज वहीं हैं जो पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश में हैं। जब हम कुछ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यह एक चीज ध्यान में रखनी चाहिये। भाखड़ा कैनाल बन गई है पर भाखड़ा कैनाल पूरी नहीं बन पाई है। राजस्थान कैनाल बन गई है। इससे होने वाला जो लाभ है, वह जनता

(श्री हरिदेव जोशी)

के पास से लौटकर नहीं आयेगा तो राजस्थान पिछड़ा हुआ रहेगा। इसी प्रकार से चम्बल क्षेत्र के अलावा जो दूसरे लोग लेना चाहेंगे तो वह लोग तो फायदे में रहेंगे लेकिन दूसरे लोग पिछड़ जायेंगे। वह क्षेत्र पिछड़ा रहेगा। जहां बिजली चली गई है, वहां उससे सिंचाई करेंगे और जो चड़स से सिंचाई करने वाले हैं, उनमें एक का रेश्यो रहेगा? तो यह सोचना कि जो इनवेस्टमेंट हमने किया है राजस्थान की 2½ करोड जनता ने, उसमें जो लासेष होंगे वह उन लोगों को भरने पडेंगे। यह मानकर चलें कि दूसरा कोई चारा नहीं है और आज भाखड़ा और चम्बल के लोग दूसरों को लाभ में हिस्सा नहीं बंटाने दें दूसरी ओर राजस्थान के सारे लोग कर्जे ही भरते रहें और 20 या 40 लाख लोग फायदा उठाते रहें तो राजस्थान का उद्भव हो नहीं सकेगा। इसलिये हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। ऐसा नहीं हो कि जिससे मनोबल टूट जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन जहां 40-40% चोरी होती है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इकट्ठे होकर आवाज उठाते हैं और हल्ला करते हैं। तो आज यह समझने की कोशिश करनी चाहिये। फिर भी हमने सारी चीजों को समझने की कोशिश की है। हमने यह कोशिश की है कि वजन ज्यादा नहीं बढ़े। इसीलिये मैंने इस सिलसिले में कुछ फैसले किये हैं जो इस प्रकार हैं —

(1) माह दिसम्बर, 1976 से कृषि उपभोक्ता को बिजली का बिल निश्चित तिथि से पहले जमा कराने पर प्रति यूनिट 25 पैसे देने पड़ते थे लेकिन बिल की राशि देरी से जमा कराने पर प्रति यूनिट 30 पैसे देने पड़ते थे। कृषकों की तकलीफ को देखते हुए माह अप्रेल, 1977 से कृषि उपभोक्ताओं को बिल देरी से जमा कराने पर केवल 27 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ेगा।

इस प्रकार से तीन पैसा प्रति यूनिट रेट कम कर दिया गया है।

(2) विद्युत मण्डल ने नवम्बर, 76 में उपभोक्ताओं से ली जाने वाली सिक्योरिटी डिपाजिट राशि को बढ़ाया था। बढ़ी हुई दर के अनुसार कृषि एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को डिपोजिट रुपये 50 प्रति किलोवाट कनेक्टेड लोड की दर से जमा करानी चाहिए थी, जिसको अब तक घटाकर रुपये 40 प्रति किलोवाट कर दिया गया है।

इससे लगभग 1 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

(3) माह दिसम्बर, 76 में विद्युत मण्डल ने कृषि उपभोक्ताओं से ली जाने वाली न्यूनतम राशि (मिनिमम चार्जेज) बढ़ा दी थी। अब न्यूनतम राशि कृषि उपभोक्ताओं से परिवर्तन से पहिले वाली दर से ही ली जावेगी।

यानी वह ही रहेगी 1974 वाली इससे कोई फर्क नहीं आएगा।

(4) ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनके ऊपर बिजली की चोरी के मामले चल रहे हैं, उनसे अब केवल पिछले 6 महीने तक के ही चार्जेज लिये जावेंगे जो कि अब तक तीन वर्ष तक के लिये जा सकते थे।

(श्री हरिदेव जोशी)

मैं जगह जगह घूमा हूं। तो पता चला कि चोरी पकड़ी गई तो यह समझा गया कि 3 साल से चोरी कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को ठीक करके यह किया गया है कि मान लीजिए 10 एकड़ जमीन उसके पास है तो यह मान लिया जाएगा कि वह पिछली फसल से चोरी करता था। ऐसा फैसला करना होगा।

(5) कुछ श्रेणियों को छोड़कर गैर घरेलू उपभोक्ताओं (कामर्शियल) उपभोक्ताओं से मंडल मासिक न्यूनतम राशि रुपये 10 रु. प्रति कनेक्शन लेता है। अब यह राशि माह अप्रेल, 77 से ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले गैर घरेलू उपभोक्ताओं से, जिनमें दुकानें भी शामिल हैं, केवल रु. 5 प्रति कनेक्शन ली जावेगी।

(6) ऐसे कृषि उपभोक्ता जो कनेक्टेड लोड कम करवाना चाहते हैं, उनके लिए विद्युत् मण्डल ने आदेश दे रखे हैं कि उपभोक्ता यदि अतिरिक्त खम्भों का खर्चा ब्याज सहित मण्डल को जमा करवा दे तो कनेक्टेड लोड कम करने की इजाजत दे दी जाय। इस आदेश को अब परिवर्तित किया जावेगा। जिसके अनुसार किसी भी कृषि उपभोक्ता के लिए बिजली की लाइन खीची गई हो और उस लाइन के बीच में से यदि किसी अन्य कृषि उपभोक्ता को कनेक्शन दे दिया हो तो पुराने कृषि उपभोक्ता को कनेक्टेड लोड कम करने की इजाजत अतिरिक्त खम्भों की कीमत लिये बिना ही दी जा सकती है।

अर्थात् एक आदमी ने कनेक्शन लिया उस समय यह समझा गया था कि अगर बीस हार्स पावर का वहां पर लोड हुआ तो वह इकानामिकल कनेक्शन हो सकता है और इसको रख सकते हैं। अगर वहां पर एक भी दूसरा कनेक्शन लेने वाला नहीं है तो चाहे वह पांच हार्स पावर का भी लगावे तब भी बीस हार्स पावर का पैसा यानि मिनिमम चार्जेज देकर उसको एक कनेक्शन लेना होता है। इन-ड्यू कोर्स पांच कनेक्शन लेने वाले और आ जायें और कनेक्शन ले लें तो आज यह समझा जाता है कि तीस पैसा मिनिमम चार्जेज देने की बात है इसलिए वह पांच हार्स पावर में कन्वर्ट करा सकता है। तो अब 1 अप्रेल से सरकार उनको यह सुविधा देने जा रही है। जो लोग यह चाहेंगे तो बीस हार्स पावर से घटा कर पांच हार्स पावर बगैर किसी चार्ज के कर दिया जायगा। यह निर्णय ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी चीजें कही हैं उनको मैं उपयोगी मानता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अहित में अथवा विद्यार्थियों के अहित में अथवा दूसरे किसी वर्ग के अहित में अमुक प्रकार का व्यवहार करने की कोशिश की। आज इस देश की आकांक्षाएं क्या हैं, इस देश की भावनाएं क्या हैं ? इस देश की आकांक्षाएं यह हैं कि हिन्दुस्तान संसार के राज्यों में पिछड़ा हुआ राज्य न माना जाय मगर हिन्दुस्तान के कालेजों के अन्दर हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटियों के अन्दर पढ़ाई न हो और विद्यार्थी दूसरी ओर मुड़ जायं और कालेज पालिटिक्स के अड्डे बन जायं, विद्यार्थी पढ़ने के बजाय दूसरी एक्टीविटीज

(श्री हरिदेव जोशी)
में लग जाय, यह राष्ट्रीय भावना नहीं होगी, यह राष्ट्र को खराब करने की भावना होगी। इसलिए गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि वे अपनी पूरी शक्ति इस बात की ओर लगावें कि उनकी शिक्षा के अन्दर कोई व्यतिक्रम न हो, शिक्षा के अन्दर कोई भी कहीं भी गड़बड़ न हो और उस चीज को एक्सेलाइज करने के लिए राज्य सरकार बराबर प्रयत्न करती रही है।

अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान में कोई भी पालिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो कि पावर में न हो। केन्द्र में कुछ लोग पावर में हैं, तथा राज्यों में दूसरे लोग। मैं ऐसा समझता हूँ कि हिन्दुस्तान की पालिटिकल पार्टीज अब सार्वनिटीज से काम कर सकेंगी और लोगों को फालतू भड़काने की कोशिश नहीं करेंगी। आज अगर कोई करदाता टैक्स देता है और उसका सारा का सारा पैसा अनप्रोडक्टिव चीजों के अन्दर चला जाय और कुछ अमुक लोगों को ही लाभ मिलता रहे तो जो आदमी यह सोचता है कि मुझे दूसरी बार खाने को नहीं मिलता है, उसका जीवन कैसे चलेगा ? उसके लिए कोई योजना न हो तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। राजनैतिक दलों ने और पालिटिकल पार्टीज ने आज तक सोचा कि कहीं स्ट्राइक कराई जाय, कहीं तोड़-फोड़ कराई जाय, कहीं कोई और खुराफात हो सकती है तो कराई जाय। इस तरह की हरकतें हुईं जिनका परिणाम यह हुआ कि देश के अन्दर जो हालात पैदा हुए, देश को आगे बढ़ना चाहिए था वह आगे नहीं बढ़ा, देश के अन्दर जो विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। उन कर्मचारियों को जब हम डिस्मिस करते हैं चूंकि वे करप्ट हैं तो कहा जाता है कि बेचारों के ऊपर अन्याय हो रहा है। मगर, अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि ठीक से काम करने वाले लोग थे भी वे। राजस्थान सरकार हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जिसने अपने पे स्ट्रक्चर को रिवाइज किया और ज्यादा से ज्यादा मेग्जिमम तौर पर दे सकते थे, देने की कोशिश की। आज उस चीज का कोई जिक्र नहीं है। सारा हिन्दुस्तान स्तम्भित रह गया जिस दिन पे-स्ट्रक्चर रिवाइज किया गया। थोड़े दिन पहले की बात है मेरे पास कर्मचारियों के कुछ लोग मिलने आये मैंने उनको सुना और मुझे रीजनेबल मालूम पड़ा, मैंने उनको दूसरी बार इन्टरव्यू का समय भी नहीं दिया और सारी चीजों को समझकर उनको देने की कोशिश की। साढ़े नौ करोड़ के ऊपर एडिशनल डी.ए. के रूप में स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है जो लोग अपने आपको प्रगतिशील समझते हैं और जो यह समझते हैं कि राज्य और राष्ट्र सर्वोपरि है, इस बात को समझते हैं आज उनके पास में कहने को शब्द नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मन को पीड़ा होती है अगर आज इस असेम्बली में उस तरफ बैठने वाले भाई, जो दिल्ली में ट्रेजरी बेन्चेज के ऊपर बैठे हैं, अपने मानस को टटोलें। समय के अनुकूल अपने मानस को नहीं बनाया तो निश्चित रूप से इस देश को आगे बढ़ने से रोकेंगे इसलिए उनको अपने मानस को टटोलना है। एक तरफ किसी की आमदनी का बड़ा हिस्सा व्यर्थ में चला जाय जिससे कोई फायदा नहीं और दूसरी ओर

(श्री हरिदेव जोशी)

कोई खाली बैठा हुआ है, बेकार है, नौकरी नहीं है, उसके घर के लोग भूखों मर रहे हों तो क्या यही राष्ट्रीय लक्ष्य है जिनके लिए हम संघर्ष करते रहे? क्या यही हालात हैं, जिनके लिए हम आगे बढ़ाना चाहते हैं? आज आत्म चिन्तन की आवश्यकता है, अपने आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं, माननीय सदस्य यह समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र या तो 15 अगस्त, 47 के दिन एक चौराहे के ऊपर आकर खड़ा हुआ था अथवा मैं ऐसा समझता हूं कि आज के दिन चौराहे के ऊपर आकर खड़ा हुआ है। 15 अगस्त सन् 1947 को जवाहरलाल नेहरू जैसी एक विभूति हमारे पीछे थी, जो नेता ही नहीं राजनेता थे उन्होंने इस देश के लिए कुछ नोर्म्स स्वीकार किये। उन्होंने इस देश की प्रतिष्ठा को न केवल इस देश के अन्दर स्थापित किया किन्तु सारे संसार में स्थापित किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस उन्हीं सिद्धान्तों पर, उन्हीं उसूलों पर काम करना चाहती है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तय किये थे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं ऐसी आशा करके चलता हूं कि राजस्थान में जो विरोधी पक्ष है उसका सहयोग राजस्थान को मिलता रहेगा। मैं यह कह सकता हूं कि मैंने कहीं भी व्यक्तिगत कटुता पैदा करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहीं भी यह कोशिश नहीं की कि सत्ता का उपयोग करके किसी को पेनेलाइज किया जाय। मैंने कभी भी यह कोशिश नहीं की है कि किसी तरह से किन्हीं लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाय। आज इमर्जेन्सी की बात कही जाती है, मगर मैं चैलेन्ज करके कह सकता हूं जेल में जो इमर्जेन्सी के कारणों से रहे अगर एक व्यक्ति यह कहे कि उसके साथ शासन ने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो मैं उसको चैलेन्ज करता हूं। हम मानवीय मूल्यों को गिराना नहीं चाहते हैं, हम मानव व्यवहार को गिराना नहीं चाहते हैं, हम आपसी सम्बन्धों को गिराना नहीं चाहते हैं और यह कोशिश करना चाहते हैं कि देश के अन्दर प्रजातन्त्र स्वच्छ तरीके से पनपे, स्वस्थ ढंग से आगे बढ़े। मगर एक बात है जब आइडियोलाजी के डिफरेन्ट खेमे के अन्दर बैठे हुए लोग एक दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति पैदा होगी कि डिसएग्रीमेन्ट होगा। आज विरोधी पक्ष में बैठे हुए भाई इस बात को याद करें कि प्रोफेसर केदार ने क्या अपनी जिन्दगी भर जनसंघ का विरोध नहीं किया? आर.एस.एस. का विरोध नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं क्यों किया? इसलिये किया कि आइडियोलोजिकली आप एक साथ नहीं मिल पाते थे। ठीक उसी प्रकार से जहां डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो गई है, जैसे इंगलैंड है, वहां लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी अथवा कन्जर्वेटिव पार्टी की विदेश नीति, लेबर पोलिसी, आर्थिक नीति, होम नीति में कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई देता, उनके मैनीफेस्टो की हैडलाइन्स निकाल दी जायं, तो बहुत अंतर नहीं दिखाई देगा। उसके अन्दर कोई अन्तर नहीं है मगर आपके एप्रोच के अन्दर अंतर है। इसलिए आपमें और हममें अन्तर रहेगा एक पार्टी के अन्दर बैठने वालों के विचारों में भी अन्तर रहेगा। यह अन्तर न होता तो कांग्रेस से निकलकर कम्युनिस्ट पार्टी अलग क्यों जाती? आजादी के पहले और बाद में कांग्रेस से निकल कर समाजवादी पार्टी अलग क्यों

(श्री हरिदेव जोशी)

जाती ? आज वह अन्तर न होता तो कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन क्यों होता ? वह अन्तर न होता तो कांग्रेस ओल्ड और न्यू में विभाजन क्यों होता ? आज भी लोग जो एक साथ बैठे हुए हैं, वे एक साथ बैठने की कोशिश क्यों नहीं करते ? राजनीति में समझौते होंगे और मेलजोल भी होंगे मगर मानस जहां बंद रहता है वहां प्रतिद्वंदता चलती रहेगी। इसलिए जो आदमी, जो पार्टी देश को समृद्ध बनाने की बात करती है, वह पार्टी निश्चित रूप से यह चाहेगी कि उत्पादन कैसे बढ़े और देश कैसे आगे बढ़े, उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करेगी। निश्चित रूप से उस पार्टी को लेबर के हितों को इग्नोर नहीं करना चाहिये मगर यह भी संभव नहीं है कि देश के उत्पादन की कीमत पर अमुक लोग देश की राजनीति को तहस-नहस कर दें, उसकी छूट उनको दी जाय। इसलिए इन सारी चीजों को प्रापर पर्सपेक्टिव में सोचने और देखने की आवश्यकता है। यह तय करने की आवश्यकता है कि हम व्यक्तिगत हितों को, पार्टी के हितों को गौण करके राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आज यह नहीं हो सका तो भविष्य में कभी नहीं हो सकेगा।

आज की बात इसलिए कहता हूं कि आज बहुत थोड़े लोगों को छोड़कर सारे लोग शासन के अन्दर इधर अथवा उधर जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं। उन सारे घटकों को इन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। आज इन चुनावों में जो परिवर्तन आया है उसको लेकर अमुक प्रकार का विश्लेषण करते हैं और कहते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं जब घर में कोई बहुत प्यारा और नजदीक का आदमी मर जाता है तब अधिक से अधिक नजदीक वाला आदमी यह सोचता है कि मैं भी आज मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। वह उस समय के वातावरण का परिणाम है। मैं समझता हूं कालांतर के अंदर स्थितियां हमको समझायेंगी कि हमारा क्या कर्तव्य है और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक्साइटमेंट में, इमोशन में, एंगर में किसी के लिये यह कह देना वह कह देना ठीक नहीं है। निश्चित रूप से यह वर्डिक्ट है, इसको स्वीकार किया जाय।

मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इंदिरा गांधी को डिक्टेटर कहते थे लेकिन उन्होंने सारी चीज को ग्रेसफुली लिया और उस वर्डिक्ट को स्वीकार किया। हम जो उनके साथी हैं, फोलोवर्स हैं वे भी इस वर्डिक्ट को उतनी ही नम्रता से स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि यह वर्डिक्ट है, इसको स्वीकार करते हैं। मगर इसके कभी यह मायने नहीं हैं कि जो वर्डिक्ट आज है वह हमेशा रहेगा। शासन के अन्दर जो लोग जाते हैं उनका यह प्रयत्न होता है कि वे अपनी बात को जनता में कहें मगर जहां आपको कहने का अधिकार है वहां कांग्रेस को भी अधिकार है और कांग्रेस निरंतर जिन उद्देश्यों के लिए, जिन सिद्धांतों के लिए काम करती आ रही है उनके लिए काम करती रहेगी और भारत की जनता की सेवा उसी प्रकार करती रहेगी जिस प्रकार से वह आज करती आई है।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उस पर जो धन्य०

Page No 80

80

(श्री हरिदेव जोशी)

वाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पूनम चंद विश्नोई ने निम्न-लिखित रूप में पेश किया है—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है अत्यंत कृतज्ञ हैं" को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया

सदन की कार्यवाही सोमवार 28 मार्च, 1977 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.48 बजे सोमवार दिनांक 28 मार्च, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई) ।